जनवरी 2018 मासिक करेंट अफेयर्स संग्रह

प्रीलिम्स फैक्ट्स

उझ परियोजना

सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों के उपयोग में तेजी लाने की प्रतिबद्धता के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग द्वारा उझ परियोजना का डीपीआर (detailed project report - DPR) जम्मू-कश्मीर को सौंपा गया।

- इस परियोजना के अंतर्गत रावी नदी की सहायक उझ नदी (**river Ujh)** के **0.65 MAF** जल का भंडारण किया जाएगा।
- इससे **30,000** हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। साथ ही इससे **200** मेगावाट जल विद्युत का भी निर्माण किया जा सकेगा।
- इससे भारत को जल प्रवाह के एक हिस्से का उपयोग करने में सहायता मिलेगी, अभी तक यह समस्त जल बिना किसी उपयोग के ही सीमा पार चला जाता था।

रावी नदी

- रावी नदी हिमाचल प्रदेश के काँगड़ा ज़िले में रोहतांग दर्रे से निकलती है।
- यह नदी भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर राज्य से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है।
- पाकिस्तान में यह झांग ज़िले में चिनाब नदी में मिल जाती है, जहाँ इस पर थीन बाँध बना हुआ है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

समुद्र विकास विभाग (Department of Ocean Development - DOD) का गठन जुलाई 1981 में प्रधानमंत्री के सीधे नियंत्रण वाले कैबिनेट सचिवालय के एक प्रभाग के रूप में किया गया, जो मार्च 1982 में एक पृथक् विभाग के रूप में अस्तित्व में आया।

प्रमुख बिंदु

- पूर्ववर्ती समुद्र विकास विभाग द्वारा देश में समुद्र विकास के कार्यक्रमों के आयोजन, संयोजन और प्रोत्साहन के लिये एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया।
- तत्पश्चात् फरवरी **2006** में भारत सरकार द्वारा इस विभाग को समुद्र विकास मंत्रालय के रूप में अधिसूचित कर दिया गया।
- राष्ट्रपति कार्यालय की अधिसूचना दिनांक **12** जुलाई, **2006** के अंतर्गत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (**Ministry of Earth Sciences - MoES)** का गठन किया गया।
- इस मंत्रालय के प्रशासन के अंतर्गत भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (**India Meteorological Department - IMD),** भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (**Indian Institute of Tropical Meteorology - IITM)** तथा राष्ट्रीय मध्यम क्षेत्र मौसम पूर्वानुमान केंद्र (**National Centre for Medium Range Weather Forecasting - NCMRWF)** को शामिल किया गया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष आयोग (**Space Commission**) और परमाणु ऊर्जा आयोग (**Atomic Energy Commission**) के समान पृथ्वी आयोग का भी गठन किया गया।

अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता और मौसम निगरानी स्टेशन

- मंत्रालय द्वारा अहमदाबाद (गुजरात) में वायु की गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान व अनुसंधान (**System of Air Quality and Weather Forecasting and Research - SAFAR**) आधारित एकीकृत चेतावनी प्रणाली (**integrated early warning System**) राष्ट्र को समर्पित किया गया।
- इसके साथ ही अहमदाबाद नगर निगम द्वारा लॉन्च की गई अहमदाबाद एआईआर [**Ahmedabad- AIR (Air Information and Response)**] कार्यक्रम को 'सफर' के साथ जोड़ा गया।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना

भारत सरकार द्वारा 'कृषि समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना' का पुन: नामकरण कर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तौर पर पेश किया गया।

योजना का उद्देश्य

- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का उद्देश्य कृषि न्यूनता पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि के दौरान संसाधनों के होने वाले अनावश्यक नुकसान को कम करना है।

वित्तीय आवंटन

- **6,000** करोड़ रुपए के आवंटन वाली इस योजना से वर्ष **2019-20** तक लगभग **334** लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पाद का संचयन किया जाएगा, जिससे देश के **20** लाख किसानों को लाभ प्राप्त होगा और **5,30,500** प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर सृजित किये जाएंगे।

प्रमुख विशेषताएँ

- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के कार्यान्वयन से आधुनिक आधारभूत संरचना का निर्माण और प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला तथा अनाजों का खेतों से खुदरा दुकानों तक प्रभावी प्रबंधन हो सकेगा। इससे देश में खाद्य प्रसंस्करण को व्यापक बढ़ावा मिलेगा।
- इससे किसानों को बेहतर मूल्य पाने में मदद मिलेगी। यह किसानों की आमदनी दोगुना करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- इससे बड़ी संख्या में रोज़गार के अवसर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हो सकेंगे। इससे कृषि उत्पादों की बर्बादी रोकने, प्रसंस्करण स्तर बढ़ाने, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सुरक्षित और सुविधाजनक प्रसंस्कृत खाद्यान्न की उपलब्धता के साथ प्रसंस्कृत खाद्यान्न का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के कार्यान्वयन से उत्पादों की आपूर्ति प्रबंधन को सुधारा जा सकता है और एक आधुनिक अवसंरचना का विकास किया जा सकता है।

नाईट फ्रॉग की नई स्पीशीज़ की खोज

हाल ही में वैज्ञानिकों ने मेवा सिंह नाइट फ्रॉग (Mewa Singh's Night frog) की खोज की है, जो पश्चिमी घाट में कोझिकोड के मालाबार वन्यजीव अभयारण्य की स्थानिक प्रजाति से संबंधित है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख बिंदु

- संरक्षण और वर्गीकरण (**conservation and taxonomy**) पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय जर्नल में छपे वैज्ञानिक पत्र के अनुसार, हल्के भूरे रंग वाले नाईट फ्रॉग की इस नई प्रजाति निक्टीबाट्राचस मेवासिंघी (**Nyctibatrachus mewasinghi**) के मेंढक नीचे से सफ़ेद रंग के होते है तथा उभरे हुए दानों के साथ इनकी त्वचा झुर्रीदार होती है।
- व्यावहारिक पारिस्थितिकी और प्राइमेट स्टडीज़ (**Behavioural Ecology and Primate Studies**) पर वन्यजीव वैज्ञानिक (**wildlife scientist**) मेवा सिंह के योगदान के सम्मान में इसे यह नाम दिया गया है।
- निक्टीबाट्राचस प्रजाति (**Nyctibatrachus genus**) के मेंढक, जिन्हें आमतौर पर नाईट फ्रॉग(**Night frogs**) के रूप में जाना जाता है, केवल पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। मेवा सिंह नाईट फ्रॉग को मिलाकर इस समूह के मेंढकों की संख्या अब **36** तक पहुँच गई है।
- चूँकि निक्टीबाट्राचस प्रजाति के कई मेंढक एक जैसे दिखते हैं, इसलिये वैज्ञानिकों ने मेंढक की नई प्रजाति के रूप में पुष्टि करने के लिये भौतिक विशेषताओं के साथ ही आनुवंशिक विधियों का भी इस्तेमाल किया गया।
- हाल ही में खोजी गई प्रजातियों के ऊतकों के एकत्रित **10** सैंपल्स का उपयोग करते हुए, वैज्ञानिकों ने दो जीनों के कुछ हिस्सों का विश्लेषण किया और पाया कि यह अन्य निकट रूप से संबंधित प्रजातियों से काफी अलग है और इसे एक अलग प्रजाति माना जा सकता है।
- वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि इस नवीन प्रजाति के मेंढक आनुवंशिक रूप से त्रिशूर और इडुक्की में पलक्कड़ गेप के दक्षिण में पाए जाने वाले अथिराप्पल्ली नाईट फ्रॉग और केरल और कर्नाटक में पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले केम्पोली नाईट फ्रॉग से निकटता रखते हैं।
- मेवा सिंह नाईट फ्रॉग को इन समान दिखने वाले और आनुवंशिकी रूप से करीबी रिश्तेदारों से इसकी भुजाओं और उँगलियों के पैटर्न जैसी कई भौतिक विशेषताओं से अलग किया जा सकता हैं।
- आनुवंशिक परिप्रेक्ष्य से यह प्रजाति अद्वितीय है क्योंकि आनुवंशिक रूप से इसके निकटतम संबंधी अथिराप्पल्ली नाईट फ्रॉग इससे बहुत दूर और पूरे पलक्कड़ गेप में पाए जाते है।
- निक्टीबाट्राचस प्रजाति के मेंढक, जिन्हें आमतौर पर नाईट फ्रॉग के रूप में जाना जाता है, केवल पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं।

अदरक की नई स्पीशीज़ की खोज

वैज्ञानिकों ने म्याँमार सीमा पर अवस्थित मणिपुर के उखरुल ज़िले और नागालैंड के तुएनसांग ज़िले में अदरक की दो नई प्रजातियों की खोज की है।

प्रमुख बिंदु

- तुएनसांग ज़िले में पायी जाने वाली हेडीचियम सिंगमेइयनम (**Hedychium chingmeianum**) प्रजाति एक एपिफ़ायटिक पौधा (**Epiphytic Plant**) है, जो लंबे वृक्षों पर बढ़ती है।
- **Epiphytic Plant** वे पौधे होते है जो भौतिक रूप से सहारे के लिये किसी पौधे या किसी अन्य वस्तु पर आश्रित होते है। इन पौधों का भूमि के प्रति या पोषक तत्त्वों के लिये, किसी अन्य माध्यम के लिये कोई लगाव नहीं होता है। इन्हें सहारा देने वाले पौधों के साथ इनका परजीविता का संबंध भी नहीं होता है।
- लाल रंग के तने और मलाईदार सफेद फूलों वाले हेडीचियम सिंगमेइयनम के पौधे को बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय केंद्र, शिलांग में लाया गया था और वहाँ उगाया गया था।
- विशेषज्ञों के अनुसार, हेडीचियम प्रजाति की अधिकांश स्पीशीज़ में औषधीय गुण होते हैं, किंतु अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि हाल ही में खोजी गई प्रजाति हेडीचियम सिंगमेइयनम में औषधीय गुण हैं या नहीं।
- कौलोकेम्फेरिया दीनबन्धुऐनेसिस को शिरुई पहाड़ियों में चट्टानों की दरारों, शिलाखंडों और ह्यूमस-समृद्ध मिट्टी में बढ़ते हुए पाया गया।
- कौलोकेम्फेरिया दीनबन्धुऐनेसिस स्पीशीज़ को बायोरिसोर्सेज़ एवं सतत् विकास संस्थान (**Institute of Bioresources and Sustainable Development-IBSD**) द्वारा खोजा गया था।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस स्पीशीज़ में अंडाकार आकार (**oval-shaped**) के सुंदर गुलाबी फूल होते हैं, जो जून-जुलाई माह में दिखाई देते हैं।
- उखरूल पहाड़ियों की यात्रा के दौरान **IBSD** के निदेशक दीनबंधु साहू ने इसे सबसे पहले देखा था अतः इन्हीं के नाम पर इस प्रजाति का नाम 'कौलोकेम्फेरिया दीनबन्धुऐनेसिस' रखा गया है।
- दोनों किस्में सामान्यतः पाई जाने वाली अदरक **Zingiber officinale** के समान ही **Zingiberaceae** परिवार से संबंधित है।

महिला सशक्तीकरण के लिये ऑनलाइन पोर्टल 'नारी'

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women & Child Development) द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल 'नारी' (NARI) शुरू किया गया है। इस पोर्टल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ही विकसित भी किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस पोर्टल के माध्यम से महिलाएँ उनके संदर्भ में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं और पहलों के विषय में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।
- इन सारी सूचनाओं को एक स्थान पर सुलभ कराने के उद्देश्य से 'नारी' पोर्टल में महिलाओं के कल्याण के लिये चलाई जा रही तकरीबन **350** सरकारी योजनाओं से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं।
- इतना ही नहीं, इस पोर्टल पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिये महत्त्वपूर्ण लिंक भी दिये गए हैं।
- 'नारी' पोर्टल में महिलाओं के जीवन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
- इस पर पोषण, स्वास्थ्य जाँच, बीमारी, नौकरी, साक्षात्कार, निवेश और बचत सलाह, महिलाओं के खिलाफ अपराध, कानूनी सहायता उपलब्ध कराने वालों के नंबर, गोद लेने की सरल प्रक्रिया आदि विषयों पर टिप्स भी दिये गए हैं।

एनजीओ और सिविल सोसायटी के लिये ई-संवाद पोर्टल
e-Samvad portal for NGOs and Civil Societies

इस पोर्टल को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women & Child Development) एवं एनजीओ और सिविल सोसायटी के मध्य संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से लाया गया है।

प्रमुख बिंदु

- ई-संवाद पोर्टल के माध्यम से एनजीओ और सिविल सोसायटी अपने सुझाव, शिकायत व प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इन सभी का जवाब देने के लिये मंत्रालय के उच्च अधिकारियों को इस पोर्टल से संबद्ध किया गया है।
- इसके पहले भी महिलाओं को समान अधिकार, आर्थिक अवसर, सामाजिक सहयोग, कानूनी सहायता, आवास आदि उपलब्ध कराने के लिये केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएँ लागू की गई हैं।
- परंतु अभी भी इन सभी योजनाओं के प्रति जागरूकता का अभाव है।
- उदाहरण के लिये, अधिकांश महिलाएँ इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की सहायता के लिये **168** ज़िलों में 'वन स्टॉप सेंटर' उपलब्ध हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के पंजीयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है तथा कई राज्यों में लड़कियों की शिक्षा के लिये वित्तीय मदद दी जाती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम
Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)

एम.एस.एम.ई. (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises - MSME) द्वारा प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister's Employment Generation Programme- (PMEGP) का कार्यान्वयन किया जा रहा है. यह नॉन-फॉर्म सेक्टरों में सूक्ष्म-उद्यमों (micro-enterprises) की स्थापना के माध्यम से स्व-रोज़गार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से लाया गया एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम (credit-linked subsidy programme) है। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय कारीगरों और बेरोज़गार युवाओं को सहायता प्रदान करते हुए उन्हें रोज़गारोन्मुख बनाने का प्रयास किया जा रहा है

प्रमुख बिंदु

- ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी के लाभार्थी परियोजना लागत का **25%** और शहरी क्षेत्रों में **15%** मार्जिन मनी सब्सिडी (**margin money subsidy)** का लाभ उठा सकते हैं।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, एन.आर.आई, पहाड़ी और सीमा क्षेत्रों जैसे विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी **35%** और शहरी क्षेत्र में **25%** निधारित की गई है।

लाभ के पात्र कौन-कौन हैं?

- **18** वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस कार्यक्रम के तहत लाभ का पात्र होगा।
- विनिर्माण क्षेत्र में **10** लाख रुपए और व्यापार/सेवा क्षेत्र में **5** लाख रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की स्थापना के लिये लाभार्थियों के पास कम-से-कम आठवीं कक्षा के स्तर की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिये।
- इसके अंतर्गत परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु अधिकतम लागत सीमा विनिर्माण क्षेत्र के लिये **25** लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के लिये **10** लाख रुपए निर्धारित की गई है।

वर्तमान स्थिति

- पी.एम.ई.जी.पी. योजना के तहत वर्णित सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
- इस योजना को वर्ष **2008-09** के दौरान शुरू किया गया था।
- इसकी स्थापना के बाद से अभी तक कुल **4.47** लाख लघु उद्यमों की सहायता से **9326.01** करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी की सहायता वाले अनुमानित **37.32** लाख व्यक्तियों को **2017-18 (30.11.2017)** तक रोज़गार प्रदान किया जा चुका है।

नोडल निकाय

- राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (**Khadi and Village Industries Commission - KVIC)** इसकी नोडल एजेंसी है।
- राज्य/ज़िला स्तर पर के.वी.आई.सी., के.वी.आई.बी. और ज़िला उद्योग केंद्र (**District Industry Centres - DIC)** के राज्य कार्यालय क्रमशः **30:30:40** के अनुपात में राज्यों में कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्यरत हैं।

ऑनलाइन पोर्टल

- इसके अंतर्गत एक ऑनलाइन पी.एम.ई.जी.पी. ई-पोर्टल भी शुरू किया गया है। इस पोर्टल को **1** जुलाई, **2016** में लॉन्च किया गया था।
- इस कार्यक्रम के तहत संपूर्ण प्रक्रिया को वास्तविक समय (**real time)** के अनुरूप ऑनलाइन तैयार किया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

नारकोंडम हॉर्नबिल की आबादी में वृद्धि
Narcondam Hornbills Edge Back From the Brink

भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (Zoological Survey of India - ZSI) द्वारा नारकोंडम द्वीप पर नारकोंडम हॉर्नबिल (Narcondam Hornbills) के प्रजनन जोड़ों और युवा पक्षियों की अच्छी-खासी आबादी को देखा गया है।

प्रमुख बिंदु

- जलवायु परिवर्तन और सिकुड़ते प्राकृतिक आवासों के कारण विलुप्त होती प्रजातियों के बीच लुप्तप्राय **नारकोंडम हॉर्नबिल (वैज्ञानिक नाम Rhyticeros Narcondami)** की आबादी में वृद्धि पर्यावरण विशेषज्ञों के लिये एक उत्साह का विषय है।
- मखमली-काले पंख और बड़ी पीली चोंच वाली नारकोंडम हॉर्नबिल और इसका आवास स्थल **2014** में रक्षा मंत्रालय द्वारा अंडमान और निकोबार के द्वीपों पर एक **Listening Post** को स्थापित करने के प्रस्ताव के चलते विवाद का केंद्र बने हुए थे।
- **Listening Post** वह सामरिक पोस्ट होती है, जहाँ से रेडियो और माइक्रोवेव संकेतों की निगरानी और उनमें निहित सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है।
- कई पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों की आपत्तियों के बावजूद, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यालय ने अगस्त **2014** में इनके लिये एक वैकल्पिक आवास निर्मित करने का सुझाव दिया था, क्योंकि नारकोंडम सामरिक निगरानी और रडार स्टेशन स्थापित करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण स्थान है।
- किंतु प्रकृति के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (**International Union for Conservation of Nature-IUCN**) और खतरे के कगार पर प्रजातियों की लाल सूची में इसे **लुप्तप्राय (Endangered)** माने जाने के कारण रक्षा मंत्रालय ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया।
- वर्तमान में यहाँ पर एक पुलिस चौकी के अलावा कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है।

भौगोलिक स्थिति

- **7** वर्ग किमी. के क्षेत्रफल वाला नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान द्वीप के पूर्व में अवस्थित एक ज्वालामुखी द्वीप है।
- यह एक घोषित वन्यजीव अभयारण्य है, जो म्याँमार के कोको द्वीप के निकट अवस्थित है, जहाँ चीन की सैन्य उपस्थिति है।
- वर्तमान में इस लुप्तप्राय पक्षी पर एक विस्तृत अध्ययन की योजना पर विचार किया जा रहा है। वर्ष **2002** में किये गए अध्ययन में इनकी संख्या लगभग **400** पाई गई थी।

फास्ट फूड पर चेतावनी लेबल हुआ अनिवार्य

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI) द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (Food Safety and Standards Act), 2006 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में फास्ट फूड को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है।

- तथापि, खाद्य में उच्च वसा, शर्करा और नमक (**High Fat, Sugar and Salt - HFSS**) तथा संबद्ध स्वास्थ्य जोखिमों से निपटने के लिये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक विशेषज्ञ ग्रुप का गठन किया गया है।
- एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा पैक लेबल के आमुख पर अनुशंसित डायट्री अलांऊस (**Recommended Dietary Allowance - RDA**) के प्रति इसके अंशदान सहित, प्रत्येक सर्विंग में कुल वसा, संयोजित शर्करा, नमक, ट्रांस फैट और ऊर्जा की अनिवार्य घोषणा शामिल करने के लिये लेबलिंग विनियमों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।
- एफ.एस.एस.ए.आई. के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा 'वयस्कों और बच्चों के लिये शर्करा इनटेक' और खाद्य में उच्च शर्करा के दुष्प्रभाव विषयक दिशा-निर्देश विकसित किये गए हैं।

राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन
National Organ & Tissue Transplant Organisation

राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (National Organ & Tissue Transplant Organisation - NOTTO) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत गठित एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। यह संगठन नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में स्थित है।

- राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ) की वेबसाइट का हाल ही में शुभारंभ किया गया है।

एन.ओ.टी.टी.ओ. के निम्नलिखित दो प्रभाग है-

राष्ट्रीय मानव अंग और ऊतक निष्कासन एवं भंडारण नेटवर्क
(National Human Organ and Tissue Removal and Storage Network)

- मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम [**Transplantation of Human Organs (Amendment) Act], 2011** के अनुसार, इसे अनिवार्य किया गया है।
- यह नेटवर्क प्रारंभिक तौर पर दिल्ली के लिये स्थापित किया जाएगा और इसके पश्चात् इसका विस्तार देश के अन्य राज्यों और क्षेत्रों में किया जाएगा।
- एन.ओ.टी.टी.ओ. का राष्ट्रीय प्रभाग देश में अंगों और ऊतकों की खरीद के नेटवर्क अथवा वितरण के साथ-साथ अंगों और ऊतक दान एवं प्रत्यारोपण के पंजीकरण में सहयोग जैसी अखिल भारतीय गतिविधियों के लिये सर्वोच्च केंद्र के तौर पर कार्य करेगा।

राष्ट्रीय बॉयोमैटीरियल केंद्र (राष्ट्रीय ऊतक बैंक) National Biomaterial Centre (National Tissue Bank)

- इस केंद्र को स्थापित करने का मुख्य आधार और उद्देश्य विभिन्न ऊतकों की उपलब्धता में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के साथ-साथ मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को भरना है।
- अंगों को एक वस्तु बनाना सामाजिक, नैतिक और नीतिपरक मूल्यों के अपक्षरण के समान है और यह एक विकल्प नहीं हो सकता, जिसे एक सभ्य समाज में अंगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्वीकार किया जा सकता हो।
- शरीर और इसके अंग वेबसाइट कारोबार के विषय नहीं हो सकते। इसी प्रकार से अंगों के लिये धनराशि का भुगतान करना अथवा प्राप्त करना निषेध किया जाना चाहिये।
- अंगों को दान करने के लिये, लोगों को प्रोत्साहन देने के लिये उनके बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।
- इसमें नागरिक समाज, धार्मिक नेताओं और सृजनात्मक जागरूकता में अन्य हितधारकों के शामिल होने की आवश्यकता है।

अंडमान में चींटी की नई स्थानिक प्रजाति की खोज
New endemic ants from the Andamans

हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा अंडमान द्वीप-समूह के सदाबहार वनों में चींटी की टेट्रामोरियम प्रजाति (Genus Tetramorium) की दो नई स्पीशीज की खोज की गई है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख बिंदु

- नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज़ (**National Centre for Biological Sciences -NCBS**) बंगलुरु और ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी, जापान के वैज्ञानिकों द्वारा **अंडमान द्वीप-समूह के हेवलॉक द्वीप** में चींटी की दो नई स्पीशीज की खोज की गई है।
- इन दोनों स्पीशीज़ के नाम **टेट्रामोरियम कृष्णानी (Tetramorium krishnani)** और **टेट्रामोरियम जारवा (Tetramorium jarawa)** हैं।
- इन स्पीशीज़ का नामकरण **NCBS** के दिवंगत वैज्ञानिक के.एस. कृष्णन के सम्मान में तथा इस द्वीप पर अधिवासित जारवा जनजातीय समुदाय के नाम पर किया गया है।
- ये चींटियाँ अंडमान के लिये **स्थानिक** हैं तथा हेवलॉक द्वीप के सदाबहार वनों की घास फूस (**Leaf Litter**) में रहती हैं।
- भारत में पहली बार वैज्ञानिकों की टीम ने प्रजातियों की आसान वर्गीकृत पहचान के लिये शारीरिकी संरचनाओं (**Anatomical Structures**) के विस्तृत अध्ययन हेतु चींटी नमूनों के **3-D** मॉडल बनाने के लिये एक नॉवेल एक्स-रे माइक्रो सीटी प्रौद्योगिकी (**novel X-ray micro CT technology**) का इस्तेमाल किया।
- नई तकनीक का उपयोग करते हुए इन **3D** छवियों को चींटी आकार विज्ञान (**ant morphology**) के विकास के अध्ययन के लिये प्रजातियों के जेनेटिक प्रोफाइल के साथ मैच किया जा सकता है।

वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है?

आमतौर पर माल या सेवाओं के आपूर्तिकर्त्ता (Supplier) पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने का दायित्व होता है। यदि इस कर देयता को आपूर्तिकर्त्ता की बजाय माल या सेवा की आपूर्ति प्राप्त करने वाले को (Recipient) स्थानांतरित कर दिया जाए तो इसे जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज कहा गया है।

प्रमुख बिंदु

- रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म जीएसटी के तहत उन प्रावधानों में से है, जिनके द्वारा सरकार कर जाल को विस्तृत एवं कर की चोरी (**tax evasion**) को नियंत्रित करना चाहती है।
- जीएसटी में अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा, किसी पंजीकृत व्यक्ति को आपूर्ति करने पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म का लागू होना रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म का सबसे आम उदाहरण है।
- सरकार द्वारा अधिसूचित वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर यह व्यवस्था लागू होगी। इसके अलावा, रिवर्स चार्ज अन्य परिस्थितियों में भी लागू होता है।
- एक आयातक (**Importer**) रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के तहत जीएसटी का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को उनके द्वारा दिये गए नेट वैल्यू वाले सामानों या सेवाओं पर कर जमा करना आवश्यक है।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट (**Input Tax Credit - ITC**) का सहज प्रवाह केवल तभी संभव होता है, जब व्यवसाय के सभी आपूर्तिकर्त्ता जीएसटी का भुगतान करते हैं। इसलिये प्रत्येक व्यवसाय यह सुनिश्चित करेगा कि इसके आपूर्तिकर्त्ता जीएसटी का भुगतान करें, ताकि वे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकें।
- विनिर्मातों द्वारा कच्चे माल की खरीद पर दिये कर का, सरकार द्वारा अंतरण इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है।
- अल्प मात्रा में कर चोरी के मामलों पर स्व-नियंत्रण मज़बूत होने से कर विभाग द्वारा मानव संसाधनों का कुशल और दक्ष उपयोग किया जा सकता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

निलाम्बुर टीक भौगोलिक संकेतक में शामिल
GI recognition: Famed Nilambur teak

केरल के निलाम्बुर टीक उर्फ मालाबार टीक (Nilambur teak aka Malabar teak) को भौगोलिक संकेतों (Geographical Indications – GI) की रजिस्ट्री में शामिल किया गया है। जीआई टैग उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पत्ति को दर्शाता है।

निलाम्बुर सागौन की विशेषताएँ

- सुनहरे भूरे रंग का सागौन वृक्ष अपने विविध आयामों, वांछित लकड़ियों के आकार और व्यापार की दुनिया में व्यापक प्रतिष्ठा के रूप में बेहद प्रसिद्ध है।
- इस वृक्ष की हाइड्रोफोबिसिटी (**hydrophobicity**), एंटी- ऑक्सिडेंट (**anti-oxidant**) गुण और तैलीय प्रकृति इसके कैओटचौक कम्पाउंड (**caoutchouc compound**) के कारण होती है।

भौगोलिक संकेत क्या है?

- एक भौगोलिक संकेत (**Geographical Indication**) का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिये किया जाता है, जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है।
- इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषताएँ एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है।
- उदाहरण के तौर पर- दार्जिलिंग की चाय, महाबलेश्वर की स्ट्राबेरी, जयपुर की ब्लू पोटरी, बनारसी साड़ी और तिरुपति के लड्डू ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध भौगोलिक संकेत हैं।

भौगोलिक संकेत का महत्त्व

- भौगोलिक संकेत किसी भी देश की प्रसिद्धि एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसार के कारक होते हैं।
- भारत सरकार का बहुप्रचारित 'मेक इन इंडिया' अभियान जी. आई. के अनुरूप ही है। जहाँ एक ओर 'मेक इन इंडिया' अभियान भारत की ताकत एवं विकास के संदर्भ में आशावादिता को व्यक्त करता है, वहीं जी.आई. टैग देश की समृद्ध संस्कृति एवं बौद्धिक विकास का प्रतीक है।
- विशिष्ट प्रकार के उत्पादों को जी.आई. टैग प्रदान किये जाने से दूरदराज़ के क्षेत्रों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिला है।
- अक्सर देखा गया है कि बहुत से कारीगरों, किसानों, बुनकरों और कारीगरों के पास अद्वितीय कौशल एवं परंपरागत प्रथाओं और विधियों का ज्ञान होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पारित होता है। देश की इस बहुमूल्य संस्कृति को संरक्षित तथा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

जहरीले रंजकों और धात्विक आयनों के अवशोषण में सक्षम जैल का विकास

इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज (Indian Association for Cultivation of Sciences- IACS), कोलकाता के वैज्ञानिकों ने एक नया हाइड्रोजैल विकसित किया है, जो अपशिष्ट जल से जहरीले जैविक रंजकों और धातु आयनों को हटा सकता है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस हाइड्रोजैल ने **15** मिनट के भीतर सामान्यतः उपयोग किये जाने वाले विभिन्न रंजकों, जैसे- मैलाकाइट ग्रीन, कांगो रेड, ब्रिलियंट ब्लू और रोडॉमाइन बी को अवशोषित करना शुरू कर दिया और अपशिष्ट जल लगभग बेरंग हो गया।
- हाइड्रोजैल लगभग **6** घंटे में औद्योगिक अपशिष्टों में सामान्यत: पाई जाने वाली कोबाल्ट और निकेल जैसी धातुओं को भी हटाने में सक्षम है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- जैल बनाने के लिये आधारभूत एमिनो अम्लों जैसे- लियूसीन और फेनिलएलैनिन का उपयोग किया गया।
- यह जैल बायोडिग्रेडेबल है अर्थात् यह पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना स्वत: प्राकृतिक सामग्रियों में विखंडित हो जाता है।
- यह कमरे के तापमान पर स्थिर और कई महीनों तक जैल के रूप में बना रहा।
- अपशिष्ट जल के उपचार के लिये प्रयोग की जाने वाली वर्तमान विधियाँ यथा सक्रिय कार्बन का प्रयोग करते हुए अवशोषण, रासायनिक अवक्षेपण (**Chemical Precipitation**) या विद्युत-रासायनिक तकनीक आदि उच्च ऊर्जा आवश्यकताओं अथवा जल के अपूर्ण उपचार के कारण प्रभावी नहीं हैं।
- वहीं तुलनात्मक रूप से पानी की उच्च पारगम्यता, अवशोषण के लिये अधिक सतही क्षेत्रफल और उपयोग करने में सरल होने के कारण यह हाइड्रोजैल-आधारित सामग्री खतरनाक कचरे को प्रभावी ढंग से हटाने में सक्षम है।
- हाइड्रोजैल संतृप्ति बिंदु तक पहुँचने से पहले कचरे को लगभग **60** घंटे तक अवशोषित कर सकता है। यह जैल **78-92%** रंगों और **80%** से अधिक धात्विक आयनों को हटाने में सक्षम है।
- इसे सोडियम बाइकार्बोनेट और एथिल एसीटेट से धोया जा सकता है और पुन: उपयोग किया जा सकता है।
- रंजक और धातु आयन पानी में घुलनशील होने के कारण जैल से बाहर निकल जाते हैं, अत: हाइड्रोजैल का चार चक्र तक उपयोग किया जा सकता है। अपशिष्ट जल के निस्तारण से पहले जल के प्रभावी उपचार में इसका उपयोग किया जा सकता है।

हीट स्ट्रेस के अनुकूलन में सहायक जीन की खोज

वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीन की पहचान की है, जो कोरल प्रजातियों के साथ सहजीविता संबंध रखने वाले शैवालों की गर्मी को सहन करने की क्षमता में सुधार कर उनके ग्लोबल वार्मिंग के अनुकूलन में सहायता कर सकता है।

प्रमुख बिंदु

- सऊदी अरब में राजा अब्दुल्ला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं ने रेट्रोट्रान्सपोसोन्स नामक विशेष जीनों की पहचान की है, जो सिम्बायोडिनियम शैवाल को हीट स्ट्रेस (**Heat Stress**-उष्मागत तनाव) के अनुकूल बनाने में तेज़ी ला सकते हैं।
- सिम्बायोडिनियम एककोशिकीय शैवाल है, जो मेजबान प्रवाल को पोषक तत्त्वों और आवास के बदले में प्रकाश-संश्लेषित उत्पाद उपलब्ध करवाता है।
- शोध टीम ने जब इस बात का विश्लेषण किया कि हीट स्ट्रेस की स्थिति में सिम्बायोडिनियम में कौन से जीन सक्रिय रहे और कौन से निष्क्रिय रहे, तो उन्होंने पाया कि हीट स्ट्रेस से जुड़े ज़्यादातर जीन निष्क्रिय हो गए थे, किंतु कुछ रेट्रोट्रान्सपोसोन्स जीन सक्रिय थे।
- रेट्रोट्रान्सपोसोन्स छोटे आनुवंशिक अनुक्रम (**Genetic Sequences**) है जिनमें मेजबान के जीनोम में नए स्थानों में अपनी प्रतिलिपि बनाने और स्थापित करने की क्षमता है। यह क्षमता इन्हें आनुवंशिक परजीवी बनाती है।
- सिम्बोडिनीमियम के रेट्रोट्रान्सपोसोन्स में यह लाभकारी उत्परिवर्तन विकासवादी प्रतिक्रिया को तीव्र कर सकता है।
- उच्च समुद्री तापमान से प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है, जिसमें प्रवाल और शैवालों का सहजीवी संबंध टूट जाता है और प्रवालों के ऊतकों से सिम्बायोडिनियम का व्यापक निष्कासन हो सकता है।
- यदि विरंजित कोरल ठीक नहीं हो पाते हैं तो भूख से उनकी मृत्यु हो जाती है और केवल कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित उनका बहि:कंकाल (**exoskeleton**) शेष रह जाता है।
- अब शोधकर्त्ता कोरल जीनोम के जाँच की योजना बना रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनमें भी रेट्रोट्रान्सपोसोन्स जीन पाए जाते हैं या नहीं।
- यदि ऐसा होता है तो उनकी हीट स्ट्रेस को सहन करने की क्षमता में अप्रत्याशित सुधार हो सकता है।
- उनकी सिम्बोडिनीमियम और उनके कोरल मेजबान दोनों में अधिक लचीले जीनोमों को प्रविष्ट कराने के लिये रेट्रोट्रान्सपोसोन्स की आण्विक मशीनरी का उपयोग करने की संभावना पर भी शोध करने की योजना है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

वर्ष 2017 में विलुप्त तथा संरक्षित हुई प्रजातियाँ

वर्ष 2017 में आई.यू.सी.एन. (International Union for Conservation of Nature – IUCN) की रेड लिस्ट में शामिल हुई विलुप्त प्रजातियों के विषय में जानकारी प्रदत्त की गई इस जानकारी के अनुसार, निम्नलिखित प्रजातियों को इसमें स्थान दिया गया है –

- क्रिसमस आइलैंड पिपिस्ट्रेल (**Christmas Island Pipistrelle) :** विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस द्वीप पर पाए जाने वाले इस छोटे चमगादड़ को पिछले वर्ष गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के रूप से सूचीबद्ध किया गया है।
- क्रिसमस आइलैंड व्हिपटेल-स्किंक (**Christmas Island Whiptail-skink) :** यह एक विशेष प्रकार की छिपकली होती है, जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड में पाई जाती है, इसे विलुप्त की श्रेणी में शामिल किया गया है।
- क्रिसमस आइलैंड के चैन्ड गेको (**Christmas Island chained gekho) :** इस प्रजाति को जंगली वर्ग की श्रेणी में विलुप्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, वर्तमान में यह सिर्फ एक बंदी प्रजनन कार्यक्रम (**captive breeding programme)** में पाया जाता है।
- गुंठर बौने-बौना खोपड़ी (**Gunthers Dwarf Burrowing skink) :** हालाँकि इस छिपकली जैसी प्रजाति (**skink)** के संबंध में पिछले **125** से अधिक वर्षों से कोई रिकॉर्ड दर्ज़ नहीं किया गया है, लेकिन मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली इस प्रजाति के विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में होने की आधिकारिक पुष्टि की गई है।

'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' (critically endangered) में शामिल प्रजातियाँ

- वेस्टर्न रिंगटैल पोसम (**Western Ringtail Possum) :** पिछले **10** वर्षों में इस प्रजाति की संख्या में लगभग **80** प्रतिशत की गिरावट दर्ज़ की गई है। ऑस्ट्रेलिया की शुष्क और गर्म जलवायु ने इस संदर्भ में नाटकीय रूप से वृद्धि की है।
- येलो ब्रेस्टेड बंटिंग (**Yellow-breasted Bunting) :** रोस्टिंग साइट की हानि और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग होने के कारण इनकी संख्या में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई है।
- मैदानों में पाए जाने वाले पक्षी (**Plains Wanderer) :** कीटनाशकों के संपर्क में आने, निवास स्थानों के नुकसान तथा लोमड़ियों द्वारा शिकार किये जाने के कारण इस बटेर जैसे पक्षी (**quail-like bird)** की संख्या में तेज़ी से कमी आई है।
- ग्रीन पॉइज़न फ्रॉग (**Green Poison Frog),** पेरेट टॉड (**Perret's Toad)** और रोज़ माउंटेन टॉड (**Rose's Mountain Toad)** को भी गंभीर रूप से लुप्तप्राय की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

आई.यू.सी.एन.
(International Union for Conservation of Nature – IUCN)

आईयूसीएन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाला विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन है। आईयूसीएन की स्थापना 5 अक्तूबर, 1948 को फ्राँस में हुई थी। इसकी पहली बैठक में दुनिया के 18 देशों के सरकारी प्रतिनिधियों, 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाले 107 राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया था।

- इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के ग्लांड शहर में अवस्थित है।

लक्ष्य

- इसका मूल लक्ष्य एक ऐसे विश्व का निर्माण करना है, जहाँ मूल्यों और प्रकृति का संरक्षण हो सके। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये आईयूसीएन प्रकृति की अखंडता और विविधता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिये वैश्विक समाज को प्रोत्साहित करता है।
- साथ ही यह प्राकृतिक संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग और पारिस्थितीकीय संरचना को बेहतर बनाने की दिशा में भी सक्रिय है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

रेड लिस्ट

- रेड लिस्ट इसी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत वर्ष **1963** में की गई थी। इसके अतिरिक्त, जैव विविधता, सतत् ऊर्जा, हरित अर्थव्यवस्था आदि भी इसके महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हैं।
- आईयूसीएन हर चौथे वर्ष पृथ्वी पर उपस्थित उन सभी प्रजातियों की सूची प्रकाशित करता है जो संकट में हैं। इस सूची को 'आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज़' **(IUCN Red List of Threatened Species)** कहा जाता है।
- गौरतलब है कि रेड लिस्ट दुनिया भर में फैले हज़ारों वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की जाती है, इसलिये दुनिया में जैव विविधता पर इसे सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय सूची माना जाता है।
- आईयूसीएन द्वारा जारी की जाने वाली इसी रेड लिस्ट के अंतर्गत भारत में उड़ने वाली गिलहरी, एशियाई सिंह, काले हिरण, गेंडे, गंगा डॉल्फिन, बर्फीले तेंदुए सहित अनेक जीवों को संकटग्रस्त करार दिया गया है।

अरुणाचल में गुलमेहंदी की चार और नई प्रजातियाँ पाई गई

पिछले वर्ष पूर्वी हिमालय में गुलमेहंदी की नई प्रजातियाँ खोजी गई थीं, एक बार फिर से केरल स्थित कालीकट विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं द्वारा गुलमेहंदी की चार नई प्रजातियाँ खोजी गई हैं।

- स्लोवाकिया के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग **(Department of Science and Technology)** तथा वनस्पति वर्गीकरण विज्ञान हेतु अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन **(International Association for Plant Taxonomy)** के सहयोग से परिशोध करते हुए शोधकर्त्ताओं की टीम द्वारा इन प्रजातियों की खोज की गई है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- ये प्रजातियाँ पूर्वी हिमालय, श्रीलंका, पश्चिमी घाट, दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका तथा मेडागास्कर तक फैली हुई है।
- इनके **जीन का वैज्ञानिक नाम इम्पेशेंस (Impatiens)** रखा गया है, चूँकि इसके फल अपने नाम के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं और छूने पर फट जाते हैं।
- ये प्रजातियाँ विविध रंगों वाली होती हैं और व्यवहार के अनुरूप, आमतौर पर इन्हें छुई-मुई कहा जाता है।
- इस शोध पत्र को इंटरनेशनल जर्नल **फाइटोटाक्सा (Phytotaxa)**और **वेब्बीया (Webbia)**में प्रकाशित किया गया है।
- अरुणाचल प्रदेश के स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व वैज्ञानिक हरीदासन के नाम पर इनका नाम **हरीदासन इम्पेशेंस (Impatiens Haridasanii)** रखा गया है।

बौद्ध संत भंते कुशोक बाकुला रिनपोचे

20 दिसंबर, 2017 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में दूरदर्शी बौद्ध संत भंते कुशोक बाकुला रिनपोचे पर एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया।

- इस प्रदर्शनी का आयोजन आधुनिक लद्दाख के निर्माता भंते कुशोक बाकुला की जन्म शताब्दी के अवसर पर किया गया। इस आयोजन का संचालन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की पूर्व एशिया कार्यक्रम इकाई द्वारा किया गया।
- भंते बाकुला रिनपोचे सक्रिय भिक्षु थे। उन्होंने शांति के लिये कार्य किया और विश्व के विभिन्न भागों में भगवान बुद्ध की शिक्षा का प्रसार किया।
- भंते रिनपोचे विश्व शांति, पर्यावरण संरक्षण तथा अंतर-मत संवाद के लिये काम करने वाले अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े रहे।
- भंते रिनपोचे एक धार्मिक गुरु और महान समाज सुधारक थे।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

संकल्प एवं स्ट्राइव योजना

स्ट्राइव योजना

भारत सरकार द्वारा 'औद्योगिक मूल्य संवर्द्धन परिचालन के लिये कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) परियोजना' हेतु 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर (समतुल्य) के आई.डी.ए. ऋण हेतु विश्व बैंक के साथ एक वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।

उद्देश्य

- इस परिचालन का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण एवं बाज़ार की मांग के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना है।
- इस परियोजना के परिणाम क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का बढ़िया प्रदर्शन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु सहायता के लिये राज्य सरकारों की बेहतर क्षमता, उत्कृष्ट शिक्षण एवं ज्ञान प्राप्ति और बेहतर एवं विस्तृत प्रशिक्षु (अप्रेंटिसशिप) प्रशिक्षण शामिल हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस परियोजना की समापन तिथि **30** नवंबर, **2022** निर्धारित की गई है।
- इस योजना का पूरा नाम **Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement-STRIVE** है।
- **2,200** करोड़ रुपए की केंद्र प्रायोजित योजना 'स्ट्राइव' के लिये विश्व बैंक द्वारा आधी राशि ऋण सहायता के रूप में दी जाएगी।
- इस योजना में आईटीआई के कार्य निष्पादन में संपूर्ण सुधार को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है।

संकल्प परियोजना

4,455 करोड़ रुपए की केंद्र प्रायोजित योजना संकल्प (पूरा नाम Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion-SANKALP) में विश्व बैंक द्वारा 3,300 करोड़ रुपए की ऋण सहायता शामिल है।

उद्देश्य

- संकल्प का उद्देश्य महिलाओं, अजा./अजजा. और दिव्यांगों सहित हाशिये पर पड़े समुदायों को बड़े पैमाने पर दक्षता प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करना है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- संकल्प योजना में प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकनकर्त्ता अकादमियों के स्वत: धारणीय (**Self Sustainable**) मॉडलों की स्थापना पर विचार किया जाएगा।
- प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में **50** से अधिक ऐसी अकादमियों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है।

इन दोनों योजनाओं में क्या विशेष है?

- यह संरचना भारत में व्यावसायिक इतिहास में पहली बार विभिन्न केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र के संस्थानों पर ध्यान देगी, जिसके फलस्वरूप गतिविधियों का दोहराव नहीं होगा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण में एकरूपता आने से इसका बेहतर प्रभाव होगा।
- इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य दक्षता विकास मिशन, राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम, क्षेत्रीय दक्षता परिषद, आईटीआई और राष्ट्रीय दक्षता विकास एजेंसी आदि जैसी संस्थाओं के दक्षता विकास प्रशिक्षण की गुणवत्ता के लिये सुदृढ़ पद्धति का विकास करना है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- ये योजनाएँ राष्ट्रीय गुणवत्ता एश्योरेंस फ्रेमवर्क सहित राष्ट्रीय दक्षता अर्हता फ्रेमवर्क के केंद्र एवं राज्य सरकारों की दक्षता विकास योजनाओं के सापेक्ष इनके वैश्वीकरण को सहायता प्रदान करेंगी और इस प्रकार दक्षता, विषय-वस्तु एवं उत्पाद के मानकीकरण को सुनिश्चित किया जाएगा।
- ये योजनाएँ राष्ट्रीय दक्षता विकास मिशन **2015** और इसके विभिन्न उप-मिशनों को अपेक्षित महत्त्व प्रदान करेंगी।
- ये योजनाएँ 'मेक इन इंडिया' और 'स्वच्छता अभियान' जैसे भारत सरकार के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों के अनुरूप हैं और इनका उद्देश्य घरेलू एवं विदेशी आवश्यकताओं के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी कार्यबल को विकसित करना है।
- **700** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महत्त्वाकांक्षा रखने वाले लाखों लोगों को रोज़गार उन्मुख दक्षता प्रशिक्षण देने के लिये स्थापित किये जा रहे हैं।
- चुने हुए क्षेत्रों एवं भौगोलिक स्थानों पर ऐसे संस्थानों की स्थापना हेतु प्रस्तावों का चयन करने के लिये नवाचार चुनौती निधि मॉडल को लागू किया गया है।
- देश भर में **500** आईटीआई को मॉडल आईटीआई के रूप में प्रोन्नत करके तथा उनकी उद्योग संबद्धता पर विचार किया जा रहा है, जिनमें ऑनलाइन परीक्षा, केंद्रीकृत दाखिला, दक्षता में सुधार और प्रणाली में पारदर्शिता जैसे सुधारों का उपयोग किया जाएगा।
- ये योजनाएँ दक्षता के विकास में प्रणाली के माहौल को अनुकूल बनाएंगी और उद्योगों को दक्षता प्राप्त कार्यबल की सतत् आपूर्ति द्वारा देश के 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' सूचकांक में वृद्धि करेंगी।
- बेहतर उद्योग संबंध और गुणवत्ता विश्वास के माध्यम से ये योजनाएँ दक्षता विकास कार्यक्रमों के प्रति आकांक्षाओं के महत्त्व की दिशा में भी काम करेंगी।

पहली डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल सीरिज़

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से टाटा मैमोरियल सेंटर (Tata Memorial Center) द्वारा डिज़ाइन की गई देश की पहली डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल सीरिज़ (Online Oncology Tutorial Series) को लॉन्च किया है।

उद्देश्य

- ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल सीरिज़ का उद्देश्य देश भर के डॉक्टरों को विभिन्न तरह की कैंसर बीमारी की जल्द पहचान करने, रोकथाम, दर्द में कमी लाने, पुनर्वास तथा उपचार के बारे में प्रशिक्षित और शिक्षित करना है।
- राज्य सरकारों के सहयोग से देश भर में टाटा मैमोरियल सेंटर द्वारा चलाया जाएगा।

लाभ

- यह दूरदर्शी कदम है, जो देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत बनाने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगा। इससे डॉक्टरों को नियमित रूप से अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- इससे अनेक लोगों की जान बचाई जा सकेगी और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकेगी।
- भारत सरकार के डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्रालय तथा टाटा मैमोरियल सेंटर (भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त कैंसर सेंटर) की इस पहल से लाखों डॉक्टरों तक पहुँच बनाने में सफलता हासिल होगी, विशेषकर उनसे जिनके पास शारीरिक रूप से सम्मेलनों, सीएमई में भाग लेने का समय नहीं है।

महत्त्वपूर्ण विशेषाएँ

- यह पाठ्यक्रम फिजिशियनों, स्त्री रोग विशेषज्ञों, दाँत के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा के ऐसे पेशेवर लोगों के लिये है, जो ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं हैं, लेकिन कैंसर का शीघ्र पता लगाने और उपचार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- उन्हें ऑन्कोलॉजी की बुनियादी बातों के संबंध में आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान किया जाएगा, ताकि वे बीमार व्यक्ति को आगे रेफर कर सकें।
- इसके तहत ऑनलाइन वीडियो लेक्चर तैयार किये गए हैं, ताकि साक्ष्य आधारित दिशा-निर्देशों तथा कैंसर प्रबंधन कौशल के साथ ऑन्कोलॉजिस्ट को अद्यतन रखा जा सके।
- संपूर्ण पाठ्यक्रम सात सप्ताह का है। इसमें कैंसर की विभिन्न साइटों तथा सब-साइटों पर आधारित विभिन्न मॉड्यूल हैं।
- इसमें **40** वीडियो लेक्चर, केस स्टडी, मूल्यांकन, प्रश्नावली तथा टाटा मैमोरियल अस्पताल के संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ इंटरएक्टिव वेबिनार के ज़रिये **14** घंटे का व्यापक ई-लर्निंग कार्यक्रम शामिल किया गया है।
- इस ट्यूटोरियल में सेल्फ पेस्ड ई-लर्निंग (**self-paced e-learning)** के साथ ब्लेनडेड लर्निंग डिलीवरी मॉडल (**blended learning delivery model)** और टाटा मैमोरियल अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ समय-समय पर हुए वेबिनार इंटरएक्शन (**periodic webinar interactions)** आदि को भी शामिल किया गया है।
- इसमें निरंतर वैज्ञानिक अद्यनता और एंड ऑफकोर्स ऑनलाइन एसेसमेंट की भी व्यवस्था की गई है।

हिमाचल प्रदेश में होगी AIIMS की स्थापना

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Science-AIIMS) की स्थापना को मंज़ूरी दी है। संस्थान की स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की जाएगी। परियोजना की लागत 1351 करोड़ रुपए है।

मुख्य विशेषताएँ

- नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निर्माण **48** महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इसका पूर्व निर्माण-चरण **12** महीने का, निर्माण-चरण **30** महीने का और शुरू होने का चरण **6** महीने का रखा गया है।
- संस्थान में **750** बिस्तरों की क्षमता और ट्रॉमा सेंटर की सुविधा वाला एक अस्पताल बनाया जाएगा। संस्थान के तहत एक मेडिकल कॉलेज भी होगा, जिसमें प्रतिवर्ष **100** एमबीबीएस छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।
- पारंपरिक औषधि प्रणाली के तहत उपचार सुविधाएँ प्रदान करने के लिये एक आयुष विभाग भी निर्मित किया जाएगा।

प्रभाव

- नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना से दोहरे उद्देश्य को पूरा किया जाएगा, जिसमें लोगों को सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाएंगी।
- इसके अलावा क्षेत्र में चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य सेवियों का समूह सृजित किया जाएगा, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राथमिक तथा द्वितीयक स्तर के संस्थानों/सुविधाओं के लिये सेवाएँ देंगे।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY)

- यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है।
- इसकी घोषणा **2003** में की गई थी और मार्च **2006** में इसे मंजूरी दी गई थी।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (**PMSSY)** का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में सस्ती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की विसंगतियों को दूर करना और विशेष रूप से राज्यों में गुणवत्तापूर्ण और बेहतर चिकित्सीय शिक्षा के लिये सुविधाओं का विस्तार करना है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

PMSSY के दो घटक हैं

1. एम्स (AIIMS) जैसे संस्थानों की स्थापना
2. सरकारी मेडिकल कॉलेज संस्थानों का उन्नयन (Upgradation)

- इस योजना के तहत भुवनेश्वर, भोपाल, रायपुर, जोधपुर, ऋषिकेश और पटना में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की स्थापना की जा चुकी है तथा रायबरेली में संस्थान का निर्माण प्रगति पर है। इसके अलावा **2015** में नागपुर (महाराष्ट्र), कल्याणी (पश्चिम बंगाल) तथा गुंटूर (आंध्र प्रदेश) के मंगलागिरि में तीन संस्थानों को और **2016** में भटिंडा तथा गोरखपुर में एक-एक संस्थानों को मंजूरी दी गई है। कामरूप (असम) में भी एक संस्थान को स्वीकृति दी गई है।

दुनिया की पहली 'स्पीड ब्रीडिंग' (Speed Breeding) तकनीक

ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्त्ताओं ने दुनिया की पहली स्पीड ब्रीडिंग तकनीक विकसित की है। इससे गेहूं सहित अन्य अनाजों का उत्पादन तीन गुना तक बढ़ाया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

- नासा के वैज्ञानिकों ने इस तकनीक का इस्तेमाल अंतरिक्ष में गेहूँ उगाने के लिये किया था, जिसके तहत गेहूं पर लगातार प्रकाश का उपयोग किया था और ब्रीडिंग क्षमता बढ़ गई थी।
- ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्त्ताओं ने अब पृथ्वी पर इस तकनीक से कम समय में अनाज उगाने में सफलता पाई है। इस तकनीक के द्वारा डीएस फराडे नामक गेहूँ की प्रजाति को विकसित किया गया है।
- इस तकनीक द्वारा ग्लासहाउस में एक साल में गेहूँ, काबुली चना और जौ की छ: तथा तिलहन की चार प्रजातियाँ उगाई जा सकती हैं। परंपरागत तरीके से ग्लासहाउस में किसी भी अनाज की दो से तीन, जबकि खेतों में केवल एक ही प्रजाति उगाई जा सकती है।

स्पीड ब्रीडिंग तकनीक

- वर्तमान में ग्लासहाउस में उच्च-दबाव युक्त सोडियम वाष्प लैंप (**High-Pressure Sodium Vapor Lamps**) का प्रयोग किया जाता है, किंतु बिजली की मांग के मामले में ये काफी महँगे हैं।
- शोधकर्त्ताओं ने इसके स्थान पर **LED** बल्ब का प्रयोग किया क्योंकि यह प्रतिदिन **22** घंटे तक अधिक दक्षता के साथ अधिक तीव्रता का प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है।
- इस प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो गया है कि अधिक देर तक प्रकाश देकर और बाहरी दशाओं को नियंत्रित कर फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है।
- इस तकनीक का वर्टीकल फार्मिंग सिस्टम में भी प्रयोग किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार **2050** तक वर्तमान से **80** फीसद अधिक अनाज की ज़रूरत होगी। ऐसे में यह तकनीक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में काफी सहायक हो सकती है
- वर्तमान में गेहूँ की आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्म (**GM Crop**) को व्यावसायिक रूप से नहीं उगाया जाता है। इस तकनीक को जीएम तकनीक से जोड़कर अनाज की पैदावार को अप्रत्याशित स्तर तक बढ़ाया जा सकता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

लोकसभा द्वारा नाबार्ड संशोधन विधेयक, 2018 पारित

लोकसभा ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2018 में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को मंज़ूरी प्रदान कर दी है।

नाबार्ड अधिनियम, 1981 में निम्नलिखित संशोधनों को पारित किया गया है

- विधेयक में बैंक की प्राधिकृत पूंजी को **5000** करोड़ रुपए से बढ़ाकर **30,000** करोड़ रुपए कर दिया गया है तथा आरबीआई की सलाह से केंद्र सरकार इसमें वृद्धि भी कर सकती है।
- नाबार्ड में आरबीआई की **0.4%** की हिस्सेदारी होने से आरबीआई इसकी शेयरधारक और विनियामक दोनों बनी हुई थी। इस हिस्सेदारी को केंद्र सरकार को स्थानांतरित कर दिया गया है।
- 'लघु स्तर के उद्योग' और 'छोटे और विकेंद्रित क्षेत्र में उद्योग' जैसे शब्दों को 'सूक्ष्म उद्यम', 'लघु उद्यम' और 'मध्यम उद्यम' जैसे शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया है।
- नाबार्ड अधिनियम में अब कंपनी अधिनियम, **1956** की बजाय कंपनी अधिनियम, **2013** के संदर्भों का प्रयोग किया जाएगा।

लाभ

- सरकार के पास ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक विकास पर व्यय करने के लिये अधिक रकम उपलब्ध रहेगी।
- नाबार्ड के दायरे में कुटीर उद्योग के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के आ जाने से इन्हें स्किल इंडिया से संबद्ध कर रोज़गार सृजन में तेज़ी लाई जा सकेगी।
- नाबार्ड में आरबीआई की हिस्सेदारी सरकार को अंतरित करने से हितों के टकराव की स्थिति का समाधान होगा।
- इन संशोधनों से सरकार को **2022** तक किसानों की आय दुगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

क्या है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)?

- यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिये शीर्ष विकास बैंक के रूप में कार्य करता है।
- शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद के एक अधिनियम द्वारा **12** जुलाई, **1982** में इसकी स्थापना की गई थी।
- इसे समन्वित ग्रामीण विकास के संवर्द्धन और समृद्धि हासिल करने के लिये कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामोद्योगों, हस्तशिल्प, ग्रामीण शिल्प और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य अनुषंगी आर्थिक गतिविधियों के लिये ऋण उपलब्ध कराने एवं उसका विनियमन करने का अधिदेश दिया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

अंतरिक्ष में अज्ञात सूक्ष्मजीवों की पहचान
Unknown Microbes Identified in Space

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station – ISS) पर स्थित अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार अंतरिक्ष में ही अज्ञात सूक्ष्मजीवों (Microbes) की पहचान की है। इनमें परीक्षण के लिये नमूनों को पृथ्वी पर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी।

प्रमुख बिंदु

- इस परीक्षण को दो हिस्सों में किया गया।
- पहले सूक्ष्मजीव के नमूनों का संग्रह किया गया और पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन (**Polymerase Chain Reaction-PCR)** द्वारा उनका प्रवर्धन किया गया।
- तत्पश्चात् सूक्ष्मजीवों का अनुक्रमण कर उनकी पहचान की गई।
- परीक्षण के बाद नमूनों को पृथ्वी पर भेजा गया, ताकि अंतरिक्ष स्टेशन में प्राप्त निष्कर्षों की पुष्टि के लिये प्रयोगशालाओं में पुन: जैव-रासायनिक और अनुक्रमण परीक्षण (**Biochemical and Sequencing Tests)** किये जा सके। हर बार स्टेशन पर और पृथ्वी पर प्राप्त परिणाम समान पाए गए।

लाभ

- अंतरिक्ष में सूक्ष्मजीवों की पहचान करने की क्षमता हासिल होने से अंतरिक्ष यात्रियों के रोगों की जाँच और इलाज करने में आसानी होगी।
- अन्य ग्रहों पर डीएनए आधारित जीवन की पहचान में सहायता मिलेगी।
- नमूनों को पृथ्वी पर लाए बिना जाँच करने से समय और धन की बचत होगी।

अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (International Space Station)

- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को ऑर्बिटल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह पृथ्वी की निम्न कक्षा (**Lower Orbit)** में स्थापित एक चमकीला और बड़ा अंतरिक्ष यान है। इसकी सही अवस्थिति की जानकारी होने पर इसे रात में बिना टेलिस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है।
- **1998** में इसके पहले भाग को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। अंतरिक्ष स्टेशन एक अद्वितीय विज्ञान प्रयोगशाला है, जहाँ ऐसे प्रयोग किये जाते हैं, जो पृथ्वी पर संभव नहीं है।
- इसका निर्माण पाँच स्पेस एजेंसियों-संयुक्त राज्य अमेरिका की नासा (**NASA),** रूस की रोस्कोस्मोस (**ROSCOSMOS),** यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (**ESA),** कनाडा अंतरिक्ष एजेंसी (**CSA)** और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (**JAXA)** द्वारा मिलकर किया गया है।
- यह औसतन **220** मील (**400** किमी.) की ऊँचाई पर **17500** मील प्रति घंटे (**28000** किमी. प्रति घंटे) की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगाता है अर्थात् हर **90** मिनट में यह पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है।

सबसे छोटा स्तनपायी जीव

भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार उत्तराखंड के कुमाऊँ में अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी (scot wildlife sanctuary) और गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी क्षेत्र में सबसे छोटे स्तनपायी जीव वाटर श्रु यानी जल कर्कशा (water shrew) की उपस्थिति दर्ज़ की गई।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

जल कर्कशा की विशेषताएँ

- सबसे छोटे स्तनपायी जीवों में शुमार जल कर्कशा दिखने में एकदम चूहे के जैसा है।
- यह जीव जल-थल दोनों में पाया जाता है।
- इस जीव को आई.यू.सी.एन. द्वारा संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में रखा गया है।
- यह नदी की धारा के विपरीत तैरने में सक्षम होता है।
- यह भोजन के रूप में छोटी मछलियों का शिकार करता है।
- इसका प्राकृतिक वासस्थल **1500** से **4000** मीटर की ऊँचाई तक होता है।

प्रमुख बिंदु

- विश्व भर में अभी तक इस जीव की केवल **13** प्रजातियाँ ही पाई गई हैं, ये प्रजातियाँ उत्तरी-दक्षिणी एशिया, दक्षिणी चीन एवं पूर्वी नेपाल में पाई जाती हैं।
- भारत में यह प्रजाति अभी तक केवल सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती थी।

'खेलो इंडिया लोगो' का शुभारंभ

केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत की ताज़गी, चपलता और जीवन शक्ति को दर्शाते आकर्षक 'खेलो इण्डिया लोगो' का शुभारंभ किया गया। यह लोगो अनुरूपता और प्रतियोगितात्मकता के प्रभाव को दर्शाता है।

प्रमुख बिंदु

- यह खेलों के विकास के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम, खेलो इंडिया सामूहिक सहभागिता और खेलों में प्रगति की उत्कृष्टता के दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होगा।
- ओगिलवी इंडिया (**Ogilvy India**) द्वारा तैयार किये गए तीन-स्ट्रोक 'खेलो इंडिया लोगो' **(three-stroke Khelo India logo)** में प्रतिरूपकता है, जिसमें अनगिनत सचित्र रूपों में अनुकूलनशीलता और लचीलापन शामिल है।
- यह भारतीय ध्वज का रंग, राष्ट्रीय गौरव और दल-भावना का संचार करता है।

खेलो इंडिया कार्यक्रम

- केंद्र सरकार ने देश में खेलों को बढ़ावा देने और नई प्रतिभाओं को तलाशने के उद्देश्य से पिछले वर्ष राजीव गांधी खेल योजना, शहरी खेल संरचना योजना और प्रतिभा खोज योजना का विलय कर इनके स्थान पर 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम शुरू किया था।
- उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी खेल योजना यूपीए सरकार ने **2014** में शुरू की थी, जिसे पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के स्थान पर शुरू किया गया था।
- इस कार्यक्रम को व्यक्तिगत विकास, सामुदायिक विकास, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास के रूप में खेलों की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा।
- इस कार्यक्रम का प्रभाव संरचना, सामुदायिक खेल, प्रतिभा की खोज, उत्कृष्टता के लिये प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्द्धागत ढाँचा तथा खेल की अर्थव्यवस्था सहित संपूर्ण खेल प्रणाली पर पड़ेगा।
- इसके अलावा सरकार ओलंपिक की तैयारियों के लिये पहले ही से 'ओलंपिक पोडियम' कार्यक्रम चला रही है।
- साथ ही सरकार द्वारा मेडल जीतने की संभावना वाले खिलाड़ियों को विदेशों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की गई है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

उद्देश्य

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य अशांत एवं सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में रह रहे युवा वर्ग को अनुत्पादक एवं विध्वंसकारी गतिविधियों से हटाकर खेलकूद के क्रियाकलापों से जोड़कर राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में मुख्यधारा से जोड़ना है।
- इस कार्यक्रम में स्कूल और कॉलेज दोनों ही स्तरों पर प्रतिस्पर्द्धा के मानकों का स्तर बढ़ाना और खेलकूद प्रतियोगिताओं तक बच्चों की अधिकतम पहुँच कायम करना है।
- इसमें खेल संवर्द्धन के सभी पहलुओं, जैसे-खेल प्रशिक्षण के ज्ञान के विस्तार के लिये मोबाइल एप के इस्तेमाल, प्रतिभा की खोज के लिये राष्ट्रीय प्रतिभा खोज पोर्टल, स्वदेशी खेलों के लिये इंटरेक्टिव वेबसाइट, खेल संरचना की तलाश एवं इस्तेमाल के लिये जी.आई.एस. सूचना प्रणाली के नवीनतम उपभोक्ता अनुकूल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल शामिल है।
- इस कार्यक्रम में 'सभी के लिये खेल' के साथ-साथ 'उत्कृष्टता के लिये खेल' की भावना पर ज़ोर दिया गया है।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण नीति

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2014 पर अधीनस्थ विधान समिति (Committee on Subordinate Legislation – COSL) द्वारा अपनी 11वीं रिपोर्ट में एक 'राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण नीति' (National Tobacco Control Policy) का निर्माण करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सचिवों की एक अंतर्मंत्रालयी समिति (Inter-Ministerial Committee) का गठन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन पर निषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, **2003 [Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003]** के विभिन्न प्रावधानों के प्रवर्तन का उत्तरदायित्व राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर हैं।
- वर्ष **2007-08** में परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (**National Tobacco Control Programme – NTCP)** को शुरू किया गया, जिसका एक उद्देश्य सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, **2003** के तहत प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना भी था।
- एन.टी.सी.पी. के तहत राज्य और ज़िला स्तरीय समन्वय समितियाँ इसके कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिये हैं।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्टें और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समीक्षा बैठकें कार्यक्रम के कार्यान्वयन के निगरानी तंत्र का गठन करती हैं।
- इसके अतिरिक्त राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (**Programme Implementation Plan – PIP)** प्रक्रिया के माध्यम से अपने राज्य में आयोजित वार्षिक गतिविधियों का ब्योरा प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ (**National Tobacco Control Cell)** द्वारा इसकी जाँच की जाती है।
- इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (**National Programme Coordination Committee – NPCC)** की बैठकों के दौरान विचार-विमर्श किया जाता है।
- सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद (संशोधन) नियमावली, **2011** के साथ पठित सीओटीपीए, **2003** की धारा **6** (क) के अनुसार, **18** वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक है
- धारा **6** (ख) के अनुसार, किसी शैक्षिक संस्थान के **100** गज की परिधि के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी निषेध है।
- यदि इन धाराओं का उल्लंघन किया जाता है तो इसी के अनुसार उल्लंघनकर्त्ताओं पर जुर्माना लगाकर कार्यवाई की भी व्यवस्था की गई है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

शनि के टाइटन पर पृथ्वी के जैसी समानताएँ

खगोलविदों द्वारा नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान की सहायता से शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का मानचित्रण तैयार किया गया है। इस प्रक्रिया में खगोलविदों द्वारा यह पाया गया कि टाइटन की भौगोलिक विशेषताएँ बहुत हद तक पृथ्वी के समान ही हैं।

प्रमुख बिंदु

- विभिन्न स्रोतों से तैयार किये गए इस मानचित्र में टाइटन के सभी भौगोलिक स्थलों से प्राप्त डेटा को शामिल किया गया है।
- इसके अंतर्गत टाइटन के **700** मीटर से अधिक ऊँचाई वाले स्थानों के साथ-साथ गहराई वाले स्थानों को भी इंगित किया गया है।
- टाइटन की भौगोलिक स्थिति के संबंध में प्राप्त इस डेटा से यह जानकारी मिलती है कि इसके भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर दो स्थानों पर गड्ढे हैं, जिनके काफी प्राचीन होने की संभावना है।
- इतना ही नहीं, इन गड्ढों के संबंध में खगोलविदों का अनुमान यह है कि इन गड्ढों में समुद्र अथवा ज्वालामुखी के लावा का बहाव भी हो सकता है।
- यह मानचित्र टाइटन की जलवायु का मॉडल बनाने के साथ-साथ इसके आकार, संरचना और गुरुत्वाकर्षण को समझने में भी बेहद लाभकारी साबित होगा।
- इस संबंध में खगोलविदों का अनुमान है कि टाइटन के विषय में यह भी संभव है कि इसकी ऊपरी सतह पूर्व के अनुमान से कहीं ज़्यादा परिवर्तनशील हो सकती है।

कैसिनी मिशन क्या है?

- कैसिनी-ह्यूजेन्स **(Cassini–Huygens)** एक मानव रहित अंतरिक्ष यान है, जिसे शनि ग्रह पर भेजा गया था।
- शनि ग्रह पर भेजा गया यह चौथा, जबकि इसकी कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है।
- इसके डिज़ाइन में एक शनि ऑर्बिटर **(Saturn orbiter)** और इसके चंद्रमा टाइटन के लिये एक लैंडर **(lander)** शामिल है। लैंडर (जिसे ह्यूजेन्स कहा गया है) को वर्ष **2005** में टाइटन पर उतारा गया था।
- इस अंतरिक्ष यान को **15** अक्तूबर, **1997** को लॉन्च किया गया था।
- बाह्य सौरमंडल में उतारा गया यह पहला अंतरिक्ष यान था।

मिशन के उद्देश्य

- शनि ग्रह के छल्लों की त्रिविमीय आकृति और उनके गतिशील व्यवहार का निर्धारण करना।
- उपग्रह की सतहों और पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु के भू-वैज्ञानिक इतिहास के संगठन का निर्धारण करना।
- आइपेटस **(Iapetus)** के अग्रणी गोलार्द्ध में उपस्थित काले पदार्थ **(dark material)** की उत्पत्ति और स्वरूप का निर्धारण करना।
- चुंबकीय क्षेत्र **(magnetosphere)** की त्रिविमीय संरचना और गतिशील व्यवहार का मापन करना।
- बादलों के स्तर **(cloud level)** पर शनि ग्रह के वायुमंडल के गतिशील व्यवहार का अध्ययन करना।
- टाइटन के बादलों और धूल के समय के साथ परिवर्तित होते स्वरूप का अध्ययन करना।
- क्षेत्रीय स्केल पर टाइटन की सतह की विशेषताओं का अध्ययन करना।

अरुणाचल प्रदेश में भारत का दूसरा एफ.टी.आई.आई.

अरुणाचल प्रदेश में राज्य का पहला फिल्म एवं टेलीविज़न इंस्टीट्यूट (Film and Television Institute) स्थापित किया जाएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इसे केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र (**Northeastern Region**) की क्षमता में वृद्धि करने के संदर्भ में स्थापित किया जा रहा है। यह अपनी तरह का देश में दूसरा ऐसा संस्थान होगा।
- पहले फिल्म एवं टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (**Film and Television Institute of India – FTII**) की स्थापना पुणे में की गई थी।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय (**Information and Broadcasting Ministry**) के तहत संचालित एफ.टी.आई.आई. एक स्वायत्त संस्थान है।

लेट्टे लेवी (Latte levy)

ब्रिटेन द्वारा डिस्पोज़ेबल कॉफी कप (Disposable Coffee Cups) की खपत को रोकने के लिये एक 'लेट्टे टैक्स' (latte Tax) लागू करने पर विचार किया जा रहा है। प्रत्येक कॉफी की सेल पर 50 सेंट का शुल्क अधिरोपित किया जाएगा।

- इस निर्णय का उद्देश्य लोगों को पुन: प्रयोज्य (**Reusable**) कॉफी कप का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित करना है।
- यूके में प्रत्येक एक मिनट में **500** कॉफी कप एक बार फेंक दिये जाते हैं।
- इस संबंध में सबसे अधिक मात्रा में फेंके जाने वाले कप रीसाइक्लेबल नहीं होते हैं, इनमें से अधिकतर या तो प्लास्टिक के बने होते हैं या उन पर पॉलिथीन से लेमिनेशन हुआ होता है। इसे रीसाइक्लिंग करना कठिन है।
- इसके साथ-साथ एक अन्य मुद्दा यह है कि अधिकांश रीसाइक्लिंग सुविधाएँ उनकी पुनरावृत्ति करने के लिये तैयार नहीं हैं।

तंबाकू कट्वोर्म कीट की जीनोम सिक्वेंसिंग

भारत, चीन और जापान के वैज्ञानिकों के एक समूह ने आणविक जीव विज्ञान तकनीकों का उपयोग करते हुए इन कीटों की विनाशकारी प्रकृति के कारण को खोजने का दावा किया है। उन्होंने इसके जीनोम का अनुक्रम करके इनकी कार्य-प्रणाली क्रिया को समझ लिया है।

- लगभग **100** से अधिक फसलों के विनाश का कारण तंबाकू कट्वॉर्म (**tobacco cutworm**), जिसे जापान में 'नाईट थीफ' के रूप में भी जाना जाता है, पूरे एशिया में एक प्रमुख कीट के रूप में उभर रहा है।
- तंबाकू कट्वॉर्म या स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा **10** से **30%** के फसल-उपज नुकसान का कारण बनता है। ये कीट व्यापक रूप से एशिया के उष्णकटिबंधीय और उप-उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, विशेषतया भारत, चीन और जापान में।
- अरंडी, कपास, मूँगफली, मिर्च, सूरजमुखी, दाल आदि इन कीटों के कारण प्रभावित होने वाली प्रमुख फसलों में शामिल है।
- ये कीट उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में तेजी से फैलते हैं। इनका छोटा जीवन चक्र और इनकी आबादी में वृद्धि तथा प्रकोप की उच्च दर के कारण फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिये विनाशक माने जाते हैं।
- इसे 'नाईट थीफ' का उपनाम इसलिये दिया गया है, क्योंकि यह रात के दौरान फसल को नुकसान पहुँचाता है और दिन में मिट्टी में गायब हो जाता है। इसके अलावा इन कीटों ने हर वर्ग के कीटनाशकों के लिये प्रतिरोधकता विकसित कर ली है।

अनुसंधान परियोजना

- इस प्रोजेक्ट के तहत एक ही सामान्य प्रजाति से होने के कारण स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा और रेशमकीट (**Silkworm**) की आनुवंशिक संरचना, विविधताओं और मान्यताओं का अध्ययन किया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार, स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा जैसे प्रमुख कीटों को नियंत्रित करने हेतु नई कीट प्रबंधन रणनीति की आवश्यकता है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, दक्षिण भारत-दक्षिण चीन-जापान अक्ष के सहारे तंबाकू कट्वॉर्म दक्षिण पूर्व एशिया में फैला।
- वैज्ञानिकों ने इस कीट के फैलाव में जापान और चीन में टाइफून तथा भारत में मानसून की भूमिका होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस मार्ग में यह अपनी विषहरण प्रणाली(**Detoxification Systems)** के साथ विभिन्न मेजबान पौधों और कीटनाशकों के साथ बदलती हुई पारिस्थितिक परिस्थितियों में अच्छी तरह से अनुकूलित हो गया।
- इस कीट में एक असाधारण गुण यह है कि यह फसल में विष की पहचान करके इसे शीघ्र ही बेअसर कर सकता है। यह विभिन्न पौधों में इसे दोहराता है।
- वैज्ञानिकों ने कीट की इस विशेषता को समझ लिया है**,** जो अब तक अज्ञात थी।

एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय त्योहार

केंद्र सरकार इस वर्ष मेड़ाराम के साम्मका-सरका/सरलाम्मा जतारा को राष्ट्रीय त्योहार घोषित करने का विचार कर रही है। यह तेलंगाना के जयशंकर ज़िले में आयोजित किया जाता है।

सरका/सरलाम्मा जतारा

- तेलंगाना और पड़ोसी राज्यों की घुमंतू जनजाति 'कोया' द्वारा आयोजित किये जाने वाले इस साम्मका-सरका/सरलाम्मा जतारा अथवा मेदाराम जतारा को एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय त्योहार माना जाता है।
- मेदाराम दंडकारण्य के एतुरनगरम वन्यजीव अभयारण्य **(Eturnagaram Wildlife Sanctuary)** वाले हिस्से में अवस्थित है।
- इस त्योहार को द्विवार्षिक **(Bi-annually)** स्तर पर देवी साम्मका और उनकी बेटी साराका का सम्मान करने के लिये आयोजित किया जाता है। इस बार यह **31** जनवरी से आयोजित किया जाएगा।
- इस त्योहार की पृष्ठभूमि में दो आदिवासी महिला नेताओं के बारे में एक प्रचलित मिथक है। इसके अनुसार उन्होंने अपने जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिये काकतेय वंश के शासकों के खिलाफ युद्ध किया था।
- एक बार राष्ट्रीय त्योहार घोषित किये जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक**,** वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के 'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' के लिये जतारा पर विचार किया जा सकता है।

प्रवासी सांसद सम्मेलन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में प्रथम प्रवासी सांसद सम्मेलन, 'उभरता भारत-प्रवासी सांसदों की भूमिका' का उद्घाटन किया गया। नीति आयोग द्वारा तैयार 2020 तक के लिये कार्य एजेंडा में प्रवासियों का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

- विश्व के **20** से अधिक लोकतंत्रों के भारतीय मूल के सांसदों का यह सम्मेलन श्रेष्ठ संसदीय व्यवहारों को साझा करने तथा अपने अनुभवों से एक-दूसरे को समृद्ध बनाने के लिये है।
- इस सत्र में प्रतिष्ठित प्रवासी सांसदों ने अपने अनुभवों को साझा किया और बताया कि कैसे अभी तक शांति और सौहार्द्र के ज़रिये भारत में अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और पुरखों की मान्यताओं को अपनाए हुए हैं।
- प्रधानमंत्री द्वारा विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की समस्याओं पर निरंतर रूप से नज़र रखने के लिये विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की सराहना भी की गई।
- इस सम्मेलन में **23** देशों से भारतीय मूल के तकरीबन **140** से अधिक सांसदों व मेयरों द्वारा भाग लिया गया।

प्रवासी भारतीय दिवस

- प्रवासी भारतीय दिवस**,** भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष **9** जनवरी को मनाया जाता है। **16**वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन सिंगापुर में किया जा रहा है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- ध्यातव्य है कि सन् **1915** में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा देकर हमेशा के लिये भारतीयों का जीवन बदल दिया था।
- दरअसल, भारत सरकार द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत सन् **2003** में, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान हुई।
- इस अवसर पर प्रायः तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दौरान किसी भी देश में अपने कार्यक्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले भारतवंशियों का सम्मान किया जाता है तथा उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया जाता है।

उद्देश्य

प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्देश्य है-

- प्रवासी भारतीय समुदाय की उपलब्धियों का उत्सव मनाना।
- उनकी सफलताओं पर गर्व करना।
- अप्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति सोच, भावनाओं की अभिव्यक्ति तथा देशवासियों के साथ मिलने-जुलने और संपर्क बनाने हेतु एक मंच उपलब्ध कराना।
- विश्व के सभी देशों में रह रहे अप्रवासी भारतीयों को एक नेटवर्क से संबद्ध करना।
- विदेशों में रह रहे भारतीय श्रमजीवियों की कठिनाइयों के विषय में जानना तथा उन्हें दूर करने के प्रयास करना।
- निवेश के अवसरों में वृद्धि करना।

ब्रह्मांड का सबसे छोटा सितारा

कैंब्रिज के वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड के सबसे छोटे तारे की खोज की गई है। इस तारे का नाम ईबीएलएम जे 0555-57 है। यह तारा तकरीबन 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है।

- यह शनि ग्रह की तुलना में आकार में बड़ा है।
- इसकी कक्षा में पृथ्वी के आकार के ग्रह होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
- साथ ही इन ग्रहों में पानी की उपस्थिति की भी संभावना है।
- पृथ्वी की तुलना में इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल तकरीबन **300** गुना अधिक शक्तिशाली है।
- हाइड्रोजन नाभिक का संलयन हीलियम में करने के लिये पर्याप्त भार होने के साथ-साथ इसका आकार जितना छोटा हो सकता है, उतना है।
- इस अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स नामक एक जर्नल में प्रकाशित किया गया है।

विश्व का सबसे पुराना जीवाश्म

पीएलओएस बायोलॉजी नामक एक जर्नल में प्रकाशित एक शोधपत्र में विश्व के सबसे पुराने जीवाश्म के संबंध में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया।

- इस शोधपत्र के अनुसार, **1.2** बिलियन वर्ष पुराने लाल शैवाल के सबसे पुराने ज्ञात जीवाश्म की खोज की गई है।
- भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा **1.6** अरब वर्ष पुराने लाल जीवाश्म की खोज की गई है।
- इस जीवाश्म को उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से प्राप्त किया गया है।
- यह एक फॉस्फोरेट चट्टान के अंदर सायनोबैक्टीरिया के जीवाश्म में अंत:स्थापित है।
- परंतु इस संदर्भ में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस जीवाश्म में डीएनए मौजूद नहीं है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- यही कारण है कि इस जीवाश्म की वास्तविक उम्र का निर्धारण नहीं किया जा सका है, लेकिन इसके अंतर्गत लाल शैवाल के लिये आकारिकी और संरचनात्मक समानता अवश्य परिलक्षित होती है।

नई ऑनलाइन विक्रेता पंजीयन प्रणाली

भारतीय रेल की अनुसंधान इकाई-अनुसंधान, डिज़ाइन व मानक संगठन (आरडीएसओ, मुख्यालय लखनऊ) द्वारा नई ऑनलाइन विक्रेता पंजीयन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। नई प्रणाली के अंतर्गत पंजीयन के लिये कई बदलाव किये गए हैं, जैसे- आम लोगों की जानकारी तक पहुँच, निश्चित समयावधि में प्रक्रिया पूर्ण करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पूरे साल भर पंजीयन की सुविधा, आर.डी.एस.ओ. वेबसाइट पर जानकारियों की उपलब्धता, सभी स्तरों पर निरंतर निगरानी, ऑनलाइन आँकड़ों का निरंतर अपडेशन, वेबसाइट के उपयोग में आसानी आदि।

नई प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार है :-

- पंजीयन की किसी भी गतिविधि के लिये विक्रेता को आरडीएसओ कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।
- पंजीयन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं के लिये समयावधि निश्चित की गई है। यदि विलंब होता है, तो प्रणाली सभी संबंधित अधिकारियों को फ्लैश के माध्यम से सूचना देती है।
- दस्तावेज़ों की जाँच तथा पंजीयन से संबंधित अन्य जाँच समानांतर किये जाने की व्यवस्था की गई है। इससे समय की बचत होगी। पहले जाँच प्रक्रिया में ही **8** से **11** महीने लगते थे।
- इस प्रणाली के तहत प्रक्रियाओं को सरल और उपयोग में आसान बनाया गया है। अब विक्रेता पंजीयन के लिये न केवल ऑनलाइन पंजीयन शुल्क जमा कर सकता है, दस्तावेज़ जमा कर सकता है, तकनीकी जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है, बल्कि आरडीएसओ से ऑनलाइन बातचीत भी कर सकता है।
- पूरी प्रक्रिया की एकीकृत निगरानी के लिये एक डैशबोर्ड की व्यवस्था की गई है।
- आरडीएसओ द्वारा सभी **600** से अधिक वस्तुओं व सेवाओं के लिये अभिरुचि-पत्र आमंत्रित किये गए हैं। इसके लिये कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- उद्योग जगत और विक्रेताओं के लिये यह सुविधा प्रदान की गई है कि वे रेलवे के लिये नए उत्पाद व नई तकनीक विकसित करें।
- नए विक्रेता पूरे वर्ष के किसी भी दिन, किसी भी वस्तु के लिये पंजीयन कर सकते हैं। इससे लघु व मध्यम उद्यमों को व्यापार के बड़े अवसर मिलेंगे और इस प्रकार रोज़गार के अवसरों का सृजन संभव होगा।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force - CISF) के ग्रुप-ए कार्यपालक संवर्ग की समीक्षा को मंज़ूरी दी गई है। CISF के वरिष्ठ ड्यूटी पदों में सुपरवाइज़री स्टाफ बढ़ाने हेतु सहायक कमांडेंट से अपर महानिदेशक (Assistant Commandant to Additional Director General) की रैंकों तक विभिन्न रैंकों में 25 पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है।

- **CISF** में ग्रुप के इन पदों के सृजन के बाद बल की सुपरवाइज़री दक्षता तथा क्षमता सृजन में वृद्धि होगी।

पृष्ठभूमि

- **CISF** अधिनियम, **1968** के माध्यम से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (**Armed Force of the Union**) का गठन किया गया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस अधिनियम में **1983** में संशोधन करते हुए बल को संघ का सशस्त्र बल घोषित किया गया।
- **CISF** का मूल चार्टर तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों (**Public Sector Undertakings)** की संपत्ति को संरक्षा तथा सुरक्षा मुहैया कराना था।
- इस अधिनियम में वर्ष **1989, 1999** तथा **2009** में संशोधन करते हुए ड्यूटी चार्टर को और अधिक व्यापक बनाया गया, ताकि निजी क्षेत्र की इकाइयों (**Private Sector Units)** को सुरक्षा प्रदान की जा सके और केंद्र सरकार द्वारा सौंपे जाने वाली अन्य ड्यूटियों को पूरा किया जा सके।
- **CISF** केवल तीन बटालियनों की स्वीकृत शक्ति के साथ वर्ष **1969** में अस्तित्व में आया। **12** रिज़र्व बटालियनों (**Reserve Battalions)** तथा मुख्यालयों को छोड़कर **CISF** का अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तरह अपना बटालियन स्वरूप नहीं होता।
- वर्तमान में यह बल **336** औद्योगिक प्रतिष्ठानों (**59** हवाई अड्डों सहित) को सुरक्षा प्रदान कर रहा है।
- वर्ष **1969** में **3192** की स्वीकृत संख्या बल के साथ प्रारंभ इस बल की शक्ति **30.6.2017** तक बढ़कर **1,49,088** हो गई है।
- **CISF** का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- संगठन का नेतृत्व महानिदेशक करते हैं। महानिदेशक का पद संवर्ग बाह्य पद है।

राष्ट्रीय युवा उत्सव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जनवरी, 2018 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये 22वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। यह उत्सव भारत के युवा हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया।

- उत्सव का आयोजन युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सहयोग से किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन पहली बार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नोएडा में हो रहा है।

उद्देश्य

इस उत्सव का उद्देश्य देश के युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना है, जहाँ उन्हें विभिन्न गतिविधियों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले।

विषय-वस्तु

- इस उत्सव की विषय-वस्तु 'संकल्प से सिद्धि' है।

प्रमुख विशेषताएँ

- राष्ट्रीय युवा उत्सव देश में अपनी तरह का सबसे बड़ा युवा उत्सव है।
- पहले राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन वर्ष **1995** में भोपाल में किया गया था।
- इसके तहत भारत के विभिन्न वर्गों के युवाओं की जीवंतता और उनकी ऊर्जा को दिशा दी जाएगी और उन्हें नवभारत के लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प दिलाया जाएगा।
- उत्सव में 'मिनी-इंडिया' जैसा मंच तैयार किया जाएगा, जहाँ युवा एक-दूसरे के साथ बातचीत करेंगे और सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्कृति का आदान-प्रदान करेंगे। इससे 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की अवधारणा को बल मिलेगा।
- इस पूरे कार्यक्रम को इस प्रकार से तैयार किया गया है, जिससे सरकार की पहलों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और युवाओं में यह भावना पैदा होगी कि वे अपनी ऊर्जा को किस तरह प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल कर सकें।
- इस पाँच दिवसीय उत्सव में देश भर के राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र संगठन के **5** हज़ार स्वयंसेवी स्थानीय युवाओं द्वारा भाग लिया जाएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

माटुंगा रेलवे स्टेशन

भारतीय रेलवे ने अपनी महिला कर्मचारियों को अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में जो कदम उठाए हैं, उनके मद्देनज़र माटुंगा रेलवे स्टेशन एक उल्लेखनीय रेलवे स्टेशन बन गया है। इस स्टेशन को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2018 में शामिल किया गया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह भारत का ऐसा पहला स्टेशन है, जहाँ सभी कर्मचारी महिलाएँ हैं। महिलाएँ स्टेशन संचालन, वाणिज्य गतिविधि, रेलवे सुरक्षा बल इत्यादि कामों में संलग्न हैं।
- मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन ने कुल **41** महिलाओं को नियुक्त किया है, जिनमें से **17** बुकिंग क्लर्क, **6** रेलवे सुरक्षा बल कर्मी, **8** टिकट निरीक्षक, **5** खलासी, **2** उद्घोषक और **2** सफाई कर्मचारी शामिल हैं।
- ये सभी स्टेशन मास्टर श्रीमती ममता कुलकर्णी के नेतृत्व में काम कर रही हैं।
- उल्लेखनीय है कि मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन में **1992** में सहायक स्टेशन मास्टर के रूप में भर्ती होने वाली श्रीमती ममता कुलकर्णी माटुंगा रेलवे स्टेशन की पहली महिला स्टेशन मास्टर बन गई हैं।
- पूरा महिला स्टाफ पिछले **6** महीनों से **24** घंटे रेलवे स्टेशन के संचालन संबंधी सभी गतिविधियों को कामयाबी के साथ चला रहा है।

पिग फेस वाले मेंढक, साइकस एवं फ्लोरोसेंट मेंढक की नई प्रजाति

- सी.एस.आई.आर. कोशिकीय एवं आणविक केंद्र, हैदराबाद के वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा सूअर जैसे मुख वाले मेंढक की एक नई प्रजाति एन. भूपथी (**N. Bhupathi**) की खोज की गई है।
- मेंढक की इस नई प्रजाति का नाम भारतीय सरीसर्प विज्ञानवेत्ता एस.भूपथी के नाम पर रखा गया है।

साइकस की नई प्रजातियाँ

- वैज्ञानिकों द्वारा साइकस की दो नई प्रजातियों साइकस शेने (**cycas psohannae**) तथा साइकस धर्मराजी (**cycas dharamraji**) की खोज की गई है।
- इन दोनों प्रजातियों का नाम भारतीय वैज्ञानिकों परमजीत सिंह चन्ना तथा धर्मराज एस. मिश्रा के नाम पर रखा गया है।

फ्लोरोसेंट मेढक

- हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा अर्जेंटीना में विश्व के पहले फ्लोरोसेंट मेंढक **Hypriboas Punctatus** की खोज की गई है।
- वैज्ञानिकों द्वारा पोल्का डॉट ट्री मेंढक के वर्णक के विषय में अध्ययन के दौरान मेंढक की इस नई प्रजाति की खोज की गई है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, सामान्य प्रकाश में इस मेंढक की त्वचा चित्तीदार भूरे एवं हरे रंग की नज़र आती है, परंतु अल्ट्रावायलेट प्रकाश में यह चमकीले फ्लोरोसेंट हरे रंग की दिखाई पड़ती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

आई.बी.एम. क्यू : यूनिवर्सल क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम

- 'आई.बी.एम. क्यू' एक ऐसी औद्योगिक पहल है, जिसका उपयोग व्यवसाय और विज्ञान अनुप्रयोगों हेतु व्यावसायिक रूप से यूनिवर्सल क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम बनाने के लिये किया जाता है।
- इस प्रणाली का उपयोग तथा इसकी सेवाओं को आई.बी.एम. क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
- इस प्रणाली का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त इसका इस्तेमाल विद्यार्थियों द्वारा शोध, अध्ययन इत्यादि में भी किया जा सकता है।

'इंडिया @70 : दी जम्मू एंड कश्मीर सागा'

भारत में जम्मू एवं कश्मीर के विलय के 70 पूरे वर्ष हो जाने पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा 'इंडिया@70 : दी जम्मू एंड कश्मीर सागा' (INDIA @ 70: THE JAMMU & KASHMIR SAGA) प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। एक महीने चलने वाली इस प्रदर्शनी की रचना संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (National Archives of India of Ministry of Culture) द्वारा की गई है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- जम्मू-कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में उसके विलय को बहुत खूबसूरती के साथ पेश किया गया है।
- इस संवादमूलक डिजिटल प्रदर्शनी के ज़रिये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का उद्देश्य यह है कि कश्मीर विवाद पर एक ऐतिहासिक प्रस्तुति की जाए, ताकि युवा पीढ़ी को इस विषय में संवेदनशील बनाया जाए तथा उन्हें हमारे सशस्त्र बलों तथा आम नागरिकों के राष्ट्र प्रेम, वीरता और बलिदान के प्रति जागरूक किया जाए।
- प्रदर्शनी में दर्शकों का प्रवेश **1947-48** की वीथिका से होता है, जहाँ कश्मीर विवाद से संबंधित मूल पत्रों, टेलीग्रामों और दुर्लभ दस्तावेज़ देखने को मिलते हैं।
- इन दस्तावेज़ों के साथ पुरानी तस्वीरें, दस्तावेज़ी नक्शे, सैन्य नक्शे, अखबारी रिपोर्टें और कश्मीर पर असंख्य पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं, जो पूरे इतिहास को दर्शाती हैं।
- इसमें विलय के बाद की कार्रवाइयों का भी ब्योरा है, जो देश की अखंडता की सुरक्षा तथा जम्मू-कश्मीर में शांति बहाली के प्रयासों से संबंधित हैं।
- इस प्रदर्शनी की सबसे अहम् बात यह है कि इसके अंतर्गत रक्षा मंत्रालय के इतिहास प्रभाग द्वारा जम्मू-कश्मीर अभियान, **1947-48** से संबंधित युद्ध डायरियों, संदेशों सहित अत्यंत दुर्लभ एवं मूल्यवान दस्तावेज़ों को आम जनता के लिये पहली बार पेश किया गया है।
- इसके अतिरिक्त प्रदर्शनी में **11** मार्च, **1846** की लाहौर संधि, **16** मार्च, **1846** की अमृतसर संधि, **27** अक्तूबर, **1947** के विलय-समझौते एवं नव-स्वाधीन भारत और पाकिस्तान तथा नए राज्य में अपने विलय के पहले ब्रिटिश शासन के अधीन रजवाड़ों से संबंधित समझौतों को भी पेश किया गया है।

विश्व का प्रथम स्थिर अर्द्ध-कृत्रिम जीव

वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसे अर्द्ध-कृत्रिम जीव को विकसित किया गया है, जो दवाओं की खोज एवं अन्य अनुप्रयोगों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

विशेषताएँ

- यह एक एकल कोशिकीय जीव है।
- इसकी सहायता से न केवल संश्लेषित आधार युग्मों पर पकड़ बनाए रखने में आसानी होगी, बल्कि उनका विखंडन करना भी आसान होगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- वैज्ञानिकों के अनुसार, अक्सर देखा जाता है कि एक निश्चित समय के बाद जीवाणुओं द्वारा अपने डीएनए में अतिरिक्त सूचनाओं को संगृहित करने हेतु **x** एवं **y** आधार युग्मों को स्वयं से अलग कर दिया जाता है।
- इस बात को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों द्वारा 'न्यूक्लियोटाइड ट्रांसपोर्टर' नामक एक उपकरण को विकसित किया गया है।
- यह उपकरण कोशिका झिल्ली के चारों ओर से अप्राकृतिक आधार युग्मों के निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री को एकत्रित करता है।

सूर्य के जैसे दिखने वाले तारे की खोज

वैज्ञानिकों ने सूर्य के समान दिखने वाले, किंतु रासायनिक संरचना में भिन्न तारे की खोज की है। इसके आधार पर सौर निकाय में परिवर्तनों और पृथ्वी की जलवायु पर प्रभाव का अध्ययन किया जा सकेगा।

प्रमुख बिंदु

- प्रत्येक **11** वर्ष के समयांतराल में सूर्य की सतह पर वातावरण में परिवर्तनों के चक्र को सौर चक्र के रूप में जाना जाता है। इस सौर चक्र में सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में विक्षोभ पैदा होने के कारण सूर्य की सतह पर गहरे रंग के धब्बे दिखने लगते हैं, जिन्हें सौर कलंक कहते हैं।
- ये गहरे रंग के इसलिये दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका तापमान अपने आस-पास के तापमान से कम होता है।
- सौर चक्र सौर डाइनेमो द्वारा संचालित होता है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र, संवहन और घूर्णन के बीच की परस्पर क्रिया है।
- हालाँकि, सौर डाइनेमो में निहित भौतिकी को वैज्ञानिक पूर्णतया समझ नहीं पाए हैं।
- डेनमार्क के शोधकर्त्ताओं के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक तारे की खोज की है, जो सौर डाइनेमो में अंतर्निहित भौतिकी पर प्रकाश डालने में मदद कर सकता है।
- यह तारा सूर्य की तरह ही दिखता है और इसका द्रव्यमान, त्रिज्या और उम्र भी सूर्य के समान है, किंतु इसकी रासायनिक संरचना बहुत अलग है।
- इस तारे में सूर्य में पाए जाने वाले तत्त्वों से दोगुने ज़्यादा भारी तत्त्व पाए जाते हैं। भारी तत्त्व हाइड्रोजन और हीलियम से अधिक भारी होते हैं।
- नए अध्ययन से यह समझने में मदद मिल सकती है कि समय के साथ सूर्य के विकिरण में किस प्रकार परिवर्तन हुआ, जिसका असर पृथ्वी की जलवायु पर भी पड़ता है।
- टीम ने केपलर अंतरिक्ष यान के प्रेक्षणों का लगभग **1978** से एकत्रित किये गए भू-आधारित प्रेक्षणों से मिलान कर इस तारे में **7.4** वर्षीय चक्र का निर्धारण करने में सफलता पाई है।
- केपलर एक अंतरिक्ष वेधशाला है, जिसे नासा द्वारा दूसरे तारों की परिक्रमा करने वाले पृथ्वी के आकार के ग्रहों की खोज के लिये **2009** में लॉन्च किया गया था।
- प्रेक्षणों से यह पता चला है कि तारे के चुंबकीय क्षेत्र में देखे गए चक्र का आयाम सूर्य पर देखे जाने वाले चक्र से दोगुना मज़बूत है और दृश्य प्रकाश में यह और भी अधिक मज़बूत है।
- इससे वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अधिक भारी तत्त्व अधिक मज़बूत चक्र का निर्माण करते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

आधार के लिये नई सुरक्षा परत

आधार कार्ड की सुरक्षा और निजता पर आलोचनाओं के चलते भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इसकी सुरक्षा के लिये वर्चुअल आईडी नामक नए सुरक्षा प्रावधान को शुरू करने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने **1** जून, **2018** से **वर्चुअल आईडी '(Virtual ID-VID)** की अवधारणा को लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत अब मोबाइल सिम या बैंक खाते को आधार से लिंक करने या अन्य कार्यों के लिये **12** अंकों का अपना आधार नंबर बताना अनिवार्य नहीं होगा
- इसके स्थान पर **16** अंकों की वर्चुअल आईडी से सारी प्रक्रियाएँ पूरी की जा सकेंगी। आधार कार्डधारक इस आईडी को प्राधिकरण की वेबसाइट के ज़रिये प्राप्त कर सकेंगे।
- इस आईडी की प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी वैधता एक निश्चित अवधि के लिये ही होगी और वर्चुअल आईडी का दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। इससे इसका दुरुपयोग होने की संभावना कम हो जाएगी। प्रयोक्ता जितनी बार चाहे उतनी बार वर्चुअल आईडी प्राप्त कर सकेंगे।
- इसके जरिये संबंधित व्यक्ति के बारे में सीमित जानकारियाँ ही प्राप्त की जा सकेंगी। इससे सीमित केवाईसी (**Know Your Customer-KYC**) की व्यवस्था लागू हो पाएगी। इससे केवल व्यक्ति के नाम, पता और फोटो तक ही पहुँच मिल सकेगी।
- प्राधिकरण के अनुसार, इसके लिये आवश्यक सॉफ्टवेयर को **1** मार्च तक विकसित कर लिया जाएगा और **1** जून से इसे अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा। इस समयावधि में प्राधिकरण से संबद्ध एजेंसियों को इसे अपनाना होगा।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (**Unique Identification Authority of India-UIDAI**) एक सांविधिक प्राधिकरण है।
- इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण) अधिनियम, **2016** ('आधार अधिनियम, **2016**') के प्रावधानों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत दिनांक **12** जुलाई, **2016** को की गई।
- प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है और देशभर में इसके आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। **UIDAI** के दो डेटा सेंटर, हेब्बल (बेंगलुरु) कर्नाटक में और मानेसर (गुरुग्राम) हरियाणा में है।
- **UIDAI** की स्थापना भारत के सभी निवासियों को 'आधार' नाम से एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने हेतु की गई थी, ताकि इसके द्वारा दोहरी और फ़र्जी पहचान समाप्त की जा सके और उसे आसानी से एवं किफायती लागत में सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके।
- एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में अपनी स्थापना से पूर्व यह तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था। बाद में सरकार द्वारा सरकारी कार्य आवंटन नियमों में संशोधन करके **12** सितंबर, **2015** को **UIDAI** को तत्कालीन सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ संबद्ध कर दिया गया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

निर्वाचन संबंधी प्रावधानों में सुधार हेतु समिति का गठन

डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तेज़ी से विस्तार के चलते मौजूदा आदर्श आचार संहिता, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 126 और अन्य संबंधित प्रावधानों में आवश्यक संशोधनों पर सुझाव देने हेतु एक समिति का गठन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा एक **14** सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष उप-चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा हैं। यह समिति तीन महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
- चुनाव आयोग के नौ अधिकारियों के अलावा इस समिति में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विधि मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रसारण संगठन (**National Broadcasters Association**) और भारतीय प्रेस परिषद प्रत्येक से एक नामित सदस्य भी होगा।
- निर्वाचन कानून में संशोधन के अलावा यह समिति धारा **126** के आलोक में **'मौन अवधि' (Silence Period)** के दौरान नए मीडिया मंचों और सोशल मीडिया के प्रभाव और इसके अनुरूप आदर्श आचार संहिता में सुधार का भी सुझाव देगी।
- मौन अवधि के दौरान उम्मीदवारों द्वारा कोई सक्रिय चुनावी अभियान नहीं चलाया जाता है।
- बहु-चरणीय मतदान के दौरान निषेधात्मक **48** घंटों के दौरान मीडिया प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने में आने वाली कठिनाइयों पर भी समिति कार्य करेगी।

क्या है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126?

- इसके तहत मतदान के लिये निर्धारित समय से **48** घंटे पूर्व की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं या किसी भी तरह के जनमत सर्वेक्षण पर रोक है तथा इस अवधि के दौरान सिनेमा, टेलीविजन या इसी तरह के प्रचार माध्यम द्वारा जनता में किसी तरह की प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता।

क्या है आदर्श आचार संहिता?

- आदर्श आचार संहिता (**Modal Code of Conduct**) चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के आचरण को विनियमित करने के लिये भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का एक समूह है। इसे वैधानिक दर्ज़ा प्राप्त नहीं है। **1971** में इसे पहली बार ज़ारी किया गया था।
- इसका उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों के लिये बराबरी का समान स्तर उपलब्ध कराना, प्रचार अभियान को निष्पक्ष तथा स्वस्थ रखना, दलों के बीच झगड़ों तथा विवादों को टालना है।
- यह सत्ताधारी पार्टी को आम चुनाव में अनुचित लाभ लेने के लिये सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को रोकता है।

कंधमाल हल्दी के लिये भौगोलिक संकेतक की मांग

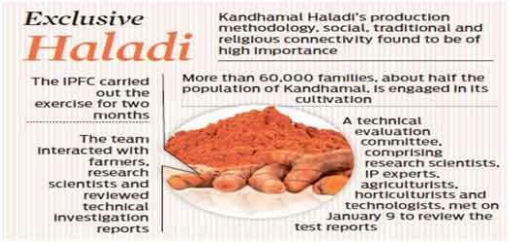

Copyright– Drishti The Vision Foundation

रसगुल्ले पर भौगोलिक संकेतक की मान्यता के लिये पश्चिम बंगाल से हारने के बाद अब ओडिशा ने कंधमाल ज़िले में उगाई जाने वाली हल्दी पर जीआई टैग की मांग की है।

प्रमुख बिंदु

- कंधमाल एपेक्स स्पाइस एसोसिएशन फॉर मार्केटिंग (**Kandhamal Apex Spices Association for Marketing - KASAM**) ने गुरुवार को चेन्नई में जीआई रजिस्ट्रार के समक्ष कंधमाल हल्दी के लिये जीआई टैग की मांग की हैं।
- **KASAM** राज्य द्वारा संचालित संस्था है, जो परंपरागत तरीके से मसाला उत्पादन करने वाले भारतीय किसानों का उस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करती है।
- संबंधित अधिकारियों की टीम ने किसानों और अनुसंधान वैज्ञानिकों से बातचीत करने के साथ ही कंधमाल हल्दी की विशिष्टता से संबंधित ऐतिहासिक आँकड़ों एवं तकनीकी जाँच पर रिपोर्ट की समीक्षा करने पर इसकी उत्पादन पद्धति और सामाजिक, पारंपरिक और धार्मिक महत्त्व को उच्च स्तर का पाया है।
- तकनीकी और वैज्ञानिक जाँच के लिये प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं में इस हल्दी के विभिन्न स्थानों से एकत्र किये गए नमूनों के परीक्षण में यह पाया गया कि इसमें औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिये उच्च क्षमता वाले विशेष गुण पाए गए।

कंधमाल हल्दी (KANDHAMAL HALDI)

- कंधमाल में पैदा होने वाली हल्दी को जैविक गुणवत्ता के लिये सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्राप्त है। इसके उत्पादन में किसानों द्वारा किसी भी तरह के कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है।
- विशेषज्ञों के मुताबिक हल्का लाल रंग लिये कंधमाल की हल्दी गुणवत्ता के मामले में उन्नत है। इसका औषधीय उपयोग करने पर किसी तरह के दुष्प्रभाव की संभावना नहीं रहती है।
- भुवनेश्वर से करीब **200** किलोमीटर दूर जंगलों से घिरे पहाड़ी ज़िले कंधमाल की लगभग आधी आबादी अपनी आजीविका के लिये इसकी खेती पर निर्भर है।
- यह विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं के लिये अनुकूलित है, इस कारण इसे प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है।
- हालाँकि इसे अन्य किस्मों से आसानी से अलग किया जाता है, लेकिन कर्कुमिन (**Curcumin**), ओलेओरेसिन (**Oleoresin**) और वाष्पशीलता (**Volatile**) जैसी विशेषताओं के कारण यह घरेलू, कॉस्मेटिक और औषधीय रूप से बहुत उपयोगी है।
- कर्कुमिन और ओलेओरेसिन इसमें पाए जाने वाले शक्तिशाली एंटी-ऑक्सीडेंट और ज्वलनरोधी पदार्थ हैं।
- जीआई टैग मिलने से इसके व्यावसायिक मूल्य को बढ़ाने में सहायता मिलेगी तथा कंधमाल के किसानों के हितों की रक्षा तथा आजीविका के बेहतर अवसर सुनिश्चित होंगे।
- भौगोलिक संकेतक (**Geographical indicator-GI**) किसी उत्पाद को दिया जाने वाला एक विशेष टैग है। जीआई टैग उस उत्पाद को दिया जाता है, जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होता है या उसमें निहित विशेषताओं का उस स्थान विशेष से गहरा संबंध होता है।

सक्षम-2018 (SAKSHAM- 2018)

सक्षम अर्थात् संरक्षण क्षमता महोत्सव (Sanrakshan Kshamta Mahotsav - SAKSHAM) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संगठन पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है।

- सक्षम **2018** की टैगलाइन **'ईंधन संरक्षण की ज़िम्मेदारी, जन गण की भागीदारी'** है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इसका उद्देश्य तेल एवं गैस के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ-साथ राज्य सरकारों जैसे अन्य हितधारकों के साथ मिलकर बेहतर स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिये जन-केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण और कुशल उपयोग के बारे में लोगों में संवेदनशीलता और जागरूकता का प्रसार करना है।
- **16** जनवरी, **2018** को दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में इसकी शुरुआत की जाएगी। इस अभियान के दौरान नागरिकों को पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण और उनके कारगर इस्तेमाल के प्रति जागरूक बनाने के प्रयासों में तेज़ी लाई जाएगी।
- इसके लिये **PCRA** विभिन्न जनाधारित गतिविधियाँ चलाएगा जैसे- ड्राइवरों/फ्लीट ऑपरेटरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ईंधन सक्षम वाहन चालन प्रतियोगिता, महिलाओं/ बावर्चियों/ घरेलू सेविकाओं/स्कूल और कॉलेज की लड़कियों के साथ ईंधन बचत तथा एलपीजी/पीएनजी के फायदों पर सामूहिक वार्ता, स्कूलों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के लिये शिक्षा कार्यक्रम, किसानों के लिये जागरूकता कार्यक्रम, वॉकेथॉन, कॉन्सर्ट, प्रदर्शनी इत्यादि।
- इसके अतिरिक्त **PCRA** ने **21** जनवरी को देश भर में साइकिल दिवस के रूप में मनाने की योजना बनाई है। ईंधन संरक्षण, जाम की स्थिति में कमी लाकर वाहनों से उत्सर्जित होने वाले धुएँ में कमी लाने और यातायात प्रवाह में सुधार लाने का संदेश देने के लिये इंदौर, भुवनेश्वर, मुंबई आदि में साइक्लोथॉन का आयोजन किया जाएगा।

पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (Petroleum Conservation Research Association- PCRA)

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के तत्त्वावधान में स्थापित एक पंजीकृत सोसायटी है।

- एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में, **PCRA** एक राष्ट्रीय सरकारी संस्था है, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने में कार्यरत है।
- यह तेल की आवश्यकता पर देश की अत्यधिक निर्भरता को कम करने हेतु पेट्रोलियम संरक्षण की नीतियाँ एवं रणनीतियाँ प्रस्तावित करने में सरकार की सहायता करता है।
- **PCRA** का लक्ष्य तेल संरक्षण को एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाना है। **PCRA** द्वारा पेट्रोलियम उत्पाद और उत्सर्जन में कमी एवं संरक्षण के महत्त्व, तरीके और लाभ के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने का कार्य सुचारु रूप से किया जा रहा है।

राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव – 2018

विविधता में एकता के विचार का समारोह मनाने के लिये संस्कृति मंत्रालय द्वारा 14 जनवरी, 2018 से कर्नाटक में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' साँचे के तहत राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के सातवें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम 31 अक्तूबर, 2016 को विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने हेतु आरंभ किया गया कार्यक्रम है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य विविध संस्कृतियों के लोगों के बीच परस्पर समझ और संबंधों को बढ़ावा देना है, ताकि इसके माध्यम से भारत की मज़बूत एकता एवं अखंडता सुनिश्चित की जा सके।
- कर्नाटक के साथ उत्तराखंड राज्य की जोड़ी बनाई गई है। इस महोत्सव में शास्त्रीय कलाओं से लेकर लोक कलाओं तक कला के विविध रूपों, संगीत एवं नृत्य, थिएटर से लेकर साहित्य और दृश्य कलाओं की प्रचुरता को प्रदर्शित किया जाएगा।
- वस्तुतः यह महोत्सव लोगों को स्थापित एवं उभरती कला प्रवाहों के सर्वश्रेष्ठ तत्त्वों का अनुभव करने का अवसर प्रदान करेगा।
- इस महोत्सव का आयोजन बंगलुरु (**14** से **16** जनवरी), हुबली-धारवाड़ (**17** से **18** जनवरी) तथा मंगलुरु (**19** से **20** जनवरी) में किया जाएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

देश का पहला कृषि-कमोडिटी विकल्प (Country's First Agri-commodity Options)

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 14 जनवरी, 2018 को देश भर से आए विभिन्न राज्यों के किसानों एवं किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organizations-FPOs) की उपस्थिति में ग्वार बीज (Guar Seed) में देश के प्रथम कृषि-वस्तु विकल्प (country's First Agri-commodity Options) का शुभारंभ किया गया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- एन.सी.डी.ई.एक्स. (**National Commodity and Derivatives Exchange Limited -NCDEX**) द्वारा भारतीय किसानों के लिये कृषि-अर्थव्यवस्था को अधिक कुशल बनाने और कृषिगत उत्पादों के मूल्य में भारी मात्रा में वृद्धि करने के उद्देश्य से देश में पहली बार ग्वार बीज के संदर्भ में देश के पहले कृषि-वस्तु विकल्प को लॉन्च किया गया है।
- ग्वार बीज विकल्प एक महत्त्वपूर्ण प्रतिरक्षा उपकरण (**hedging tool**) है।
- हेजिंग के माध्यम से निवेशकों द्वारा शेयर बाज़ार या कमोडिटी बाज़ार में निवेश के दौरान जोखिमों को कम किया जाता है।
- एन.सी.डी.ई.एक्स. द्वारा विशिष्ट रूप से डिज़ाइन इस उपकरण को सेबी (**Securities and Exchange Board of India -SEBI**) द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- इससे वस्तु-व्यापार में गंभीरता आने के साथ-साथ किसानों को उत्पाद के लिये बेहतर मूल्य की प्राप्ति का मार्ग सुनिश्चित किया जाएगा।
- ऑप्शन एक डेरिवेटिव वित्तीय उपकरण है जो निश्चित समय के भीतर धारक को निश्चित मूल्य पर, निश्चित स्टॉक की तय मात्रा बेचने अथवा खरीदने का अधिकार देता है।
- पुट और कॉल, ऑपशंस ट्रेडिंग के दो प्रकार हैं। जहाँ पुट ऑप्शन धारक को प्रतिभूति बेचने का अधिकार देता है, वहीं कोई कॉल ऑप्शन प्रतिभूति खरीदने का अधिकार देता है।
- हालाँकि, पुट और कॉल ऑपशंस धारक को निश्चित दिनांक से पहले निश्चित मूल्य पर स्टॉक व्यापार करने के लिये बाध्य नहीं करते हैं।

राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (National Commodity & Derivatives Exchange Limited-NCDEX)

- यह एक व्यावसायिक रूप से प्रबंधित एक ऑनलाइन मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज है।
- एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में **NCDEX** को **23** अप्रैल, **2003** को कंपनी अधिनियम, **1956** के तहत निगमित (**Incorporated**) किया गया था।
- **NCDEX** को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (**SEBI**) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- **NCDEX** का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और पूरे भारत में स्थित केंद्रों से अपने सदस्यों को सुविधाएँ प्रदान करता है।
- **31** मार्च, **2017** तक एक्सचेंज ने **25** कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में व्यापार की पेशकश की, जिनमें **22** कृषि कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, **1** बुलियन कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स और **2** मेटल कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स शामिल हैं।

रसोई के कचरे से रसोई गैस

हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसे बैक्टीरिया को विकसित किया गया है जो एक टन रसोई के कचरे से 50 किलोग्राम मीथेन गैस तैयार करने में सक्षम है। इस गैस का इस्तेमाल खाना पकाने तथा वाहन चलाने में किया जा सकता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख बिंदु

- यह बैक्टीरिया दो तरह से उपयोगी होगा। जहाँ एक ओर रसोई से निकले अवशिष्ट से तकरीबन **85-87** फीसदी मीथेन का निर्माण किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर इसके इस्तेमाल से इस समस्त प्रक्रिया से उत्सर्जित होने वाली हानिकारक गैसों की मात्रा को केवल **10** फीसदी तक सीमित किया जा सकेगा।
- जैविक कचरे से गैस बनाने में इस्तेमाल होने वाले बैक्टीरिया की सहायता से अभी तक मात्र **65** फीसदी मीथेन के साथ-साथ **35** फीसदी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण किया जाता था।
- परंतु, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा विकसित इस नए प्रकार के बैक्टीरिया की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण को **5** फीसदी के स्तर पर सीमित किया जा सकेगा।
- कॉरपोरेशन द्वारा स्मार्ट शहरों में इस प्रकार के संयंत्रों को स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है।
- इस योजना के तहत कुछ इस तरह से इन प्लांटों को डिज़ाइन किया जाएगा, जिससे कि प्लांट के आस-पास के क्षेत्र में बदबू न फैले।

मीथेन (METHANE)

- मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी का सरलतम सदस्य है। इसका रासायनिक सूत्र (**CH4**) है।
- यह रंगहीन, गंधहीन और स्वाद रहित गैस है। प्राकृतिक गैस में **87-92%** मीथेन पाई जाती है।
- दलदली भूमि से निकलने वाली गैस में उपस्थित होने के कारण इसे मार्श या पंक गैस भी कहते हैं।
- मीथेन का उष्मीय मान पेट्रोल के ऊष्मीय मान की तुलना में बहुत अधिक होता है। इस कारण यह एक बहुमूल्य ईंधन है।
- कम उष्मीय मान वाली गैसों के उष्मीय मान को बढ़ाने के लिये इसका उपयोग किया जाता है।
- रासायनिक रूप से यह निष्क्रिय गैस है। केवल क्लोरीन के साथ क्रियाशील होकर मेथिल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड बनते हैं। इसके पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं।

जैव-प्रेरित रोबोट (Bio-inspired Robotics)

- वैज्ञानिकों ने एक ऊतक-आधारित नरम रोबोट विकसित किया है जो एक स्टिंग्रे(**Stingray**) नामक मछली की बायोमैकेनिक्स की नकल करता है।
- यह जैव-प्रेरित रोबोटिक्स (**Bio-inspired Robotics**), पुनर्योजी चिकित्सा (**Regenerative Medicine**) और चिकित्सा निदान में प्रगति के नए द्वार खोल सकता है।
- जैव-प्रेरित रचनाओं के निर्माण के लिये प्रकृति में पाई जाने वाली अवधारणाओं को सीखा जाता है और उन्हें वास्तविक दुनिया में लागू करने के लिये इनमें आवश्यक अभियांत्रिकी की जाती है।
- स्टिंग्रे के शरीर की सरल संरचना विशेषतया इनका सपाट आकार और इनके सिर से शुरू होकर इनकी पूंछ पर समाप्त होने वाले पार्श्व-पंख(**side fins**), इन्हें बायो-इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के नमूने के लिये एक आदर्श विकल्प बनाते हैं।
- **10** मिलीमीटर लंबा यह रोबोट चार परतों से बना है। ऊतक जीवित हृदय कोशिकाओं से बना है, संरचनात्मक समर्थन के लिये दो विशिष्ट प्रकार के जैव पदार्थ और लचीले इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया गया है।
- जब इलेक्ट्रोड द्वारा हृदय कोशिकाओं को जैव-पदार्थ की परत पर संकुचित किया जाता है, तो प्राकृतिक तर्ज़ पर रोबोटिक स्टिंग्रे अपने पंखों को "फ्लैप" करने में भी सक्षम है।
- ऐसी जैव-प्रेरित युक्तिओं का विकास भविष्य में ऐसी रोबोटिक्स को संभव बना सकता है, जिसमें जैविक ऊतक और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दोनों शामिल हों।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इसका उपयोग हृदयाघात वाले रोगियों के हृदय की माँसपेशियों को मज़बूत करने जैसे व्यक्तिगत चिकित्सा में किया जा सकता है।
- जैव-प्रेरित रचनाएँ, बायोमिमिक्री (**Biomimicry**) से अलग है। जहाँ बायोमिमिक्री प्रकृति की प्रतिलिपि बनाने पर केंद्रित है, जबकि जैव-प्रेरित डिज़ाइन प्रकृति से सीखकर और ऐसी युक्तियों के विकास पर केंद्रित है जो प्रकृति में पाई जाने वाली प्रणाली की तुलना में सरल और अधिक प्रभावी हो।

महादयी नदी जल विवाद

महादयी नदी के जल बँटवारे पर गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद बढ़ गया है। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनावों के कारण तथा महादयी जल विवाद ट्रिब्यूनल द्वारा इस महीने में इस विवाद पर अंतिम निर्णय देने की संभावना के चलते तीन दशक पुराना यह विवाद चर्चा में बना हुआ है।

क्या है विवाद का कारण?

- **1990** के दशक में कर्नाटक सरकार ने राज्य की सीमा के अंदर महादयी नदी से नहरों और बाँधो की श्रृंखला द्वारा **7.56 TMC (Thousand Million Cubic Feet)** पानी मलप्रभा बांध में लाने के लिये कलसा-बंडूरी नहर परियोजना प्रारंभ की थी।
- मलप्रभा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कलसा और बंडूरी इस परियोजना में प्रस्तावित दो नहरों के नाम हैं।
- इसका उद्देश्य उत्तरी कर्नाटक के ज़िलों में जल संकट का समाधान करना है।
- पर्यावरणविदों के अनुसार, इस बांध परियोजना से गोवा में पारिस्थितिक संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिये गोवा सरकार द्वारा इस परियोजना का विरोध किया जा रहा है।
- दोनों राज्यों के बीच बातचीत द्वारा इस मामले को निपटाने के सभी प्रयास विफल रहने पर यह मामला **2006** में सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचा।
- महादयी जल विवाद ट्रिब्यूनल की स्थापना **2010** में की गई थी।

महादयी नदी

- महादयी नदी का उद्गम स्थान बेलगावी ज़िले के खानापुर तहसील के देगाव गाँव के निकट है।
- यह नदी कर्नाटक और महाराष्ट होते हुए गोवा में प्रवेश करती है और बाद में अरब सागर में गिरती है।
- गोवा में इसे मांडवी के नाम से भी जाना जाता है।
- इस नदी की कुल लंबाई का दो-तिहाई भाग गोवा में स्थित है, जहाँ इसे मैंग्रोव वनस्पति और स्थानीय आबादी के लिये जीवन रेखा माना जाता है।

कर्नाटक संगीत के पितामह : संत पुरंदरदास

- कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति के अनुसार, शिवमोग्गा ज़िले के तीर्थहल्ली तालुक में अर्गा होबली पर क्षेमपुरा नामक गाँव (अब केशवपुर) वह जगह हो सकती है, जहाँ कर्नाटक संगीत के पितामह माने जाने वाले 'संत पुरंदरदास' का जन्म हुआ था।
- इस समिति के अनुसार, यह स्थल विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख प्रांत था। अभी तक यह माना जाता है कि संत पुरंदरदास का जन्म पुणे के निकट स्थित पुरंदरगढ़ में हुआ था और बाद में वे हम्पी में बस गए थे।
- यह समिति गाँव में एक प्राधिकरण स्थापित करना चाहती है जो पुरंदरदास के जीवन और कार्यों पर अनुसंधान को आगे बढ़ाए।
- समिति के अनुसार, अभी के केशवपुरा/केशवपुर का 'वर्तकेरी' उस समय में 'व्रताकार केरी' (व्यापारिक सड़क) था, जहाँ श्रीनिवास नायक (जो बाद में पुरंदरदास कहलाए) व्यापार करते थे। अभी भी नायक अर्गा होबली में रहते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

कर्नाटक संगीत

- कर्नाटक संगीत भारत के शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली का नाम है, जो उत्तरी भारत की शैली हिंदुस्तानी संगीत से काफी अलग है।
- कर्नाटक संगीत ज़्यादातर भक्ति संगीत के रूप में होता है और ज़्यादातर रचनाएँ हिन्दू देवी-देवताओं को संबोधित होती हैं।
- कर्नाटक शास्त्रीय शैली में रागों का गायन अधिक तेज़ और हिंदुस्तानी शैली की तुलना में कम समय का होता है।
- त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की 'त्रिमूर्ति' कहा जाता है, जबकि पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत शैली का पिता कहा जाता है। पुरंदरदास ने 'पुरंदर विट्ठल' नामक उपनाम से अपनी रचनाओं पर हस्ताक्षर किये हैं।
- पुरंदरदास ने कर्नाटक संगीत को सिखाने की विधि को व्यवस्थित किया जो वर्तमान में भी जारी है। उनका एक महत्त्वपूर्ण योगदान उनकी रचनाओं में भाव, राग और लय का मिश्रण था।
- पुरंदरदास गीत रचनाओं में साधारण दैनिक जीवन पर टिप्पणियाँ शामिल करने वाले पहले संगीतकार थे।
- उन्होंने अपने गीतों के लिये बोलचाल की भाषा के तत्त्वों का इस्तेमाल किया। उन्होंने लोक रागों को मुख्यधारा में पेश किया।

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक

- नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (**Central Advisory Board of Education-CABE**) की **65**वीं बैठक का आयोजन किया गया।
- इस बैठक में **1987** में शुरू किये गए 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' की तर्ज़ पर 'ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड' की ओर कदम उठाने के लिये एक प्रस्ताव पारित किया गया।
- 'ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड' का उद्देश्य सभी प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना था।
- 'ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड' का लक्ष्य सभी स्कूलों में बेहतर डिजिटल शिक्षा प्रदान करना है। यह पहल पढ़ने और सीखने के नए अवसरों का इज़ाद करेगी तथा उन्हें अपनाने में स्कूलों की सहायता करेगी।
- 'ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड' पहल को केंद्र और राज्य सरकारों, सीएसआईआर और सामुदायिक भागीदारी के साथ लॉन्च करने का प्रयास किया जाएगा।
- इस बैठक में **22** राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने भाग लिया। प्रत्येक राज्य ने शैक्षिक उपलब्धियों, डिजिटल शिक्षा के लिये पहल और शिक्षक प्रशिक्षण आदि के बारे में नीति बनाने संबंधी मुद्दों पर सलाहकार निकाय को सूचित किया।
- तेलंगाना ने नवोदय विद्यालय पैटर्न पर आवासीय विद्यालय बनाने की अपनी उपलब्धि को साझा किया, जिससे लगभग आठ लाख छात्रों को लाभ हुआ है।

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

- शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिये इस उच्चतम सलाहकार संस्था की स्थापना सर्वप्रथम **1920** में की गई।
- **1923** में इसे भंग करने के बाद, **1935** में इसे फिर से गठित किया गया। इसके बाद समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता है।
- इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री द्वारा की जाती है।
- इसका कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।

इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-

- समय-समय पर शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मात्रा एवं ढंग का मूल्यांकन करना और इस मामले में उपयुक्त सलाह देना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शैक्षिक विकास के लिये केंद्र एवं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राज्य सरकारों एवं गैर-सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय के संबंध में सलाह देना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करना।

इंद्रधनुषी रंग के पंख वाले पक्षी की खोज

- वैज्ञानिकों ने उत्तर-पूर्वी चीन में एक छोटे पक्षी के जीवाश्म की खोज की है जिसके पंख इंद्रधनुषी रंग के हैं और उसकी हड्डी वाली कलगी निकली हुई है।
- यह पक्षी **16** करोड़ साल पुराने डायनासोर की तरह दिखता है।
- अनुसंधानकर्त्ताओं ने कायहोंग जुजी के नाम वाले डायनासोर पर पहली बार गहराई में जाकर अनुसंधान किया है।
- कायहोंग जुजी मंदारिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है- बड़े शिखर वाला इंद्रधनुष।
- इंद्रधनुषी पंख, जो कुछ आधुनिक पक्षी प्रजातियों में भी पाए जाते हैं, जिनमें धातुओं की तरह चमक होती है और जब इन्हें विभिन्न कोणों से देखा जाता है, तो ये रंग बदलते हैं और इंद्रधनुष जैसे दिखाई देते हैं। ऐसे ही रंग-बिरंगे पंख हमिंगबर्ड में भी पाए जाते हैं।
- माइक्रोस्कोप द्वारा इस पक्षी के संरक्षित पंखों की जाँच करने पर मेलेनोसॉम्स नामक कोशिकाओं की छाप देखी गई।
- मेलेनोसॉम्स कोशिकाएँ वे कोशिकाएँ होती है, जिनमें वर्णक पाए जाते है और ये जानवरों को उनका रंग देते हैं।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, इंद्रधनुषी रंग यौनिक रुझान के लिये जाना जाता है और इसके सबसे पुराने प्रमाण डायनासोर में मिलते हैं।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, इस बात की संभावना है कि कायहोंग के 'इंद्रधनुष' पंख का इस्तेमाल अपने साथी को आकर्षित करने के लिये किया जाता था, जैसे आधुनिक मोर अपने रंगीन पूंछ का उपयोग करते हैं।
- पक्षियों में रंग-बिरंगे पंख कैसे विकसित हुए जानने में यह खोज सहायता कर सकती है।

निर्माण – संवाद

महत्त्वाकांक्षी 'रेल अवसंरचना विकास परियोजनाओं' का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की एक बड़ी पहल के रूप में रेल मंत्रालय द्वारा निर्माण उद्योग की अग्रणी कंपनियों सहित सभी हितधारकों के साथ एक 'मेगा कॉनक्लेव' का आयोजन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इस कॉनक्लेव के दौरान रेलवे बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ जोनल रेलवे अधिकारी निर्माण क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के साथ परस्पर संवाद को आयोजित किया जा रहा है।
- इस कॉनक्लेव का नाम 'निर्माण-संवाद' रखा गया है, जिसका आयोजन रेलवे पीएसयू रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) द्वारा किया जा रहा है, जो रेल परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिये रेल मंत्रालय की एक समर्पित सहायक कंपनी है।
- यह कॉनक्लेव परियोजनाओं के क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाली बाधाओं/अवरोधों पर चर्चा करने एवं बाधाओं को दूर करने के लिये सुझाव आमंत्रित करने तथा रेलवे की परियोजनाओं के निष्पादन में दक्षता लाने का एक अवसर प्रदान करता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इसके अंतर्गत रेलवे बोर्ड, जोनल रेल सीपीएससी के वरिष्ठ अधिकारी एवं लगभग चार सौ निर्माण एवं परामर्श कंपनियों के शीर्ष कार्यकारी अधिकारी उद्योग के सामने आने वाली बाधाओं एवं मुद्दों पर विचार किया जाएगा।
- भारतीय रेल की महत्त्वाकांक्षी अवसंरचना परियोजनाओं में दोहरीकरण परियोजनाएँ, विद्युतीकरण परियोजनाएँ, पहाड़ी रेल परियोजनाएँ, समर्पित माल ढुलाई गलियारा (डीएफसी) एवं हीरक चतुर्भुज पर उच्च गति परियोजनाएँ शामिल हैं।

एसपीटी0615 आकाशगंगा

नासा के वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड के संबंध में निरंतर खोज के परिणामस्वरूप एक नई सफलता हाथ लगी है। वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसी आकाशगंगा की खोज की गई है जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक दूरी पर स्थित आकाशगंगा है।

प्रमुख बिंदु

- इसकी दूरी तकरीबन **2500** प्रकाशवर्ष बताई गई है।
- वैज्ञानिकों द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, यह आकाशगंगा सितारों का एक आदिम समूह (क्लस्टर) है, इस आकाशगंगा के करीबन **50** करोड़ वर्ष पुरानी होने की भी आशंका व्यक्त की गई है।
- इस आकाशगंगा की खोज नासा के हब्बल के रियनायनाइज़ेशन लेंसिंग क्लस्टर सर्वे (रेलिक्स) और स्पिट्ज़र स्पेस टेलिस्कोप द्वारा की गई है।
- टेलिस्कोप द्वारा बह्मांड में एक गहन सर्वेक्षण ने गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग नामक एक घटना के तहत, एसपीटी**0615**–जेडी नाम की आकाशगंगा की तस्वीरें ली हैं, जो घटती और बढ़ती हैं।
- यह नई आकशगंगा मिल्की वे का मात्र **1/100** बताई जा रही है।

राष्ट्रीय कल्याण कोष योजना

वर्ष 1982 में खिलाड़ियों और खेल से जुड़े लोगों के लिये राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना की गई थी। इस कोष की स्थापना पुराने दौर के उन बेहतरीन खिलाड़ियों की सहायता के लिये की गई थी, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया, लेकिन वर्तमान में गरीबी में जीवनयापन कर रहे हैं। जुलाई 2009 में इस योजना की अंतिम बार समीक्षा की गई थी, जिसके आधार पर इसमें संशोधन किया गया था। राष्ट्रीय कल्याण कोष की एक बार और समीक्षा की गई है, जिसके आधार पर इसमें व्यापक संशोधन किये गए हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- योजना के संशोधित स्वरूप के तहत, अब खिलाड़ियों के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अहर्ता सीमा बढ़ा दी गई है। पहले यह सीमा दो लाख रुपए की सालाना आय थी, लेकिन वर्तमान में इसे बढाकर चार लाख रुपए कर दिया गया है।
- इतना ही नहीं, इस योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है ताकि अधिक-से-अधिक खिलाड़ियों और खेल से जुड़े लोगों को वित्तीय सहायता योजना का लाभ प्रदान किया जा सके।
- कल्याण कोष से आवंटित होने वाली राशि को भी बढ़ा दिया गया है।

लाभ के पात्र कौन-कौन होंगे?

- इस स्कीम के तहत, गरीबी में रह रहे खिलाड़ी, खेल से जुड़े लोग और उनके परिवार के सदस्य निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्राप्त होने के हकदार होंगे-

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- ✓ गरीबी में रह रहे बेहतरीन खिलाड़ियों और खेल से जुड़े लोगों के लिये अधिकतम पाँच लाख रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा सकती है।
- ✓ प्रशिक्षण या प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय घायल होने पर खिलाड़ियों और खेल से जुड़े लोगों को 10 लाख रुपए तक की अधिकतम वित्तीय सहायता दी जा सकती है।
- ✓ पाँच लाख रुपए की अधिकतम वित्तीय सहायता, उन बेहतरीन खिलाड़ियों और खेल से जुड़े लोगों के परिवार वालों को दी जाएगी, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं।
- ✓ गरीबी में रह रहे बेहतरीन खिलाड़ियों या उनके परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिये दस लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- ✓ दो लाख रुपए तक की सहायता राशि कोच और उनसे जुड़े सहायक, जैसे- खेल डॉक्टर, खेल मनोचिकित्सक, परामर्शदाता और राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों से जुड़े मालिश करने वालों को मिलेगी।

केरल में महापाषाण काल की कब्र

केरल में कोल्लम ज़िले के वियूर गाँव में चट्टान काटकर बनाई हुई गुफा से लौह काल से भी 2000 वर्ष पुरानी महापाषाण युग के समय की पत्थर से बनी कब्र प्राप्त हुई है।

प्रमुख बिंदु

- इस कब्र से हड्डी के टुकड़ें भी प्राप्त हुए हैं। हड्डी के टुकड़े पुरुष के हैं या महिला के, इसकी जाँच के लिये इन्हें कैलिफोर्निया में बीटा एनालिटिकल लैबोरेट्री में एक्सीलेरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग करते हुए कार्बन डेटिंग के लिये भेजा जाएगा।
- इस तरह की दुर्लभ खोज केरल में अभी तक दो महापाषाणिक स्थलों चेवायूर और अथोली में हुई है। ये दोनों ही स्थल कोझीकोड ज़िले में अवस्थित हैं।
- यहाँ की ज़मीन को समतल करने के प्रयास में एक अर्द्ध-गोलाकार रॉक-कट चैम्बर मिलने के बाद यहाँ खुदाई शुरू की गई।
- **90** सेंटीमीटर की ऊँचाई वाली इस गुफा के अंदर **1.9** मीटर व्यास का एक स्तंभ भी है।
- गुफा का प्रवेशद्वार पूर्वी दिशा में था। चौकोर आकार के दरवाज़े की चारों तरफ से **50** सेंटीमीटर की समान लंबाई है।
- गुफा में विभिन्न प्रकार के बर्तन और लोहे के औजार भी पाए गए हैं।
- दक्षिण भारत में कई पुरातात्विक स्थलों पर पत्थरों की कब्रें पाई गई हैं।
- मेगालिथ" शब्द दो लैटिन शब्दों **mega** और **lith** से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है- एक बड़ा पत्थर।
- "मेगालिथिक" शब्द, ऐसे बड़े पत्थरों से बनी संरचनाओं का वर्णन करता है जो कंक्रीट या मोर्टार के उपयोग के बिना निर्मित है।

रक्षा उद्योग विकास समागम

रक्षा मंत्रालय के अधीन, रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा 18 जनवरी, 2018 से चेन्नई में दो दिवसीय 'रक्षा उद्योग विकास समागम' का आयोजन किया जा रहा है।

उद्देश्य

- समागम का उद्देश्य निजी उद्योगों के साथ नई साझेदारी बनाना है, ताकि सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- यह आयोजन मंत्रालय द्वारा रक्षा उत्पादन के संबंध में निजी उद्योगों की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिये उठाए गए कदमों के अनुरूप किया जा रहा है।
- इसमें हिस्सा लेने वाली निजी कंपनियों और खासतौर से तमिलनाडु क्षेत्र के विक्रताओं को मौजूदा रक्षा खरीद नीति के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।

समागम की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं-

- **700** से अधिक विक्रेताओं द्वारा इसमें हिस्सा लिया जाएगा।
- निजी उद्योग की चिंताओं को दूर करने के लिये सत्र के दौरान प्रेजेन्टेशन दिया जाएगा और डीपीएसयू (**Defence Public Sector Undertakings-DPSUs)**/रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ उन्हें बातचीत करने का अवसर दिया जाएगा।
- समागम के दौरान एयरोस्पेस, भू-प्रणालियों और नौसेना उपकरणों के संबंध में भी कई सत्रों का आयोजन किया जाएगा।
- रक्षा प्रदर्शनी-डीपीएसयू/ओएफबी (**Ordnance Factories Board)** आयोजन स्थल पर स्टॉल लगाएंगे और उन उपकरणों का प्रदर्शन करेंगे, जिन्हें निजी उद्योग/एमएसएमई द्वारा देश में बनाया जाना है।
- एक विशेष स्टॉल तमिलनाडु के एमएसएमई का लगाया जाएगा, जहाँ उनके उत्पादों/क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा।
- एमएसएमई द्वारा घरेलू स्तर पर निर्माण किये जाने संबंधी आवश्यक उपकरणों आदि का प्रदर्शन सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा किया जाएगा।
- इस समागम से व्रिकेताओं को एक अनोखा अवसर प्राप्त होगा, जिसके तहत वे डीपीएसयू/ओएफबी के साथ बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और खरीद प्रक्रियाओं को समझ सकेंगे।
- इस दो दिवसीय समागम के दौरान न केवल मौजूदा साझेदारी मज़बूत होगी, बल्कि नए सहयोग का रास्ता भी प्रशस्त होगा।

वैश्विक खाद्य और कृषि फोरम

18 से 20 जनवरी, 2018 तक जर्मनी के बर्लिन में खाद्य और कृषि विषय पर 10वें वैश्विक फोरम का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत कृषि मंत्रियों के 10वें बर्लिन सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा।

- कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिये जर्मनी, उज्बेकिस्तान और अर्जेंटीना के कृषि मंत्रियों/प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकों का भी आयोजन किया जाएगा।
- यह विश्व का सबसे बड़ा कृषि मंत्री सम्मेलन है।

थीम

- इस वर्ष की थीम 'सतत् पोषकता, जवाबदेही और कुशलता के साथ पशुधन के भविष्य को बेहतर बनाना' है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वैश्विक खाद्य और कृषि फोरम (**Global Forum For Food and Agriculture - GFFA)** एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जो वैश्विक कृषि-खाद्य क्षेत्र के भविष्य के प्रश्नों पर विचार करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन सप्ताह (**International Green Week -IGW)** के दौरान, इसका आयोजन किया गया था और वर्तमान स्वरूप में **8**वीं बार इसका आयोजन किया जा रहा है।
- फोरम राजनीति, व्यापार, विज्ञान और सिविल सोसायटी आदि क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को भाग लेने का अवसर देता है। इस फोरम के माध्यम से वे अपने विचार साझा कर सकते हैं और वर्तमान कृषि नीति के कुछ विषयों पर अपनी समझ को बेहतर बना सकते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- जीएफएफए का आयोजन जीएफएफए बर्लिन, बर्लिन सीनेट और मैसी बर्लिन के सहयोग से खाद्य, कृषि और उपभोक्ता संरक्षण के संघीय मंत्रालय (**Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection -BMEL**) द्वारा किया जाता है।

सोलीगा/शोलगा/शोलागा जनजाति

सोलिगा/शोलगा/शोलागा भारत का एक जातीय समूह है। यह दक्षिणी कर्नाटक की बलिगिरिरंगा पहाड़ी (Biligiriranga Hills) और तमिलनाडु के चामराजनगर (Chamarajanagar) और ईरोड ज़िलों (Erode districts) में निवास करती है।

- यह एक अनुसूचित जनजाति है।
- सोलिगा समूह की मातृ भाषा शोलगा है, जो द्रविड़ परिवार से संबंधित है।
- सोलिगा समूह के पाँच उप-समूह हैं-
  - ✓ पुरुष सोलिगा: कर्नाटक में निवास करने वाला समूह (भाषा-कन्नड़)।
  - ✓ उरली सोलिगा: तमिलनाडु के सीमावर्ती इलाकों में निवास करने वाला समूह (भाषा-कन्नड़)।
  - ✓ पुजारी समूह : माल्या महादेश्वरा पहाड़ियों (Maleya Mahadeshwara Hills) में निवास करने वाला समूह।
  - ✓ काडो सोलिगा (Kadu Soliga): बांदीपुर वन में निवास करने वाला समूह।
  - ✓ बरुड सोलिगा (Burude Soliga): हेगड़ेदेवनकोट तालुका (Heggadadevanakote Taluk) और कोडागु (Kodagu) में निवास करने वाला समूह।

साइबर और सूचना सुरक्षा विभाग

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नवगठित साइबर और सूचना सुरक्षा (Cyber & Information Security -CIS) विभाग के तहत, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre -I4C) तथा साइबर पुलिस बल का गठन किया जाएगा। गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीआईएस प्रभाग का गठन 10 नवंबर, 2017 को किया गया था।

- सीआईएस विभाग के चार प्रभाग होंगे –
  - ✓ सुरक्षा निकासी (क्लियरेंस)।
  - ✓ साइबर अपराध रोकथाम।
  - ✓ साइबर सुरक्षा।
  - ✓ सूचना सुरक्षा।
- प्रत्येक प्रभाग के प्रमुख, अवर सचिव स्तर के अधिकारी होंगे।
- इसके अंतर्गत, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) और उप सीआईएसओ की नियुक्ति का भी प्रस्ताव दिया गया है।
- वित्तीय धोखाधड़ी के लिये एक ऑनलाइन पोर्टल बनाए जाने का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

विशेषताएँ

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति सभी संबंधित हितधारकों, उपयोक्ताओं और जनता के साथ परामर्श के बाद तैयार की गई है। इसकी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं-

- इस नीति का लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन का सुरक्षित माहौल तैयार करना, विश्वास और भरोसा कायम करना तथा साइबर जगत की सुरक्षा के लिये हितधारकों के कार्यों में मार्गदर्शन करना है।
- देश में सभी स्तरों पर साइबर सुरक्षा के मुद्दों से निपटने के लिये व्यापक, सहयोगात्मक और सामूहिक कार्रवाई हेतु रूपरेखा तैयार करना। इस नीति में ऐसे उद्देश्यों और रणनीतियों की आवश्यकता को मान्यता दी गई है, जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने की आवश्यकता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस नीति का विज़न और मिशन नागरिकों, व्यवसायियों और सरकार के लिये साइबर जगत को सुरक्षित और लचीला बनाना है।
- इसका लक्ष्य देश के अंदर सभी हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है।
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा विज़न और मिशन के समर्थन में उद्देश्य एवं रणनीति तय की गई हैं।
- इससे साइबर सुरक्षा अनुपालन, साइबर हमलों, साइबर अपराध और साइबर बुनियादी ढाँचा वृद्धि जैसे रुझानों की राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी की जा सकेगी।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण
National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA)

हाल ही में एनपीपीए द्वारा डीपीसीओ [Drugs (Prices Control) Order –DPCO], 2013 के तहत अनुसूची एक में निहित आवश्यक दवाओं के अधिकतम मूल्य वाले प्रावधान को संशोधित किया गया है। उन दवाओं के संदर्भ में जो कीमत नियंत्रण के अधीन नहीं हैं, निर्माताओं को अधिकतम खुदरा मूल्य 10% सालाना बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

- एनपीपीए भारत सरकार का एक संगठन है जिसे थोक दवाओं और फॉर्मूलों की कीमतों को व्यवस्थित करने/संशोधित करने और दवाओं (मूल्य नियंत्रण) आदेश, **1995** के तहत देश में दवाइयों की कीमतों और उपलब्धता को लागू करने के लिये स्थापित किया गया था।

कार्य

- दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों को कार्यान्वित करना और उन्हें लागू करना।
- प्राधिकरण के निर्णय से उत्पन्न सभी कानूनी मामलों का निपटान करना।
- दवाओं की उपलब्धता पर नज़र रखना, दवाओं की कमी की स्थिति का अवलोकन करना तथा आवश्यक कदम उठाना।
- थोक दवाओं और फॉर्मूलों के उत्पादन, निर्यात और आयात, कंपनियों की बाज़ार में हिस्सेदारी, मुनाफे आदि के संबंध में आँकड़ों को एकत्रित करना/व्यवस्थित करना।
- दवाओं/फार्मास्यूटिकल्स के मूल्य निर्धारण के संबंध में संबंधित अध्ययनों को आयोजित करना।
- सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार, प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य सदस्यों की भर्ती/नियुक्ति करना।
- दवा नीति में परिवर्तन/संशोधन पर केंद्र सरकार को सलाह देना।
- नशीली दवाओं के मूल्य से संबंधित संसदीय मामलों में केंद्र सरकार को सहायता प्रदान करना।

क्लोथो प्रोटीन

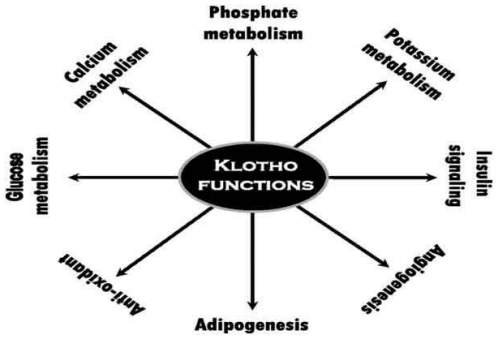

Copyright– Drishti The Vision Foundation

अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं द्वारा बीटा-क्लोथो वर्ग के एक प्रोटीन की त्रिआयामी संरचना की खोज की गई है। शोधकर्त्ताओं के अनुसार, लंबी उम्र और मेटाबोलिज़म को नियंत्रित करने में क्लोथो प्रोटीन एक अहम् भूमिका का निर्वाह करता है। इस कार्य के लिये शोधकर्त्ताओं द्वारा एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस वर्ग के प्रोटीन के दो रिसेप्टर प्रोटीन कुछ विशेष प्रकार के टिशुओं की कोशिकाओं पर पाए जाते हैं।
- ये प्रोटीन हार्मोन्स के एक वर्ग को जोड़ने का काम करते हैं जो कि एफजीएफ का अत:स्राव करता है।
- एफजीएफ लीवर, किडनी और दिमाग सहित शरीर के दूसरे अंगों में होने वाली मेटाबोलिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है।

संगीत नाटक अकादमी

संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित, नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय अकादमी है। इसका गठन भारत सरकार द्वारा 31 मई, 1952 के प्रस्ताव के ज़रिये किया गया था। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत, एक स्वायत्त संस्था है और इसे सरकार द्वारा अपनी योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

लक्ष्य एंव उद्देश्य

- प्रादेशिक अथवा राज्य की संगीत, नृत्य और नाटक अकादमियों के कार्यकलापों को समन्वित करना।
- भारतीय संगीत, नृत्य तथा नाटक के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, पुस्तकालयों एवं संग्रहालय आदि की स्थापना करना।
- अपने उद्देश्यों की प्राप्ति तथा समग्र रूप से भारतीय संस्कृति के संवर्द्धन हेतु आवश्यक अकादमियों और अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित करना।
- भारतीय संगीत, नृत्य और नाट्य कलाओं के संबंध में विभिन्न प्रदेशों के बीच वैचारिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के साथ-साथ तकनीकों का संवर्द्धन करना।
- प्रादेशिक भाषाओं के आधार पर नाट्य केन्द्रों की स्थापना तथा विभिन्न नाट्य केन्द्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- नाट्य प्रस्तुति, मंच शिल्प के अध्ययन एवं अभिनव प्रशिक्षण सहित नाट्य कला में प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
- संदर्भ ग्रंथों, यथा सचित्र शब्दकोष, पारिभाषिक शब्दावली या तकनीकी शब्दावली की पुस्तिका सहित भारतीय संगीत, नृत्य एवं नाटक संबंधी साहित्य को प्रकाशित करना।
- श्रेष्ठ नाट्य संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना।
- विभिन्न भारतीय नाट्य शैलियों में लिप्त दलों की गतिविधियों, बाल रंगमंच, खुले रंगमंच तथा ग्रामीण रंगमंच के विभिन्न रूपों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्य को पुनर्जीवित करने, उनका परिरक्षण करने और सामुदायिक संगीत तथा अन्य प्रकार के संगीत को विकसित करने की दिशा में प्रयास करना।
- भारतीय संगीत, नृत्य तथा नाटक के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों हेतु पुरस्कार, सम्मान तथा मान्यता प्रदान करना। भारतीय संगीत, नृत्य तथा नाटक के क्षेत्रों में देश के विभिन्न प्रदेशों के बीच तथा अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संपर्क कायम करना।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय वयोश्री योजना

गरीबी रेखा से संबद्ध वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता एवं जीवन यापन के लिये आवश्यक उपकरण प्रदान करने वाली 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना' को 01 अप्रैल, 2017 को शुरू किया गया।

- इस योजना के अंतर्गत, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन यापन के लिये आवश्यक उपकरणों को शिविरों के माध्यम से वितरित किये जा रहे हैं।
- ये सहायक उपकरण उच्च गुणवत्ता से युक्त होंगे और इन उपकरणों को भारत मानक ब्यूरो द्वारा तय मापदंडों के अनुसार तैयार किया जा रहा है।
- यह सार्वजनिक क्षेत्र की केंद्रीय योजना है, जिसके लिये पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

- योग्य वरिष्ठ नागरिकों को उनकी विकलांगता/दुर्बलता के अनुरूप निःशुल्क उपकरणों का वितरण किया जा रहा है।
- एक ही व्यक्ति में अनेक विकलांगता/दुर्बलता पाए जाने की स्थिति में, प्रत्येक विकलांगता/दुर्बलता के लिये अलग-अलग उपकरण प्रदान किये जा रहे हैं।
- ये उपकरण वरिष्ठ नागरिकों को आयु संबंधी शारीरिक दिक्कतों से निपटने में मदद करेंगे और परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर उनकी निर्भरता को कम करते हुए उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर देंगे।
- योजना को भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम) नामक एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लागू किया जा रहा है।
- भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम बुज़ुर्गों को दी जाने वाली, इस सहायता एवं सामान्य जीवन जीने के लिये आवश्यक उपकरणों की एक वर्ष तक निःशुल्क देख रेख करेगा।
- प्रत्येक ज़िले में लाभार्थियों की पहचान राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा उपायुक्त/ज़िलाधीश की अध्यक्षता वाली कमेटी के ज़रिये की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि जहाँ तक संभव होगा, प्रत्येक ज़िले में **30** फीसद बुज़ुर्ग महिलाओं को लाभार्थी बनाने का प्रयास किया जाएगा।
- बीपीएल श्रेणी के बुज़र्गों की पहचान करने के लिये राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश या ज़िलास्तरीय कमेटी, एनएएसपी अथवा किसी अन्य योजना के अंतर्गत, वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे बीपीएल लाभार्थियों के आँकड़े एवं जानकारियों का उपयोग किया जा रहा है।
- इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिये आगामी तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष **2019-20** तक) के लिये अनुमानित वित्तीय खर्च **483.6** करोड़ रुपए है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रबंधन समूह (UN Environment Management Group)

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रबंधन समूह (Environment Management Group - EMG) द्वारा 'नेक्सस डायलॉग्स' (Nexus Dialogues) की एक नई श्रृंखला आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है।

- इसके तहत प्रबंधन समूह (**Management Groups**) बनाने और संयुक्त राष्ट्र में अपशिष्ट प्रबंधन के लिये एक अभियान शुरू करने की योजना बनाई जा रही है।
- संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों के बीच कचरे में कमी लाने और इसके प्रबंधन के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिये समूह द्वारा एक कचरा प्रबंधन अभियान भी शुरू किया जाएगा, जिसका नाम 'से यस टू लेस' **(Say yes to less)** रखा जाएगा।

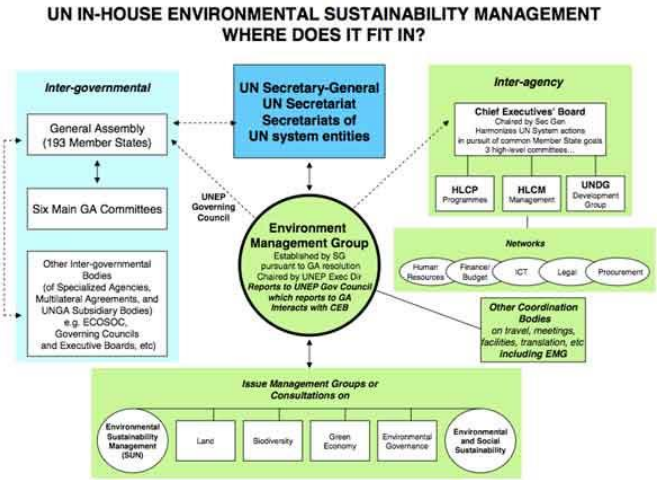

Copyright– Drishti The Vision Foundation

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रबंधन समूह क्या है?

- ईएमजी, पर्यावरण और मानव बस्तियों पर संयुक्त राष्ट्र का एक व्यापक समन्वय निकाय है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के अनुसार, वर्ष **2001** में इसकी स्थापना की गई थी।
- इसके सदस्यों में बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों (**Multilateral Environmental Agreements - MEAs)** के सचिवालयों और संयुक्त राष्ट्र की अन्य विशिष्ट एजेंसियों, कार्यक्रमों तथा अंगों को शामिल किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, इसके अंतर्गत अंतर-सरकारी निकायों के प्रतिनिधियों (**Representatives of intergovernmental bodies),** नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों (**international non-governmental organizations)** को विभिन्न प्रकार के योगदान हेतु आमंत्रित किया जा सकता है। समूह की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (**UN Environment Programme)** के कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है।
- इसका मुख्यालय जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में है।

आई-क्रिएट (iCreate)

हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और उनके इज़रायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा अहमदाबाद स्थित iCreate सुविधा iCreate facility केंद्र को देश को समर्पित किया गया।

- **iCreate** एक स्वतंत्र केंद्र है, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, जल, कनेक्टिविटी, साइबर सुरक्षा, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, जैव-चिकित्सीय उपकरणों तथा तंत्रों, जैसे- महत्त्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने हेतु रचनात्मकता, नवाचार, इंजीनियरिंग, उत्पाद डिज़ाइन और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के मिश्रण के माध्यम से उद्यमशीलता को सुविधाजनक बनाना है।
- इसके अंतर्गत, भारत में एक ऐसे माहौल को विकसित करने पर बल दिया जाता है जिसमें गुणवत्तायुक्त उद्यमियों को आधार प्रदान करने के साथ-साथ सशक्त बनाया जा सके।

राष्ट्रीय सीएसआर डेटा पोर्टल और कॉरपोरेट डेटा पोर्टल

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रीय सीएसआर (Corporate social responsibility - CSR) डेटा पोर्टल और कॉरपोरेट डेटा पोर्टल को लॉन्च किया गया।

- यह पहल, भारत के कॉरपोरेट जगत में और ज़्यादा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इतना ही नहीं, इससे मज़बूत कॉरपोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक साधनों के सृजन में भी मदद मिलेगी।
- इन पोर्टलों पर आम जनता की पहुँच सुनिश्चित करके सरकार उच्चस्तरीय अनुपालन का मार्ग प्रशस्त करेगी और इसके साथ ही सीएसआर गतिविधियों को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के साथ-साथ इन्हें सुदृढ़ अथवा समेकित भी करेगी।
- ये दोनों ही पोर्टल, स्मार्ट गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिये प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करने की सरकारी प्रतिबद्धता को परिलक्षित करते हैं।

उद्देश्य

- कॉरपोरेट डेटा पोर्टल का उद्देश्य कंपनियों की समस्त वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सूचनाएँ आम जनता को यूज़र अनुकूल प्रारूप में उपलब्ध कराना है। इसमें पूर्व-निर्धारित रिपोर्टों के साथ-साथ अनुकूलित रिपोर्टों को भी सृजित करने की सुविधा है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

विशेषताएँ

- राष्ट्रीय सीएसआर डेटा पोर्टल के तहत, पात्र कंपनियों द्वारा क्रियान्वित की गई सीएसआर संबंधी गतिविधियों से जुड़ी सूचनाओं को उनके द्वारा अपने-अपने वित्तीय वक्तव्यों के अंतर्गत एमसीए**21** रजिस्ट्री में दर्ज़ किया जाता है।
- दर्ज़ की गई सूचनाओं से कंपनियों द्वारा क्रियान्वित सीएसआर गतिविधियों का आशुचित्र (स्नैप शॉट) उपलब्ध होता है।
- इस पोर्टल पर परियोजनाओं के बारे में आवश्यक टिप्पणियाँ करने या जानकारियाँ (फीडबैक) देने की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। डेटा तक खुली पहुँच सुलभ होने से अनुसंधानकर्त्ताओं को आवश्यक मदद मिलने की आशा है।
- इसके साथ ही कंपनियों द्वारा दर्ज़ किये जाने वाले डेटा की गुणवत्ता सुधारने में भी मदद मिलने की आशा है। इसी तरह अभीष्ट लाभार्थियों को इसकी मदद से कंपनियों को बहुमूल्य जानकारी (फीडबैक) देने में भी मदद मिलेगी।

आपदा चेतावनी प्रणाली तंत्र

तटीय समुदाय तक आपदा चेतावनी को प्रसारित करने के लिये पूर्व-चेतावनी प्रसार प्रणाली (Early Warning Dissemination System -EWDS) को मार्च 2018 में शुरू किया गया।

- ओडिशा पहला राज्य है, जहाँ इसे स्थापित किया जाएगा।
- ईडब्ल्यूडीएस देश में अपनी तरह की पहली स्वचालित सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है, जिससे सुनामी या चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राज्य के मुख्यालय से **122** स्थानों पर स्थापित टावरों के माध्यम से विशाल तटीय समुदाय को चेतावनी देने में मदद मिलेगी।
- इस प्रणाली को विश्व बैंक की सहायता से विकसित किया जा रहा है।
- शुरुआत में, इसे छह तटीय ज़िलों बालासोर, भद्रक, गजंम, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और पुरी में स्थापित करने की योजना है।

Early Warning Dissemination System (EWDS)

- **EWDS** में डिजिटल मोबाइल रेडियो (**Digital Mobile Radio-DMR),** सैटेलाइट-आधारित मोबाइल डाटा वॉयस टर्मिनल (**Satellite-Based Mobile Data Voice Terminals-SBMDVT**), जन संदेश प्रणाली (**Mass Messaging System -MMS)** और यूनिवर्सल कम्युनिकेशन इंटरफेस (**Universal Communication Interface-UCI)** जैसी कुछ युक्तियाँ हैं जो विभिन्न संचार तकनीकियों के बीच अंतर-संचालन (**inter-operability)** को संभव बनाती हैं।
- जन संदेश प्रणाली आपदा से प्रभावित होने वाले किसी विशेष इलाके में सभी मोबाइल उपभोक्ताओं को **SMS** के माध्यम से चेतावनी संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करती है।
- सुनामी या चक्रवात या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के आने की आंशका होते ही भुवनेश्वर में कंट्रोल रूम में स्थापित बटन से पूरे राज्य में चेतावनी का प्रसार किया जा सकेगा।
- इस पूर्व-चेतावनी प्रणाली से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने में मदद मिलेगी।
- आपदाओं के लिये एक स्वचालित तटीय चेतावनी प्रणाली ओडिशा के लोगों के लिये बहुत मददगार होगी क्योंकि राज्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। अगर देश के सभी आपदा संभाव्य क्षेत्रों में ऐसे प्रणाली स्थापित की जा सके, तो प्राकृतिक आपदाओं से जीवन और संपत्ति को होने वाले नुकसान में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

सहपीडिया करेगा प्राचीन समुद्री व्यापार का दस्तावेज़ीकरण (Sahapedia' to document ancient maritime trade)

सहपीडिया, भारत के पारंपरिक कला रूपों पर डिजिटलीकरण और शोध करने की दिशा में आरंभ की गई एक पहल के रूप में प्राचीन समुद्री व्यापार का दस्तावेज़ीकरण करेगा। इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत में विकसित हुए प्राचीन समुद्री व्यापार के विषय में वर्णन किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप पारस्परिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान संभव हो पाया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह दस्तावेज़, जिसे कि केरल के फोर्ट कोच्चि, मटानचेरी मुजिरिस/कोडुंगल्लूर, कोल्लम और कोझीकोड से लेकर तमिलनाडु और अन्य हिस्सों में स्थित स्थानों पर आयोजित किया जाएगा, का उद्देश्य परत दर-परत इतिहास की जानकारी प्रात करना है। यह विशेषज्ञों और संस्थानों के सहयोग से शोधकर्त्ताओं की एक टीम द्वारा तैयार किया गया एक स्रोत होगा, साथ ही यह दुनिया भर के पंजीकृत उपयोगकर्त्ताओं को उनकी रुचि के अनुरूप सूचनाओं के योगदान हेतु एक मंच भी उपलब्ध कराएगा।
- इसके अंतर्गत, मूर्त और अमूर्त दोनों तरह की विरासतों को शामिल किया गया है।
- भारतीय विरासत और संस्कृति को प्रोत्साहित करने और इस संबंध में ज्ञानार्जन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के एक हिस्से के रूप में, सहपीडिया द्वारा एक महीने में एक बार कोच्चि में अनुसंधान और रुचि से संबंधित क्षेत्रों पर विद्वानों एवं कलाकारों के मध्य अभीमुखम संध्या (**Abhimukham evenings)** आयोजन शुरू किया गया है।
- इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह विभिन्न विरासत स्थलों जैसे कि फोर्ट कोच्चि, मटानचेरी (**Mattancherry),** त्रिपिनीथुरा (**Tripunithura)** और मुजिरिस (**Muziris)** जैसे स्थानों पर 'हेरिटेज वॉक' का आयोजन किया जा रहा है।
- इसके साथ-साथ एक गैर-सरकारी संगठन 'द आर्ट आउटरीच सोसायटी' (**The Art Outreach Society -TAOS)** के सहयोग से 'हेरिटेज वॉक' द्वारा कम विशेषाधिकार प्राप्त स्कूलों के लिये भी योगदान दिया जा रहा है।

नए मुख्य चुनाव आयुक्त

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत को चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। ओम प्रकाश रावत ने अचल कुमार जोती के 22 जनवरी, 2018 को मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार छोडने के बाद 23 जनवरी, 2018 से मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार ग्रहण किया।

कैसे होता है निर्वाचन आयुक्त का चयन ?

- भारतीय संविधान के भाग **15** में अनुच्छेद **324** से लेकर अनुच्छेद **329** तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है।
- अनुच्छेद **324** निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बताता है।
- संविधान ने अनुच्छेद **324** में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की ज़िम्मेदारी दी है।
- वर्ष **1989** तक निर्वाचन आयोग केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित एक सदस्यीय निकाय था, लेकिन **16** अक्तूबर, **1989** को राष्ट्रपति की अधिसूचना के द्वारा दो और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई।

निर्वाचन आयोग

- भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना **25** जनवरी, **1950** को की गई, यही कारण है कि **25** जनवरी को देश भर में "राष्ट्रीय मतदाता दिवस" के रूप में मनाया जाता है।
- निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो अन्य आयुक्त होते हैं। सभी का कार्यकाल छह साल का होता है, लेकिन आयु सीमा **65** साल निर्धारित की गई है।
- निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान, भारतीय संविधान के भाग **15** के अनुच्छेद **324** से लेकर अनुच्छेद **329** तक में उपबंधित हैं।
- भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित जन-प्रतिनिधि शासन में भाग लेते हैं।
- अतः जन-प्रतिनिधियों का चुनाव निष्पक्ष ढंग से हो सके, इसके लिये संविधान के अनुच्छेद **324** में स्वतंत्र और निष्पक्ष एवं संवैधानिक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

2000 एजे 129 नामक क्षुद्रग्रह

- **04** फरवरी **2018** को पृथ्वी के पास से खतरनाक श्रेणी के एक मध्यम आकार के क्षुद्रग्रह के गुज़रने की संभावना व्यक्त की गई है। इस क्षुद्रग्रह का नाम **2000** एजे**129** रखा गया है।
- यह क्षुद्रग्रह पृथ्वी और चांद की दूरी से **10** गुना अधिक दूरी से गुज़रेगा।
- कैलिफोर्निया में जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला में नासा के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज़ द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, वैज्ञानिकों द्वारा पिछले **14** वर्षों से इस क्षुद्रग्रह के विषय में शोध कार्य किया जा रहा है।
- शोधकर्त्ताओं द्वारा यह कहा गया है कि इस क्षुद्रग्रह के पृथ्वी से टकराने की संभाव्यता तकरीबन शून्य है। हालाँकि, यह बहुत अधिक तीव्र गति (**34** किमी. प्रति सेकेंड) के साथ पृथ्वी के समीप से गुज़रेगा।

पैगाह मकबरा

पैगाह मकबरों को शम्स-उल-उमराही (Shams-ul-Umara) मकबरे भी कहा जाता है। हैदराबाद (तेलंगाना) के पिसल बांदा उपनगर में स्थित है।

- इनका संबंध हैदराबाद के निज़ाम के निकटतम सहयोगी और वफादार पैगाह वंश से है जिनके निज़ाम के साथ वैवाहिक और सैन्य रूप से सहयोगी संबंध थे।
- पैगाहों को राज्य की सुरक्षा और रक्षा की देखभाल को ज़िम्मेदारी दी गई थी।

प्रमुख विशेषताएँ

- पैगाह शब्द फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है- शाही पद।
- हैदराबाद के दूसरे आसफजाही निज़ाम (**1760-1803**) द्वारा नवाब अबुल फतेह तेग जंग बहादुर को उत्कृष्ट शाही सेवाओं के बदले में शम्स-उल-उमरा की उपाधि भी दी गई थी। इसलिये इन्हें शम्स-उल-उमराही मकबरे भी कहा जाता है।
- शम्स–उल-मुल्क, शम्स-उल-दौला तथा शम्स-उल-उमरा निजाम द्वारा दी जाने वाली अन्य वंशानुगत उपाधियाँ थीं, जिनका अर्थ होता है- अमीरों और लोगों में सूर्य के जैसा।
- पहले मकबरे का निर्माण कार्य **1787** में नवाब तेग जंग बहादुर द्वारा शुरू करवाया गया था और इसमें मकराना के संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया गया था। उनके बेटे आमिर-ए-कबीर ने इसके निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया था।
- इस वंश के प्रसिद्ध नवाब सर विकर-उल-उमरा सहित यहाँ पैगाह परिवार के **21** सदस्यों को दफन किया गया है।
- भारत-इस्लामी वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण, पैगाह मकबरों की स्थापत्य कला पर ग्रीक, पर्सियन, मुगल, राजस्थानी और दक्कनी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।
- पैगाह परिवार ने राष्ट्रीय विरासत के रूप में, इसके संरक्षण के लिये इसे भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (**ASI**) को सौंप दिया है।

किलोपावर (Kilopower)

नासा द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार, वह किलोपॉवर परियोजना (Kilopower project) के लिये नए परीक्षणों का संचालन कर रहा है। ऐसे ही एक कार्यक्रम के अंतर्गत, अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिये छोटे परमाणु स्रोतों (sources) का निर्माण किया जा रहा है।

किलोपावर क्या है?

किलोपावर परियोजना प्रारंभिक अवधारणाओं और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिये एक निकट-अवधि का तकनीकी प्रयास है।

- इसका उपयोग एक वहनीय फिज़न परमाणु ऊर्जा प्रणाली **(fission nuclear power system)** हेतु किया जा सकता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

लक्ष्य

- इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य **2018** तक परमाणु ऊर्जा प्रणाली आधारित प्रौद्योगिकियों को पर्याप्त रूप से विकसित करने के साथ-साथ उनका परीक्षण करना है।
- ऐसा करने का उद्देश्य नासा के लिये फिज़न पॉवर (**fission power)** अन्वेषण सतह प्रणालियों (**exploration surface systems)** का सूचित चयन (**informed selection)** करने का एक संभावित विकल्प तैयार करना है।

लाभ

- यह प्रौद्योगिकी, आवासों और जीवन-समर्थन प्रणालियों को सशक्त बनाने, अंतरिक्ष यात्रियों को संसाधनों का खनन करने, रोवर को रिचार्ज करने और प्रसंस्करण उपकरणों को सक्षम बनाने, जैसे कि ग्रह पर मौजूद बर्फ को ऑक्सीजन, पानी और ईंधन जैसे संसाधनों में परिवर्तित करने के लिये सक्षम बनाती है।
- यह बाहरी ग्रहों के लिये शुरू किये जाने वाले मिशनों के संदर्भ में विद्युत रूप से संचालित अंतरिक्ष यान प्रणोदन प्रणाली में भी संभावित रूप से वृद्धि कर सकती है।

विदेशी राजनयिक मिशनों/संयुक्त राष्ट्र संगठनों की विशिष्ट पहचान संख्या (Unique Identity Number - UIN)

विदेशी राजनयिक मिशनों/संयुक्त राष्ट्र संगठनों द्वारा, यह शिकायत की गई है कि इनके दूतावासों/मिशनों/वाणिज्य दूतावासों या संयुक्त राष्ट्र संगठनों को विक्रय करते समय वेंडरों/आपूर्तिकर्त्ताओं/ई-कॉमर्स वेबसाइटों द्वारा विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) दर्ज़ करने के मामले में अनिच्छा प्रकट की जाती हैं।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि विदेशी राजनयिक मिशनों/संयुक्त राष्ट्र संगठनों को आपूर्ति करना एकदम वैसे ही है, जैसे किसी अन्य व्यवसाय में उपभोक्ता को आपूर्ति की जाती है, इसका आपूर्तिकर्त्ता की कर देयता पर कोई असर नहीं होता है।
- ऐसी आपूर्ति करने के दौरान यूआईएन रिकॉर्ड करने से विदेशी राजनयिक मिशन/संयुक्त राष्ट्र संगठन भारत में उनके द्वारा अदा किये जाने वाले करों के रिफंड का दावा करने में सक्षम बन जाते हैं।
- यही कारण है कि सरकार द्वारा यह सलाह दी जाती है कि आपूर्तिकर्त्ताओं को टैक्स इनवॉईस (**tax invoice)** पर दूतावासों/मिशनों/वाणिज्य दूतावासों या संयुक्त राष्ट्र संगठनों के यूआईएन को दर्ज़ करने से मना नहीं करना चाहिये।

विशिष्ट पहचान संख्या क्या है?

- विशिष्ट पहचान संख्या (**Unique Identification Number -UIN)** संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं अधिकार) अधिनियम [**United Nations (Privileges and Immunities) Act], 1947,** वाणिज्य दूतावास या दूसरे देशों के दूतावास के तहत अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र संगठन की किसी विशिष्ट एजेंसी या किसी अन्य बहु-पक्षीय वित्तीय संस्थान (**Multilateral Financial Institution)** या संगठन को आवंटित **15** अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी इनवॉयस भुगतान (**invoice payment**) पर विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) को रिकॉर्ड करना, सीजीएसटी नियमों (**Central Goods and Services Tax - CGST Rules), 2017** के नियम **46** के तहत एक आवश्यक शर्त है।
- इन नियमों के उल्लंघन पर सीजीएसटी नियमों**, 2017** के तहत, दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढाँचा कोष
(National Investment and Infrastructure Fund - NIIF)

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढाँचा कोष (एनआईआईएफ) द्वारा अपना पहला निवेश किया गया। एनआईआईएफ ने भारत में बंदरगाह टर्मिनल, परिवहन, आपूर्ति व्यापार के क्षेत्र में निवेश हेतु, एक मंच बनाने के लिये डीपी वर्ल्ड के साथ साझेदारी की है।

प्रमुख बिंदु

- इस मंच के माध्यम से पत्तन क्षेत्र के अलावा, नदी पत्तन और परिवहन**,** माल ढुलाई गलियारा**,** बंदरगाह वाले विशेष आर्थिक क्षेत्र**,** अंतर्देशीय माल वाहक टर्मिनल्स और शीतगृह सहित आपूर्ति सेवाओं से जुड़े ढाँचे जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसर उपलब्ध होंगे।

एनआईआईएफ क्या है?

- एनआईआईएफ के मास्टर कोष की शुरुआत **16** अक्तूबर**, 2017** को अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (**Abu Dhabi Investment Authority-ADIA)** की एक सब्सिडरी और चार घरेलू संस्थागत निवेशक(**Domestic Institutional Investors –DIIs),** एच.डी.एफ.सी. ग्रुप**,** आई.सी.आई.सी.आई. बैंक**,** कोटक महिंद्रा लाइफ और एक्सिस बैंक के सहयोग से हुई थी।
- भारत-ब्रिटेन हरित विकास इक्विटी कोष (**Green Growth Equity Fund-GGEF)** की भी स्थापना की जा रही है। जिसके तहत प्रत्येक देश की सरकारें **120-120** मिलियन पाउंड का निवेश करेंगी।
- भारत सरकार एनआईआईएफ के ज़रिये इस कोष में धन डालेगी।
- सेबी के नियमों के तहत, तीन वैकल्पिक निवेश कोष (**Alternative Investment Funds-AIFs)** स्थापित करने के बाद एनआईआईएफ का संचालन किया जा रहा है।

कैंसरसीक टेस्ट

हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा कैंसर के संबंध में एक नई उपलब्धि हासिल की गई है। वैज्ञानिकों द्वारा रक्त–जाँच की एक ऐसी तकनीक विकसित की है, जिसकी सहायता से आठ प्रकार के कैंसर की पहचान की जा सकती है।

- इसके तहत ओवरी**,** लीवर**,** पेट**,** पैनक्रियाज़**,** खाने की नली**,** कोलोरेक्टम फेफड़ों और स्तन के कैंसर के संबंध में पता लगाया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

- इस रक्त-जाँच को कैंसरसीक नाम दिया गया है।
- यह शरीर में किसी उपकरण को प्रवेश कराए बिना चिकित्सीय प्रकिया के माध्यम से की जाने वाली एक बहु-विश्लेषक जाँच प्रक्रिया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस टेस्ट से आठ प्रकार के कैंसर प्रोटीनों के स्तर का मूल्यांकन करने के साथ-साथ रक्त में मौजूद डीएनए से कैंसर जीन की उपस्थिति के विषय में भी पता लगाया जा सकता है।
- वर्तमान में जो जाँच प्रक्रिया मौजूद हैं, उसकी सहायता से पाँच तरह के कैंसर की ही पहचान की जा सकती है।
- इसका लाभ यह होगा कि इसकी सहायता से समय पर यह पता लगाया जा सकता है कि शरीर के किस हिस्से में बीमारी पनप रही है।

जयपुर में होम्योपैथी शोध संस्थान (Homeopathy Research Institute in Jaipur)

केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा, 22 जनवरी, 2018 को जयपुर में होम्योपैथी शोध संस्थान का शिलान्यास किया गया। यह तीसरा शोध संस्थान होगा, जो कि केंद्रीय होम्योपैथी शोध परिषद **(Central Council for Research in Homoeopathy – CCRH)** के तहत काम करेगा।

- सीसीआरएच आयुष मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय है, जो कि देश भर में **23** संस्थानों के साथ होम्योपैथी के क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध के लिये काम करता है।

प्रमुख बिंदु

- आयुष मंत्रालय द्वारा होम्योपैथी सहित अन्य आयुष की अन्य पद्धतियों के ढाँचागत विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- शोध संस्थानों के ढाँचे को सुदृढ़ करने से शोध गुणवत्ता में सुधार होगा और होम्योपैथी के क्षेत्र में साक्ष्य आधारित सूचना प्राप्त हो सकेगी।
- इस लक्ष्य के तहत, हिमाचल प्रदेश में शिमला, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में होम्योपैथी संस्थान स्थापित करने की योजनाओं पर काम चल रहा है।
- होम्योपैथी संस्थान द्वारा गोद लिये गए, पाँच गाँवों में स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के तहत योगदान दिया जा रहा है।

नूना (Nuna)

शोधकर्त्ताओं द्वारा ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के बारे में एक नई जानकारी दी गई है, जिसके अनुसार, देश का एक छोटा क्षेत्र 'नूना' (Nuna) नामक सुपरकॉन्टिनेंट कभी कनाडा का हिस्सा था।

प्रमुख बिंदु

- इस विषय में किये गए अनुसंधान से प्राप्त जानकारी के अनुसार, लगभग **1.7** बिलियन वर्ष पहले जब यह क्षेत्र उत्तर अमेरिका का हिस्सा था, जॉर्जटाउन **(Georgetown)** चट्टानें एक उथले समुद्र में जमा होती गईं।
- तब जॉर्जटाउन उत्तरी अमेरिका से टूटकर दूर हो गया और लगभग **100** मिलियन वर्ष बाद उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के माउंट ईसा क्षेत्र **(Mount Isa region)** से टकरा गया।
- यह वैश्विक महाद्वीपीय पुनर्गठन **(Global Continental Reorganization)** का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा था।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

नूना क्या है?

- नूना, इसे कोलंबिया के नाम से भी जाना जाता है, इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक तकरीबन **12900** किलोमीटर थी।
- नूना सिर्फ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों से मिलाकर बना हुआ था, हालाँकि भारत का पूर्वी तट भी पश्चिमी उत्तर अमेरिका से जुड़ा हुआ था।
- वर्तमान महाद्वीपों के निर्माण की प्रक्रिया में दक्षिण अमेरिका एक ऐसे घुमाव पर अवस्थित हुआ कि ब्राज़ील का पश्चिमी हिस्सा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी हिस्से से जुड़ गया।
- इन संयुक्त महाद्वीपों के निर्माण से एक सुपर कॉन्टिनेंट नूना का निर्माण हुआ। बाद में नूना का निर्माण ही पेंज़ीया (**Pangea)** के निर्माण का आधार बना।

राष्ट्रीय विकलांगता वित्त और विकास निगम (National Handicapped Finance and Development Corporation)

हाल ही में राज्यस्तरीय मार्गदर्शक एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और राष्ट्रीय विकलांगता वित्त और विकास निगम (National Handicapped Finance and Development Corporation -NHFDC) के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस सम्मेलन में भागीदार एजेंसियों को एनएचएफडीसी और मार्गदर्शक एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय हेतु एनएचएफडीसी योजनाओं के सुचारु और बेहतर कार्यान्वयन की बात कही गई।
- इस सम्मेलन में एनएचएफडीसी के सर्वोत्तम प्रदर्शन वाली राज्यस्तरीय मार्गदर्शक एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रोत्साहन चेक भी प्रदान किये गए।

एनएचएफडीसी क्या है?

- **24** जनवरी, **1997** को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विकलांगता वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) की स्थापना की गई थी।
- यह निगम कंपनी अधिनियम, **1956** की धारा **25** के तहत, एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत है।
- यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है।
- इसकी अधिकृत शेयर पूंजी **400** करोड़ रुपए है। इस कंपनी का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

डाक टिकट पर महाभारत का वर्णन (Mahabharata on the postage stamp)

कुछ समय पहले रामायण के ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से एक डाक टिकट जारी किया गया था। इसी क्रम में हाल ही में बिष्टुपुर स्थित प्रधान डाकघर के फिलाटेली विभाग द्वारा डाक टिकट पर पहली बार महाभारत का वर्णन किया गया है।

- इस डाक टिकट शीट में कुल **18** टिकट हैं जिन पर अलग-अलग राज्यों की चित्र शैली में महाभारत के वृतांतों को चित्रित किया गया है।

प्रमुख विशेषताएँ

- टिकट **1** में राजस्थान की पिछवाई शैली में ईश्वर के दिव्य रूप का चित्रण किया गया है।
- टिकट **2, 3, 6, 11** और **15** में एक लोक कलाकार से लिये गए चित्रों को अंकित किया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- टिकट **4** में पांडवों एवं द्रौपदी का वर्णन किया गया है।
- टिकट **5** में भी द्रौपदी का वर्णन किया गया है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की चमड़े से बनी छाया पुतली शैली का प्रयोग किया गया है।
- टिकट **8** में महाबलिपुरम् के शैलचित्रों में अंकित अर्जुन के तप प्रसंग के चित्रण का प्रयोग किया गया है।
- टिकट **9** में पांडवों एवं द्रौपदी का वर्णन करने के लिये बिहार एवं बंगाल की पटचित्र शैली का प्रयोग किया गया है।
- टिकट **10** और **13** में मुगल शैली का प्रयोग करते हुए चित्रण किया गया है।
- टिकट **16** और **17** में उत्तर भारत के हिंदू एवं जैन धर्मग्रंथों में प्रयुक्त जलचित्र शैली का प्रयोग किया गया है। टिकट **18** में आंध्र प्रदेश की कलमकारी शैली का प्रयोग करते हुए टिकट को तैयार किया गया है।

आंगनवाड़ी सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल
Management Information System (MIS) portal for Anganwadi Services Training Programme

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आंगनवाड़ी सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम (Anganwadi Services Training Programme) के लिये प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre -NIC) के सहयोग से विकसित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इसके तहत आंगनवाड़ी सेवी प्रशिक्षण केंद्र (**Supervisors at the Anganwadi Workers Training Centres -AWTCs**)/मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र **(Middle Level Training Centres -MLTCs)** के ज़रिये आंगनवाड़ी सेवाएँ देने वाले गैर-सरकारी संगठन आवेदन/अनुमान जमा कर सकते हैं।
- पोर्टल के पहले चरण के ज़रिये गैर-सरकारी संगठन अपने-अपने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रस्ताव दे सकते हैं।
- राज्य और केंद्रशासित प्रदेश इसके बाद प्रस्तावों पर गौर करेंगे और कार्यक्रम के संचालन के लिये आवश्यक निधियों की सिफारिश करेंगे। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावों की जाँच करके धनराशि जारी की जाएगी।

आंगनवाड़ी सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम

- आंगनवाड़ी सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (**Integrated Child Development Services - ICDS)** के तहत केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसका प्रशासन, प्रबंधन, निगरानी संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा किया जाता है।
- आंगनवाड़ी सेवियों (**Anganwadi Workers-AWWs**)/आंगनवाड़ी सहायकों (**Anganwadi Helpers –AWHs)** और निरीक्षकों को एडब्ल्यूटीसी और एमएलटीसी में प्रशिक्षित किया जाता है।
- इन्हें संबंधित राज्य सरकारें/केंद्रशासित प्रशासन या संबंधित राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रशासनों की निगरानी के तहत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित किया जाता है।
- योजना के कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रशासनों को भारत सरकार द्वारा निधियाँ जारी की जाती है।
- नीति आयोग के निर्देशानुसार, गैर-सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों के लिये यह आवश्यक है कि वे एनजीओ–पीएस पोर्टल पर पंजीकरण कराएँ तथा उनके सदस्यों और पदाधिकारियों को पैन और आधार के ज़रिये प्रमाणित किया जाए।

एक ज़िला-एक उत्पाद योजना

उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य सरकार द्वारा 'एक ज़िला-एक उत्पाद' योजना की शुरुआत की गई। इससे प्रदेश में दम तोड़ रहे कुटीर उद्योगों को नई पहचान हासिल होगी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख बिंदु

- योजना के तहत सरकार द्वारा हर ज़िले के खास उत्पादों के निर्माण, विपणन और प्रसार के संबंध में विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।
- देश की अर्थव्यवस्था में **8.4** प्रतिशत भागीदारी के साथ उत्तर प्रदेश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- देश के कुल हस्तशिल्प निर्यात में प्रदेश का योगदान तकरीबन **44** प्रतिशत है। इसी तरह कालीन के क्षेत्र में **39** प्रतिशत तथा चर्म उत्पाद के क्षेत्र में **26** प्रतिशत योगदान है।
- इस योजना के माध्यम से लघु उद्योगों और हस्तशिल्प के क्षेत्र में विकास को एक नया आयाम मिलने की संभावना है।
- इसके अतिरिक्त प्रदेश की सरकार द्वारा कई नई व कार्यरत इकाइयों के लिये वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी।

चलने वाली मछली

तस्मानिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा 'चलने वाली मछलियों' के एक और नए प्राकृतिक आवास की खोज की गई है।

प्रमुख बिंदु

- 'रेड हैंडफिश' नामक यह मछली अपने शरीर पर मौजूद फिन की सहायता से समुद्र की तलछट में चलने में सक्षम होती है।
- इस मछली की लंबाई **6** से **13** सेंटीमीटर तक होती है।
- इनका भोजन सख्त त्वचा वाले छोटे जीव एवं कीड़े होते हैं।
- ये मछलियाँ एक ही प्रकार के वातावरण में रहने की आदि नहीं होती हैं, क्योंकि इनका नया आवास इनके पिछले ठिकाने से एकदम भिन्न स्थान पर पाया गया है।
- इन मछलियों के संरक्षण के संबंध में अभी तक कोई योजना नहीं बन पाई है।

कैंसर के इलाज के लिये नई तकनीक

आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) रुड़की के रसायन विभाग के डॉ. कौशिक घोष और जैव तकनीक विभाग के डॉ. प्रभात मंडल द्वारा कैंसर के उपचार की एक नई तकनीक की खोज की गई है। इस तकनीक के माध्यम से शरीर में केवल कैंसर प्रभावित हिस्से का ही उपचार किया जा सकता है, इससे शरीर के बाकी हिस्सों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान में पूरी दुनिया में यूवी या अन्य रेडिएशन रेंज से कैंसर का उपचार किया जाता है। यदि कैंसर की सेल्स की बात छोड़ दी जाए तो ये रेडिएशन पूरे शरीर की सेल्स के लिये बेहद हानिकारक होती हैं।
- इतना ही नहीं, कैंसर के उपचार हेतु जिन दवाइयों का सेवन मरीज़ द्वारा किया जाता है उनके गंभीर साइड इफेक्ट भी होते हैं।
- इस बात को ध्यान में रखते हुए इन शोधकर्त्ताओं द्वारा गैर-विषैले माध्यम से दवा देने के कॉन्सेप्ट पर काम किया गया।
- हालिया कुछ वर्षों में शरीर के किसी हिस्से को लक्ष्य बना नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करना रसायन और जैव रसायन, दोनों क्षेत्रों में शोध का महत्त्वपूर्ण विषय रहा है।
- इसके लिये ऐसे मॉलिक्यूल, जो रोशनी प्रदान करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करेंगे, फोटो डायनामिक थैरेपी के लिये बेहद महत्त्वपूर्ण होते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

फोटो डायनमिक थैरेपी

- नाइट्रोसिल कंपाउड कैंसर प्रभावित हिस्से में विज़िबल लाइट में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करता है।
- फोटो डायनामिक थैरेपी नामक यह प्रक्रिया प्रभावित भाग को लक्ष्य बनाकर दवा रिलीज करने के कॉन्सेप्ट पर काम करती है। इसके लिये रोशनी का प्रयोग किया जाता है।
- इस संबंध में किये गए शोधों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नाइट्रिक ऑक्साइड में कैंसररोधी गुण विद्यमान होते हैं।
- शोधकर्त्ताओं द्वारा इस उपचार के लिये विभिन्न प्रकार के फोटो एक्टिव रुथेनियम नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स के विषय में पता लगाया गया है।
- शोधकर्त्ताओं द्वारा इस शोध हेतु एक ऑर्गेनो मेटलिक रुथेनियम नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स पर कार्य किया गया, जिसमें ऐजो ग्रुप होते हैं, जो दृश्य रोशनी में बहुत जल्दी नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करने में सक्षम होते हैं।

विश्व ऊर्जा और पर्यावरण सम्मेलन

- विश्व ऊर्जा और पर्यावरण परिषद (**World Energy and Environment Council**) द्वारा बहरीन में **5**वें विश्व ऊर्जा और पर्यावरण सम्मेलन और प्रदर्शनी (**World Energy and Environment Conference and Exhibition), 2018** का आयोजन किया गया।
- इस सम्मेलन के अंतर्गत ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण के संबंध में वैश्विक स्तरीय बहस, संवाद और सहयोग हेतु चर्चाएँ की गई।

सम्मेलन की थीम

- इस सम्मेलन की थीम थी- **'संक्रमण काल में स्वच्छ, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर स्थानांतरण' (Shifting to Clean, Renewable Energy in Time of Transition)**

विश्व ऊर्जा और पर्यावरण सम्मेलन

- विश्व ऊर्जा और पर्यावरण सम्मेलन पर्यावरण से संबंधित गंभीर मुद्दों और स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा के स्थानांतरण संबंधी चुनौतियों का सामना करने के संदर्भ में विचार-विमर्श करने वाला एक वैश्विक मंच है।
- इसके अंतर्गत ऊर्जा नीति, टिकाऊ रणनीतियों, सतत् संसाधनों के विकास और सतत् आर्थिक विकास की संवृद्धि के संबंध में ध्यान केंद्रित करने पर विशेष बल दिया गया है।
- विश्व ऊर्जा और पर्यावरण सम्मेलन का उद्देश्य उपरोक्त के संदर्भ में विनिर्दिष्ट कानूनों और विनियमों के पालन हेतु बेहतर विचार प्राप्त करने के लिये विश्व की सरकारों, उनके नेताओं और नीति-निर्माताओं को अपने दायित्वों के लिये प्रतिबद्ध बनाना है ताकि इस क्षेत्र में प्रभावी कार्यवाही की जा सके।
- इस संदर्भ में देश की सरकारों के साथ-साथ निजी क्षेत्रों से पर्याप्त सहयोग और भागीदारी की आशा व्यक्त की गई है, ताकि पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में प्रभावकारी कार्य किया जा सके।

एनर्जी ग्लोब वर्ल्ड अवार्ड
(Energy Globe World Award)

कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ (Kalinga Institute of Social Sciences -KISS) को 18वें एनर्जी ग्लोब वर्ल्ड अवार्ड (Energy Globe World Award), 2017 से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड को पाने वाला यह भारत का एकमात्र संगठन है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस संस्थान को हरित पहलों के संदर्भ में 'फायर' श्रेणी (बड़े पैमाने पर खाना पकाने के लिये पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करने संबंधी) के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है।
- एनर्जी ग्लोब फाउंडेशन (**Energy Globe Foundation**) द्वारा **1999** में स्थापित 'एनर्जी ग्लोब वर्ल्ड अवार्ड' पर्यावरण के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है।
- इसके अंतर्गत आर्थिक उपयोग हेतु संसाधनों के सावधानीपूर्वक प्रयोग तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के संबंध में आरंभ की गई परियोजनाओं की पहचान की जाती है।
- भारत, थाईलैंड और स्पेन को 'फायर' श्रेणी के अंतिम दौर के लिये चुना गया था। संपूर्ण मूल्यांकन के बाद उच्च-स्तरीय जूरी ने **KISS** को अंतिम विजेता घोषित किया।
- **KISS** ने बायोगैस संयंत्र, भाप-आधारित खाना पकाने की प्रणाली, सोलर हीटिंग सिस्टम और वर्षा जल संरक्षण प्रणाली (**Rainwater Conservation System**) के माध्यम से **27,000** छात्रों के लिये भोजन बनाने की प्रक्रिया का आधुनिकीकरण किया है।

ऑपरेशन ओलिव ब्रांच (Operation Olive Branch)

- इस्लामिक स्टेट के विरुद्ध जंग में एक अहम् किरदार निभाने वाले कुर्दिश समूह को 'आतंकी समूह' करार देते हुए तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा ऑपरेशन ओलिव ब्रांच की घोषणा की गई।
- तुर्की की फौज ने कुर्दिश पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स (**People's Protection Units-YPG**) के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए सीरिया के अफ्रिन (**Afrin**) शहर पर हमला बोल दिया है।
- कुर्दिश समूह के विरुद्ध युद्ध की तुर्की ने कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की है।

हमले का कारण

- तुर्की द्वारा कुर्दिश समूह को एक आतंकी समूह करार दिया गया है।
- तुर्की द्वारा अचानक लिए गये इस निर्णय का मुख्य कारण अमेरिका द्वारा कुर्दिश बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स के गठन की घोषणा करना है।
- इसमें कुर्दिश पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स (**People's Protection Units-YPG**) को भी शामिल करने की बात कही गई है।
- तुर्की सीरियाई कुर्दिश समूह **YPG** को एक आतंकवादी संगठन मानता है और गैर-कानूनी संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (**PKK**) का ही विस्तार मानता है, जो तुर्की में कुर्दिश स्वायत्तता के लिये युद्धरत है।

ऑपरेशन ओलिव ब्रांच का उद्देश्य

- तुर्की द्वारा इस ऑपरेशन को आरंभ करने का उद्देश्य **YPG** से संबद्ध लगभग **8,000** से **10,000** विद्रोहयों के समूह को बाहर खदेड़ कर अफ्रिन शहर के पश्चिम से लेकर सीरिया की सीमा से सटे तुर्की शहर मंजिब तक एक **30** किलोमीटर लंबे सुरक्षित ज़ोन का निर्माण करना है।
- इस सुरक्षित ज़ोन को स्थापित करने का मूल उद्देश्य न केवल तुर्की की इस्लामिक स्टेट से रक्षा करना है बल्कि भविष्य के संदर्भ में तुर्की को कुर्दिश समूह से भी सुरक्षा प्रदान करना है।

वर्ष 2016 के प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार घोषित

भारत सरकार ने 25 जनवरी को वर्ष 2016 के लिये प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की घोषणा की है। ये पुरस्कार विभागीय उपक्रमों, केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र की इकाइयों में कार्यरत 50 श्रमिकों को प्रदान किये जाएंगे।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इन पुरस्कारों हेतु चयन उन्हीं उपक्रमों से किया जाता है, जिनमें **500** या उससे ज्यादा श्रमिक कार्यरत हों।
- हालाँकि, इस वर्ष प्रदान किये जाने वाले श्रम पुरस्कारों की कुल संख्या **32** है, लेकिन **3** महिलाओं सहित **50** श्रमिक ये पुरस्कार प्राप्त करेंगे। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के **34** श्रमिक और निजी क्षेत्र के **16** श्रमिक शामिल हैं।
- श्रम पुरस्कार चार श्रेणियों में प्रदान किये जाते हैं, जो कि निम्नलिखित है:
  - ✓ श्रम रत्न पुरस्कार : 2,00,000 रुपए नकद और एक सनद (प्रमाण-पत्र) दिया जाता है।
  - ✓ श्रम भूषण पुरस्कार : 1,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक सनद दिया जाता है।
  - ✓ श्रम वीर/श्रम वीरांगना पुरस्कार : 60 हज़ार रुपए नकद और एक सनद दिया जाता है।
  - ✓ श्रम श्री/श्रम देवी पुरस्कार : 40,000 रुपए नकद और एक सनद प्रदान किया जाता है।
- इस वर्ष प्रतिष्ठित श्रम रत्न पुरस्कार के लिये किसी भी नामांकन को उपयुक्त नहीं पाया गया।
- ये पुरस्कार **500** या ज्यादा संख्या वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केंद्र और राज्य सरकार के विभागीय उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र की इकाइयों से श्रमिकों का चयन करके उनके असाधारण कार्यों, नवोन्मेष क्षमता, उत्पादकता के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान और अत्यधिक साहस दिखाने तथा चौकस रहने के लिये दिये जाते हैं।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय हर वर्ष प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की घोषणा करता है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार भी दिये जाते है।

'मैत्री यात्रा'

हाल ही में राष्ट्रीय बाल भवन में जम्मू-कश्मीर छात्र विनिमय कार्यक्रम 'मैत्री यात्रा' का समापन किया गया। छात्र विनिमय कार्यक्रम का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जम्मू-कश्मीर के नौजवानों को भारत के विभिन्न भागों की संस्कृति, भाषा और विकास गाथाओं से अवगत कराने के लिये किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के युवाओं को बाकी देश से जोड़ना और भाईचारे तथा सद्भाव को बढ़ावा देना है। मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने, सीखने और एक-दूसरे के साथ जानकारियों को साझा करने के लिये विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की गई।
- इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा कश्मीरी दोस्तों के ठहरने के लिये अपनी कक्षाएँ खाली करके 'अतिथि देवो भव' की सच्ची भावना प्रदर्शित करने वाले राष्ट्रीय बाल भवन के विद्यार्थियों की भी सराहना की गई।
- इस संदर्भ में सरकार ऐसी प्रणाली तैयार कर रही है, जो सभी विद्यार्थियों को एकसमान अवसर उपलब्ध कराएगी, जिससे सभी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान कर सकेंगे।
- इस कार्यक्रम के तहत जम्मू-कश्मीर के स्कूलों के नौवीं से बारहवीं तक के **500** विद्यार्थी **50** सुपरवाइज़रों के साथ **18** जनवरी, **2018** को दिल्ली पहुँचे।
- मैत्री यात्रा की कुछ झलकियाँ समापन समारोह में भी दिखाई गई।

सरकार प्रक्रिया पुन:अभियांत्रिकी (जीपीआर) पहल

भारत सरकार विश्व बैंक द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित रैंकिंग के अनुसार, 'व्यवसाय करने में' (Doing Business) शीर्ष 50 देशों में स्थान हासिल करने के लिये प्रतिबद्ध है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एमसीए (Ministry of Corporate Affairs) द्वारा देश में व्यवसाय करने की सरलता की रैंकिंग में सुधार लाने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया गया है, लेकिन विशेष रूप से किसी व्यवसाय को आरंभ करने के संबंध में अभी सुधार की बहुत गुंजाइश बाकी है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- भारत सरकार द्वारा की गई पहलों के कार्यान्वयन की प्रभावोत्पादकता पर विभिन्न हितधारकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं को विश्व बैंक द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के दौरान एक महत्त्वपूर्ण इनपुट समझा जाता है।
- अंतिम निर्धारण वर्ष के दौरान, मंत्रालय द्वारा एकल ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से वास्तविक समय के भीतर पैन (**Permanent Account Number – PAN**) और टैन (**Tax Deduction and Collection Account Number-TAN**) जारी करने की प्रक्रिया के अंतर्गत तीव्र निगमन संबंधी सेवाएँ प्रदान करने के लिये 'केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (**Central Registration Centre -CRC**)' की स्थापना की गई।
- ऐसा करने के लिये एसपीआईसीई (**Simplified Proforma for Incorporating Company Electronically -SPICE**) को लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत दो अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा पाँच सेवाओं को वितरित करने के लिये एमसीए **21** पोर्टल (**MCA21 Portal**) के तहत एकल फार्म की सुविधा प्रदान की गई।
- इस वर्ष **69**वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकार प्रक्रिया पुन:अभियांत्रिकी (**Government Process Re-engineering -GPR**) पहल का शुभारंभ किया गया, जिससे कि किसी नए व्यवसाय को आरंभ करने के लिये आवश्यक प्रक्रियाओं को त्वरित, सुगम, सरल बनाने एवं उनकी संख्या में कमी लाने हेतु संयोजन प्रक्रिया बनाई जा सके।

विशेषताएँ

- इसकी प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं-

I. 26.01.2018 को नाम आरक्षण के लिये 'आरयूएन' (Reserve Unique Name - RUN) नामक वेब सेवा की शुरुआत की गई।
II. 10 लाख से अधिक प्राधिकृत पूंजी वाली सभी कंपनियों को शामिल करने के लिये शून्य शुल्क की व्यवस्था की गई।
III. निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के समय केवल डीआईएन (Director Identification Number –DIN) के आवंटन की प्रक्रिया को संयुक्त SPIC के फॉर्म के ज़रिये आवंटित करने की प्रक्रिया को पुन: व्यवस्थित करना।

पानी में काम करने वाली लचीली बैटरी

- दक्षिण कोरिया के उल्सान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसी लचीली बैटरी विकसित की गई है जिसे न केवल सामान्य तौर पर चार्ज किया जा सकता है बल्कि यह पानी में काम करने के साथ-साथ (पानी में) खराब भी नहीं होगी।
- इतना ही नहीं, यह बैटरी पहने जा सकने वाले विद्युत उपकरणों को चलाने में भी मददगार साबित होगी।

प्रमुख विशेषताएँ

- वैज्ञानिकों द्वारा रिचार्ज हो सकने वाली एक अत्यधिक लचीली बैटरी विकसित करने में सफलता हासिल की गई है, यह लिथियम बैटरी एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स तकनीक पर आधारित है।
- बदलते समय के साथ-साथ पहने जा सकने वाले उपकरण की मांग में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है, ऐसे में इन उपकरणों को चलाने के लिये इस प्रकार की बैटरी की आवश्यकता होगी।
- वैज्ञानिकों द्वारा लचीली इलेक्ट्रोलाइट्स बनाने के लिये प्रवाहित पॉलीमर कम्पोज़िट का उपयोग करके यह निर्माण किया गया है।
- इस अध्ययन को एडवांस एनर्जी मटीरियल्स नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया।
- इस अध्ययन के अनुसार, वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग के दौरान पाया गया कि पॉलीमर कंपोजिट में बहुत अधिक खिंचाव के बाद भी विद्युत का प्रवाह निर्बाध रूप से जारी रहता है। इसी से वैज्ञानिकों को इस लचीली बैटरी का खयाल आया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

श्रवणबेलगोला : महामस्तकाभिषेक का आयोजन

- कर्नाटक के हासन ज़िले में स्थित श्रवणबेलगोला जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। **17-25** फरवरी को यहाँ **88**वें महामस्तकाभिषेक समारोह का आयोजन किया जाएगा।
- प्रत्येक **12** वर्ष में आयोजित किये जाने वाले इस समारोह का पिछली बार **2006** में आयोजन किया गया था।

ऐतिहासिक तथ्य

- श्रवणबेलगोला शहर के पास चंद्रगिरि पहाड़ी की चोटी पर जैन संत बाहुबली की **57** फीट की प्रतिमा स्थापित है। इन्हें 'गोमतेश्वर' भी कहा जाता है।
- **983 AD** में गंग शासक रचमल्ल के एक मंत्री चामुंडाराय द्वारा इस विशालकाय प्रतिमा का निर्माण करवाया गया था। **AD 981** में यहाँ महामस्तकाभिषेक की परंपरा शुरू हुई थी।
- ऐसा माना जाता है कि इस प्रतिमा को एक ही सफ़ेद ग्रेनाइट पत्थर को काटकर निर्मित किया गया है। जैन धर्म की परंपरानुसार संत बाहुबली की यह प्रतिमा वस्त्रहीन है।
- जैन अनुश्रुति के अनुसार, मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त ने राजपाट त्यागकर जैन धर्म में दीक्षा लेने के बाद अपना शेष जीवन तपस्या करते हुए श्रवणबेलगोला में ही बिताया था।

जैन संत बाहुबली (गोमतेश्वर)

- संत बाहुबली को जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ का पुत्र माना जाता है।
- बाहुबली ने अपने बड़े भाई भरत को पराजित कर विजित राज्य उसी को लौटा दिया था और स्वयं राजपाट त्यागकर तपस्या करने लगे।
- जैन मान्यताओं के अनुसार, जैन धर्म में सबसे पहले मोक्ष संत बाहुबली को ही प्राप्त हुआ था। संत बाहुबली को आज भी जैन धर्म में विशिष्ट स्थान प्राप्त है।
- मनुष्य की मानसिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान के लिये संत बाहुबली ने चार बातें बताई थीं-
  - ✓ अहिंसा से सुख (Happiness Through Non-Violence)।
  - ✓ त्याग से शांति (Peace Through Renunciation)।
  - ✓ बंधुत्व से प्रगति (Progress Through Amity)।
  - ✓ ध्यान से सिद्धि (Perfection through Meditation) की प्राप्ति।

ब्रूम ग्रास (Broom Grass)

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- झाड़ू घास अथवा ब्रूम ग्रास (**Broom Grass**) का वैज्ञानिक नाम थायसनोलाएना मैक्सिमा (**Thysanolaena maxima**) है, जो कि पोएसी कुल की एक घास है। इसका उपयोग झाड़ू बनाने में किया जाता है।
- असम की कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों में नकदी फसल के रूप में इसकी व्यापक खेती की जाती है। इसे तिवा, कार्बी और खासी जनजातीय समुदायों के लोगों द्वारा झूम कृषि के तहत एक मिश्रित फसल के रूप में उगाया जाता है। संकटकाल में यह हर साल ईंधन और चारा भी उपलब्ध कराती है। यह एक इको-फ्रेंडली उत्पाद है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- भारत में कार्बी आंगलोंग ब्रूम ग्रास का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। ब्रूम ग्रास की खेती अपेक्षाकृत आसान है और इसके लिये कम वित्तीय आगतों की आवश्यकता होती है।
- इसे सीमांत भूमि, बंजर भूमि और परती भूमि किसी पर भी उगाया जा सकता है। यह बलुई दोमट से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी तक की एक विस्तृत श्रृंखला पर अच्छी तरह से बढ़ती है।
- इसका रोपण बीज या राइज़ोम (**Rhizomes**) दोनों द्वारा किया जा सकता है। राइज़ोम किसी पौधे के उस संशोधित तने को संदर्भित करता है, जो ऊर्ध्वाधर के बजाय क्षैतिज दिशा में विकसित होता है। ये मिट्टी के नीचे विकसित होते हैं।
- इसकी कटाई फरवरी से शुरू होकर मार्च के अंत तक जारी रहती है।
- ब्रूम घास की खेती में स्थानीय रोज़गार पैदा करने की क्षमता है और इसका उपयोग ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिये किया जा सकता है। इसका व्यवसाय असम में घरेलू आय का एक प्रमुख स्रोत है।

सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- सूरजकुंड (फरीदाबाद) में **2** फरवरी से **18** फरवरी तक **सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के 32वें संस्करण** का आयोजन किया जाएगा। इस मेले का **1987** से वार्षिक आयोजन किया जा रहा है।
- इस मेले में भारत के हस्तशिल्प और हथकरघा की विविधता व समृद्धि को विश्व स्तर पर प्रदर्शित किया जाता है, ताकि भारतीय लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिले।
- इस मेले का आयोजन संयुक्त रूप से सूरजकुंड मेला प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और विदेश मामलों के मंत्रालय तथा हरियाणा सरकार के पर्यटन विभाग एवं हरियाणा पर्यटन निगम के साथ मिलकर किया जाता है।
- मेले के **सहभागी** देश के रूप में **किर्ग़िस्तान** (आधिकारिक तौर पर किर्ग़िज़ गणतंत्र) सहित अन्य **20** से अधिक देश इस मेले में शामिल होंगे।
- किर्गिस्तान द्वारा भारत के साथ राजनयिक संबंधों के **25** वर्षों की उपलब्धियाँ और अपनी लोक परंपराओं तथा कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा।
- इस मेले के प्रत्येक संस्करण के लिये एक राज्य को 'थीम स्टेट' (**Theme State**) के रूप में चुना जाता है। इस संस्करण के लिये **उत्तर प्रदेश को पहली बार थीम स्टेट** के रूप में चुना गया है।
- उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और पुरातात्त्विक विरासत का प्रदर्शन करने के लिये मेला परिसर में प्रवेश हेतु वन्य द्वार, अयोध्या द्वार, ब्रज द्वार, अवध द्वार, बुद्ध द्वार और बुंदेलखंड द्वार के अतिरिक्त बनारस के घाटों का भी अस्थायी निर्माण कर आध्यात्मिक स्थलों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
- इस बार मेले का आयोजन एक बाल-अनुकूल (**Child-Friendly**) कार्यक्रम की तरह किया जाएगा और बाल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध जीरो-टॉलरेंस को विशिष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।
- सूरजकुंड, फरीदाबाद में स्थित **10**वीं सदी का एक प्राचीन जलाशय है। यह एक कृत्रिम जलाशय है, जिसका निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजपाल द्वारा करवाया गया, जो कि सूर्य उपासक थे।

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- जैवविविधता के लिये विश्व-विख्यात दुधवा नेशनल पार्क में आगामी **9-11** फरवरी तक तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। **2015** से शुरू किये गए इस महोत्सव के पिछले संस्करणों का आयोजन चंबल सफारी में ही किया जा रहा था।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस बर्ड फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य दुधवा नेशनल पार्क में इको-पर्यटन और पक्षियों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त परंपरागत थारू कला, संस्कृति और धरोहर को दुनिया के सामने प्रभावशाली तरीके से प्रदर्शित करना है।
- गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के मूल निवासी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वाइल्डलाइफ फिल्म तथा वृत्तचित्र निर्माता माइक एच. पांडेय को इस महोत्सव का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है।
- इसमें देश और दुनिया के **200** से ज्यादा पक्षी विशेषज्ञों के हिस्सा लेने की संभावना है। उनके ठहरने के लिये **10** एकड़ भूमि पर गाँव बसाया जा रहा है, जिसका नाम बंगाल फ्लोरिकन के नाम पर 'फ्लोरिकन विलेज' रखा गया है।
- तीन दिन के आयोजन के दौरान विशेषज्ञ इस अभयारण्य में रहने वाले पक्षियों की **450** प्रजातियों के बारे में सूचनाएँ एकत्र करेंगे।

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान

- दुधवा टाइगर रिज़र्व उत्तर प्रदेश का एक संरक्षित क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी और बहराइच ज़िलों में फैला हुआ है और इसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य तथा कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं।
- लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित दुधवा नेशनल पार्क नेपाल की सीमा से लगे तराई-भाभर क्षेत्र में स्थित है। यह प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग **230** किमी दूर अवस्थित है।
- दुधवा देश के तराई वन्य क्षेत्रों में शामिल है, जहाँ विभिन्न वनस्पति और वन्य जीवों की प्रजातियाँ प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं।
- इस जंगल का उत्तरी किनारा नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है और इसके दक्षिण में सुहेली नदी बहती है।
- यहाँ के वन्य क्षेत्र में घने हरे जंगल, लंबी घास और अन्य कई पेड़ पाए जाते हैं और हिरनों की कई प्रजातियों के अलावा बाघ, तेंदुआ, बारहसिंघा, हाथी, सियार, लकड़बग्घा और एक सींग वाला गैंडा निवास करते हैं।

मछलियों में अमोनिया तथा फॉर्मेल्डहाइड की जाँच हेतु परीक्षण किट

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज़ टेक्नोलॉजी (CIFT) कोच्चि द्वारा विकसित मछलियों में रासायनिक मिलावट या छिड़काव का पता लगाने वाली त्वरित परीक्षण किट (सिफ्टेस्ट) को लॉन्च किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मछली का सेवन स्वास्थ्य के लिये अत्यंत लाभकारी होता है। मछलियाँ जल्दी खराब हो जाती हैं। इसलिये उनका लंबे समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

- मछलियों को जल्दी खराब होने से बचाने और बर्फ में फिसलन खत्म करने के लिये अमोनिया तथा फॉर्मेल्डहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। जाँच किट मछलियों में दोनों रसायनों की उपस्थिति का पता लगा सकती है।
- भारतीय घरेलू मत्स्य बाज़ार में फॉर्मेल्डहाइड तथा अमोनिया युक्त मत्स्य के विक्रय होने की सूचनाएँ आए दिन प्राप्त होती हैं, विशेषत: उन बाज़ारों में, जो उत्पादन केंद्रों से दूर-दराज़ वाले स्थानों में स्थित हैं।
- अमोनिया तथा फॉर्मेल्डहाइड के सेवन से मनुष्यों में अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ जैसे- पेट दर्द, वमन, बेहोशी उत्पन्न हो जाती है, कभी-कभी तो इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।
- फॉर्मेल्डहाइड एक कैंसर उत्प्रेरित करने वाला रसायन है, इसलिये मत्स्य परिरक्षण में इसका उपयोग चिंतनीय है। अतः मछलियों में अमोनिया तथा फॉर्मेल्डहाइड का सेवन स्वास्थ्य के लिये खतरा है, जिसे रोकना आवश्यक है।
- आपको बता दें कि मत्स्य परिरक्षण के लिये किसी भी रसायन का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

किट की विशेषताएँ

- उपभोक्ता को दूषित पदार्थों की जाँच के लिये ऐसी तकनीक की आवश्यकता है, जो संवेदनशील सुवाह्य होने के साथ-साथ शीघ्रता से दूषित पदार्थों का पता लगा सके।
- इन पहलुओं को ध्यान में रखकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अमोनिया तथा फॉर्मेल्डहाइड की त्वरित जाँच हेतु परीक्षण किटों को तैयार किया गया है।
- इन किटों का प्रयोग उपभोक्ता सरल तरीकों से कर सकता है। किट के भीतर कागज़ की पट्टियाँ, रासायनिक द्रव्य तथा परिणाम जानने के लिये एक मानक चार्ट दिया गया है।
- मत्स्य परिरक्षण के लिये मात्र मानकीकृत मत्स्य प्रसंस्करण, संग्रहण, परिवहन एवं विपणन की कोल्ड चेन का यथोचित प्रयोग करना चाहिये।
- राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय विनियमों के अनुसार, मत्स्य उत्पादों को सिर्फ बर्फ के माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिये।

इहसान डॉगरामाकी फैमिली हेल्थ फाउंडेशन पुरस्कार

नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद पॉल को विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation -WHO) द्वारा प्रतिष्ठित इहसान डॉगरामाकी फैमिली हेल्थ फाउंडेशन पुरस्कार (IhsanDoğramacı Family Health Foundation Prize) से सम्मानित किया गया है।
यह सम्मान प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय है। उन्हें यह पुरस्कार परिवार स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिये प्रदान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. पॉल ने परिवार स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष कार्य किया है।
- विशेषकर विकासशील देशों के परिवारों के स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने के लिये उनका विशिष्ट योगदान रहा है।
- डॉ. पॉल के प्रयासों से लंबे समय से उपेक्षित नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य-मुद्दे को सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) और सतत् पोषणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) के अंतर्गत लाया जा सका है।
- विश्व स्तर पर परिवार स्वास्थ्य के लिये उपयोग में लाए जाने वाले महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ों को उपलब्ध कराने के रूप में भी उनका अमूल्य योगदान रहा है।
- वर्ष **2005-06** के दौरान मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ने में भी डॉ. पॉल की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

इहसान डॉगरामाकी फैमिली हेल्थ फाउंडेशन पुरस्कार

- प्रोफेसर इहसान डॉगरामाकी (**Ihsan Doğramacı**) द्वारा वर्ष **1980** में इस फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। ये पेशे से एक बाल रोग विशेषज्ञ और बाल स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे।
- इस फाउंडेशन का मुख्य लक्ष्य परिवार स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि करने एवं प्रोत्साहन देने के साथ-साथ इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित सेवा देने वाले व्यक्तियों की पहचान करना है।
- फाउंडेशन द्वारा हर दो साल में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसमें स्वर्ण की परत वाले रजत पदक के साथ-साथ पारिवारिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाओं के लिये एक प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाता है।
- किसी भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन, यूनिसेफ (**United Nations Children's Fund -UNICEF**) के कार्यकारी निदेशक और अंकारा (**Ankara**) के ब्यूरो प्रमुख के साथ-साथ पूर्व में पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता व्यक्ति द्वारा फाउंडेशन चयन पैनल को पुरस्कार के लिये उम्मीदवारों के नाम का प्रस्ताव पेश किया जाता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

सुपरकंडक्टिंग स्विच 'सिनैप्स'

अमेरिका स्थित द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्त्ताओं द्वारा एक ऐसा सुपरकंडक्टिंग स्विच विकसित किया गया है, जिससे कंप्यूटर किसी भी कार्य को ठीक उसी रूप में सीख सकेगा, जिस रूप में उस कार्य को कोई मनुष्य सीखता है।

प्रमुख बिंदु

- कंप्यूटर को मनुष्यों की तरह काम करने में सक्षम बनाने वाले इस स्विच का नाम सिनैप्स है।
- यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक नया रूप है।
- इस नई तकनीक के विकास से जहाँ एक ओर कंप्यूटर की निर्णयन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर इसके कार्य करने की गति में भी इज़ाफा होगा।
- इसके अतिरिक्त इस स्विच की सहायता से कंप्यूटर को ऐसे प्रोसेसर से भी जोड़ा जा सकता है, जो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो।
- इससे कंप्यूटर किसी भी कार्य को स्वयं निर्णयन से करने के लिये मेमोरी को स्टोर कर सकता है।
- इस तकनीक को स्वचालित कारों एवं कैंसर की जाँच जैसे कार्यों हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है।
- यह तकनीक एक लचीली आंतरिक संरचना पर आधारित है, जिसे आस-पास के वातावरण के अनुरूप संचालित किया जा सकता है।
- यह तकनीक मानव मस्तिष्क की अपेक्षा कहीं अधिक तेज़ी से कार्य करने में सक्षम है।

एशिया का सबसे बड़ा टेस्टिंग ट्रैक

मध्य प्रदेश के धार ज़िले (पीथमपुर) में एशिया के सबसे बड़े ऑटो टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण किया गया है। इस ट्रैक पर ऑटो मोबाइल कंपनियों द्वारा नए वाहनों का परीक्षण करने के साथ-साथ इसका इस्तेमाल रिसर्च एवं डेवलपमेंट कार्यों के लिये भी किया जाएगा

- इस ट्रैक का निर्माण केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से साथ मिलकर किया गया है।
- एक जानकारी के अनुसार, देश के अन्य भागों जैसे-इंदौर, मानेसर, सिल्चर, पुणे एवं अहमदनगर में भी इस प्रकार के ट्रैकों का निर्माण किया जा रहा है।

विशेषताएँ

- इन ट्रैकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है।
- इन पर वाहनों के सामूहिक परीक्षण के साथ-साथ वाहनों के मूल्यांकन, शोध, विकास एवं मानकीकरण संबंधी सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है।
- इसके अतिरिक्त इस ट्रैक पर कंप्यूटर एवं इंजीनियरिंग के साथ-साथ इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर ट्रेन प्रयोगशाला, उपभोक्ता कार्यशाला तथा सामान्य भंडारण जैसी सुविधाएँ भी प्रदान की गई हैं।
- पीथमपुर ट्रैक पर हाई स्पीड ट्रैक को छोड़कर बाकी के सभी ट्रैक उपयोग के लिये पूरी तरह से तैयार हैं।
- इन ट्रैकों पर **200** किमी. घंटा (न्यूनतम) से **300** किमी. घंटा (अधिकतम) रफ्तार वाले वाहनों का परीक्षण किया जा सकता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

भारत और विश्व

भारत में बेरोजगारी दर बढ़ने का अनुमान : वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation-ILO) ने अपनी नवीनतम 'वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक' (World Employment and Social Outlook) रिपोर्ट में वर्ष 2017 तथा 2018 में भारत में बेरोजगारी दर में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। पहले इसके 3.4% तक रहने का अनुमान लगाया गया।

- वर्ष **2017** में देश में **बेरोज़गारों की संख्या 17.8** मिलियन की बजाय **18.3 मिलियन तक** रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
- वर्ष **2018** में **ILO** के अनुमान के मुताबिक बेरोज़गारों की संख्या **18.6** मिलियन रहने का अनुमान है, जबकि पहले इसी रिपोर्ट में बेरोज़गारों की संख्या **18** मिलियन रहने का अनुमान लगाया गया था।
- प्रतिशत के संदर्भ में **ILO** ने सभी तीन वर्षों **2017, 2018 और 2019 के लिये भारत में बेरोज़गारी दर 3.5% पर स्थिर रहने का अनुमान** लगाया है।

क्या है COMCASA?

COMCASA को अमेरिका में CISMOA (Communication and Information Security Memorandum of Agreement) भी कहा जाता है।

- यह समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने इन्क्रिप्टेड (**Encrypted)** संचार उपकरणों और गुप्त प्रौद्योगिकियों को भारत के साथ साझा करने की अनुमति देगा, जिससे दोनों पक्षों के उच्च स्तर के सैन्य-नेतृत्व के बीच युद्धकाल और शांतिकाल दोनों में ही सुरक्षित संचार संभव हो सकेगा।
- **CISMOA** का विस्तार नौसेना और वायु सेना सहित सभी भारतीय और अमेरिकी सैन्य परिसंपत्तियों तक होगा। इससे संयुक्त सैन्य अभियान के दौरान सुरक्षित संचार में सहायता मिलेगी।
- इस तरह की उन्नत प्रौद्योगिकियों और संवेदनशील उपकरणों को सामान्यतः अमेरिका से खरीदे गए सिस्टमों पर ही स्थापित किया जाता है। अत: यह समझौता भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

क्या है BECA?

- यह समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य और नागरिक दोनों ही उद्देश्यों के लिये स्थल, समुद्री एवं वैमानिकी तीनों प्रकार की सूचनाओं के आदान-प्रदान में सहायता करने के लिये वैधानिक ढाँचा निर्धारित करेगा।

भारत ऑस्ट्रेलिया समूह में शामिल

19 जनवरी, 2018 को भारत औपचारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया समूह का सदस्य बन गया। भारत इस समूह का सदस्य बनने वाला 43वाँ सदस्य है।

क्या है ऑस्ट्रेलिया समूह (Australia Group-AG)?

- ऑस्ट्रेलिया ग्रुप उन देशों का सहकारी और स्वैच्छिक समूह है जो सामग्रियों, उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करते हैं, ताकि रासायनिक और जैविक हथियारों (**Chemical and Biological Weapons-CBW)** के विकास या अधिग्रहण में इनका प्रयोग ना किया जा सके।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इसका यह नाम इसलिये है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने यह समूह बनाने के लिये पहल की थी और वही इस संगठन के सचिवालय का प्रबंधन देखता है।
- ईरान-इराक युद्ध (**1984**) में जब इराक ने रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया, (**1925** जेनेवा प्रोटोकॉल का उल्लंघन) तब रासायनिक व जैविक हथियारों के आयात-निर्यात और प्रयोग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिये **1985** में इस समूह का गठन किया गया।
- ऑस्ट्रेलिया समूह का मुख्य उद्देश्य रासायनिक तथा जैविक हथियारों की रोकथाम हेतु नियम निर्धारित करना है। ऑस्ट्रेलिया समूह इन हथियारों के निर्यात पर नियंत्रण रखने के अलावा **54** विशेष प्रकार के यौगिकों के प्रसार पर नियंत्रण रखता है।
- ऑस्ट्रेलिया समूह के सभी सदस्य रासायनिक हथियार सम्मेलन (**Chemical Weapons Convention-CWC**) और जैविक हथियार सम्मेलन (**Biological Weapons Convention-BWC**) का अनुसमर्थन करते हैं।

अन्य निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएँ

ये अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएँ सामूहिक विनाश के हथियारों (Weapon of Mass Destruction) के प्रसार और उनके वितरण के साधनों की रोकथाम के लिये कार्य करती हैं।

मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (Missile Technology Control Regime-MTCR)

- अप्रैल **1987** में जी-7 देशों सहित **12** विकसित देशों ने मिलकर आण्विक हथियार से युक्त प्रक्षेपास्त्रों के प्रसार को रोकने के लिये एक समझौता किया था, जिसे **MTCR** कहा गया।
- **26** जून, **2016** को भारत **MTCR** का पूर्ण सदस्य बना था।
- वर्तमान में एमटीसीआर **35** देशों का एक समूह है और चीन तथा पाकिस्तान इसके सदस्य नहीं हैं। फ्राँस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, इटली और कनाडा इसके संस्थापक सदस्यों में रहे हैं।
- स्वैच्छिक एमटीसीआर का उद्देश्य बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र तथा अन्य मानव रहित आपूर्ति प्रणालियों के विस्तार को सीमित करना है, जिनका रासायनिक, जैविक और परमाणु हमलों में उपयोग किया जा सकता है।

वासेनार अरेंजमेंट (Wassenaar Arrangement-WA)

- इसकी स्थापना जुलाई **1996** में वासेनार (नीदरलैंड्स) में की गई थी। इसका मुख्यालय वियना (ऑस्ट्रिया) में है।
- दिसंबर **2017** में **42**वें सदस्य के रूप में भारत इसमें शामिल हुआ था।
- परंपरागत हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तु और प्रौद्योगिकी के निर्यात पर नियंत्रण रखना और परमाणु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के दुरुपयोग जैसे- सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में इस्तेमाल को रोकना, इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं।

परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (Nuclear Suppliers Group-NSG)

- परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह **48** देशों का समूह है।
- इसका गठन **1974** में भारत के परमाणु परीक्षण के प्रतिक्रियास्वरूप किया गया था।
- परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह परमाणु प्रौद्योगिकी और हथियारों के वैश्विक निर्यात पर नियंत्रण रखता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये ही किया जाए।
- परमाणु हथियार बनाने के लिये इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति से लेकर नियंत्रण तक सभी इसी के दायरे में आते हैं।
- भारत द्वारा इसकी सदस्यता प्राप्त करने के प्रयासों को चीन द्वारा बाधित किया जा रहा है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं से जुड़ने के लाभ

- परमाणु अप्रसार क्षेत्र में देश का कद बढ़ने के साथ-साथ महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को हासिल करने में भी मदद मिलेगी।
- भारत दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और तकनीकों को हासिल कर पाएगा।
- **48** सदस्यों वाले परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह के लिये भारत की दावेदारी मज़बूत होगी।
- परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने के बावजूद भारत अप्रसार के क्षेत्र में अपनी पहचान बना पाएगा और अप्रसार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को वैश्विक पहचान मिलेगी।
- चीन **AG, MTCR** और **WA** का सदस्य नहीं है। इस प्रकार इनकी सदस्यता प्राप्त कर लेना अपने प्रतिद्वंदियों पर भारत की रणनीतिक विजय है।
- अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और गैर-प्रसार के वैश्विक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट- 2018

विधि-सम्मत रूप से अपनी स्थापना के बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने विश्व ऊर्जा भविष्य शिखर सम्मेलन-2018 (World Future Energy Summit-WFES) में 17 से 18 जनवरी, 2018 के दौरान दो दिवसीय 'अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा गठबंधन मंच' (International Solar Alliance Forum-ISAF) की मेजबानी की।

क्या है WFES?

- **WFES 'अबूधाबी सस्टेनेबिलिटी वीक' (Abu Dhabi Sustainability Week)** नामक वैश्विक पहल द्वारा आयोजित एक अनूठा कार्यक्रम है।
- **15-18** जनवरी को आयोजित इस कार्यक्रम की मेजबानी आबूधाबी के मसदर सिटी द्वारा की गई।
- वार्षिक रूप से आयोजित की जाने वाली विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन दुनिया भर से परियोजना डेवलपर्स, वितरकों, नवोन्मेषकों, निवेशकों और खरीददारों के लिये बिज़नेस-फर्स्ट प्रकार की प्रदर्शनी है, जो दुनिया की बढ़ती ऊर्जा चुनौतियों के समाधानों की खोज के लिये सभी को एक साझा मंच उपलब्ध कराती है।

प्रमुख बिंदु

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फोरम के पहले दिन **17** जनवरी, **2018** को **ISA** ऊर्जा मंत्रियों के विस्तृत मंत्रीस्तरीय सत्र का आयोजन किया गया।
- उन्होंने ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुँच और सोलर परियोजनाओं के विकास और अनुसंधान, नवाचार और तकनीक के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग, सहक्रियाओं और ज्ञान साझाकरण के लाभों पर विचार प्रस्तुत किये।
- भारत के पास विश्व में तीव्र गति वाला नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम है और इसकी संभावना है कि भारत वर्ष **2020** से पूर्व ही अपने **175** गीगावाट की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।
- इसके अतिरिक्त सौर परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये भारत सरकार द्वारा **$350** मिलियन की सौर विकास निधि की स्थापना की घोषणा की गई।

क्या है ISA?

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कर्क और मकर रेखा के मध्य आंशिक या पूर्ण रूप से अवस्थित **121** सौर संसाधन संपन्न देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है।

International Solar Alliance will become a treaty-based international intergovernmental organisation on December 6, 2017. It will be a major international body headquartered in India. As many as 45 countries had already signed the ISA treaty and 15 have ratified it till November 30, 2017, and many more are set to join. ISA is important for the country's strategic autonomy and energy security in view of India's dependence on imports of fossil fuels.

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- **6** दिसंबर, **2017** को **15** देशों द्वारा अनुमोदन होने पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट लागू हुआ। इसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन का दर्ज़ा दे दिया।
- अभी तक **19** देशों ने इसे स्वीकृति दी है और **48** देश इसके फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।
- इसका मुख्यालय गुरुग्राम (हरियाणा) में है।
- **ISA** के प्रमुख उद्देश्यों में **1000** गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की वैश्विक तैनाती और **2030** तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिये लगभग **$1000** बिलियन की राशि को जुटाना शामिल है।
- एक क्रिया-उन्मुख संगठन के रूप में **ISA** सौर परियोजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रारंभ करने में सहयोग प्रदान करता है।
- सौर ऊर्जा की वैश्विक मांग को समेकित करने के लिये **ISA** सौर क्षमता से समृद्ध देशों को एक साथ लाता है। इससे निम्नलिखित लाभ होंगे-
  - ✓ थोक खरीद के माध्यम से कीमतों में कमी।
  - ✓ मौजूदा सौर प्रौद्योगिकियों की बड़े पैमाने पर तैनाती में आसानी।
  - ✓ सामूहिक रूप से क्षमता निर्माण तथा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा।

क्या है RE-इन्वेस्ट?

- **RE-INVEST** श्रृंखला की नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और तैनाती के लिये रणनीतियों पर विचार करने के लिये एक वैश्विक पहल के रूप में कल्पना की गई है।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इंडिया एक्सपो मार्ट (ग्रेटर नोएडा) में **19-21** अप्रैल, **2018** से **2nd** ग्लोबल री-इन्वेस्ट इंडिया-**ISA** पार्टनरशिप नवीकरणीय ऊर्जा इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है।
- इस संस्करण के लिये भागीदार देश फ्राँस है।

क्यों महत्त्वपूर्ण है 'बीबीआईएन' मोटर वाहन समझौता?

बांग्लादेश, भारत और नेपाल ने जून 2015 में हस्ताक्षरित बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन समझौते के तहत उपक्षेत्र में यात्री वाहन आवा-जाही के लिये परिचालनगत प्रक्रियाओं के मूल विषय पर सहमति जताई गई।

- इस बैठक का संयोजन एवं इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने की, जबकि पर्यवेक्षक के रूप में भूटान का आधिकारिक शिष्टमंडल भी इस बैठक में मौजूद रहा है।

क्या है बीबीआईएन मोटर वाहन समझौता?

- बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते का अर्थ है भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल मोटर वाहन समझौता।
- वर्ष **2015** में बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच भूटान की राजधानी थिंपू में बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- यह समझौता यात्री, व्यक्तिगत व माल ढुलाई वाहनों के यातायात के नियमन के हेतु अमल में लाया जा रहा है।
- इस समझौते का मुख्य उद्देश्य इस उपक्षेत्र में सड़क यातायात को सुरक्षित, आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल बनाना है।
- यदि यह समझौता अमल में आता है तो इसमें शामिल देश ट्रकों तथा अन्य कमर्शियल वाहनों को एक-दूसरे के राजमार्गों पर चलने की इजाज़त देंगे।
- यह एक क्षेत्रीय उप-समूह है, जिससे ये चारों देश एक-दूसरे के यहाँ अपनी पहुँच को सुगम (**ease of access among the four countries**) बनाएंगे।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

क्यों महत्त्वपूर्ण है बीबीआईएन मोटर वाहन समझौता?

- बीबीआईएन समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद इस उपक्षेत्र में सड़क यातायात सुरक्षित, आर्थिक और पर्यावरण के दृष्टि से अनुकूल होगा।
- प्रत्येक देश क्षेत्रीय समन्वय को स्थापित करने की दिशा में एक संस्थागत प्रक्रिया का सृजन करने में सक्षम होगा।
- यात्रियों एवं वस्तुओं की सीमा पार द्विपक्षीय आवाजाही से इन देशों को लाभ मिलेगा और इस क्षेत्र का संपूर्ण आर्थिक विकास हो सकेगा।
- इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन से इन देशों के आपसी व्यापार में **60** प्रतिशत और वैश्विक व्यापार में **30** प्रतिशत वृद्धि की संभावना है।
- गौरतलब है कि एशियाई विकास बैंक (एडीबी) दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (**Asia Sub regional Economic Cooperation program)** की एक पहल के तौर पर इस परियोजना को तकनीकी, सलाहकार और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

क्या है एशियाई विकास बैंक?

- एशियाई विकास बैंक की स्थापना सन् **1966** में संयुक्त राष्ट्र एशिया और सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग (**United Nations Economic Commission for Asia and the Far East)** द्वारा एक संकल्प के माध्यम से की गई।
- इसकी कल्पना एशिया और दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
- भारत इसका संस्थापक सदस्य है और वर्तमान में चौथा बड़ा शेयरधारक है।

एशियाई विकास बैंक का महत्त्व

- भारत को एडीबी द्वारा प्रथम ऋण सन् **1986** में इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को **100** मिलियन डॉलर की राशि मिली थी।
- इससे भारत को मध्यम-आकार के उद्योगों के विस्तार और आधुनिकीकरण तथा नई तकनीकों के विकास में काफी सफलता मिली।
- एडीबी द्वारा भारत के राज्यों को भी सीधे सहायता दी जा सकती है। इस दिशा में गुजरात प्रथम राज्य है, जिसने एडीबी से सहायता प्राप्त की है।
- बिजली की पहुँच को बढ़ावा देने के लिये बांग्लादेश-भारत के बीच पहली पावर इंटर-कनेक्शन फीड्स एडीबी द्वारा ऋण सहायता दी गई है, जिससे सीमा के दोनों ओर के लोगों को बिजली मिल सके।
- एडीबी द्वारा सूक्ष्म और छोटे व्यापारियों को ऋण देने के लिये साख वर्द्धन उत्पादों का उपयोग किया जा रहा है।
- भारत में इसके लिये एडीबी भारतीय बैंकों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है, ताकि सूक्ष्म वित्त संस्थानों को स्थानीय मुद्रा में सहायता मिल सके। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित विज़न 'तेज़, अधिक समावेशी और सतत् विकास' के लिये एडीबी की भागीदारी काफी महत्त्वपूर्ण है।
- एडीबी झारखंड राज्य की सड़कों का उन्नयन जारी रखने में मदद हेतु ऋण प्रदान कर रहा है, जो राज्य में नए आर्थिक अवसरों को खोलने और गरीबों के लिये सेवाओं के उपयोग में सुधार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।
- हालाँकि एडीबी द्वारा प्रदत्त ऋण भारत जैसे राष्ट्रों के लिये सार्वजनिक निवेश की तुलना में काफी कम होते हैं, फिर भी इससे भारत के विकास को समावेशी और तीव्र बनाने में एडीबी की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

रायसीना वार्ता : क्या, क्यों, कैसे

इज़रायल के प्रधानमंत्री बैंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली में रायसीना संवाद (Raisina Dialogue) का आयोजन किया गया।

थीम

- **Managing Disruptive Transitions: Ideas, Institutions & Idioms**

उद्देश्य

- एशियाई एकीकरण के साथ-साथ शेष विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय संबंधी संभावनाओं एवं अवसरों की तलाश करना है।

इसका नाम रायसीना वार्ता क्यों है?

- भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी (साउथ ब्लॉक), नई दिल्ली में स्थित है, इसी के नाम पर इसे रायसीना वार्ता का नाम दिया गया है।

रायसीना वार्ता क्या है?

- यह भू-राजनीतिक एवं भू-आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और ओआरएफ (**Observer Research Foundation -ORF**) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।
- ओआरएफ नई दिल्ली स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।
- यह भारतीय महासागरीय क्षेत्र में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर आधारित सम्मेलन है।
- यह एक बहु-हितधारक, क्रॉस-सेक्टरल बैठक है, जिसमें नीति-निर्माताओं एवं निर्णयकर्त्ताओं को शामिल किया गया है।
- इसके अंतर्गत न केवल विभिन्न देशों के विदेश, रक्षा और वित्त मंत्रियों को शामिल किया गया है, बल्कि उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारियों, नीति-निर्माताओं, व्यापार और उद्योग जगत के अग्रणी व्यक्तियों और सामरिक समुदायों, मीडिया और अकादमिक सदस्यों को भी शामिल किया जाता है।

पृथ्वी की सुरक्षा हेतु एक समझौता

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विश्व स्वास्थ्य संगठन (UN Environment and the World Health Organisation) द्वारा पर्यावरणीय स्वास्थ्य जोखिमों को रोकने के लिये की जा रही कार्यवाहियों में तेज़ी लाने हेतु एक नए व्यापक सहयोग समझौते पर सहमति व्यक्त की गई है। गौरतलब है कि पर्यावरणीय स्वास्थ्य जोखिमों के कारण सालाना तकरीबन 12.6 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

- विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की एक महत्त्वपूर्ण संस्था है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस संस्था की स्थापना **7** अप्रैल, **1948** में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है।
- इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है।
- इसका भारतीय मुख्यालय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के **193** सदस्य देश तथा दो संबद्ध सदस्य हैं।
- इसका लक्ष्य सभी लोगों को स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन को सर्वाधिक सफल संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों में से एक माना जाता है।
- यह अंतरिम स्वास्थ्य कार्यों से संबंधित समन्वयकारी प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करता है तथा स्वास्थ्य मामलों में सक्रिय सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
- इसके कार्यक्रमों में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, रोग निवारण व नियंत्रण, पर्यावरणीय स्वास्थ्य का संवर्द्धन, स्वस्थ मानव शक्ति विकास तथा जैव-चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाओं, शोध व स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विकास एवं प्रोत्साहन शामिल हैं।

क्या है सीओपी-21?

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के ढाँचे यानी यूएनएफसीसीसी (**United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC**) में शामिल सदस्यों का सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (**Conferences of the Parties-COPs**) कहलाता है।
- ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को स्थिर करने और पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने के लिये वर्ष **1994** में इसका गठन किया गया था।
- वर्ष **1995** से सीओपी की बैठक प्रतिवर्ष होती है।
- साल **2015** में इसके सदस्य देशों की संख्या **197** थी। दिसंबर **2015** में सम्मेलन के दौरान ही पेरिस जलवायु समझौता प्रभाव में आया।

पेरिस जलवायु समझौता

- इस समझौते में यह लक्ष्य तय किया गया था कि इस शताब्दी के अंत तक वैश्विक तापमान को 2^0C के नीचे रखने की हर संभव कोशिश की जाएगी।
- इसका कारण यह बताया गया था कि वैश्विक तापमान 2^0C से अधिक होने पर समुद्र का स्तर बढ़ने लगेगा, मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और जल व भोजन का अभाव भी हो सकता है।
- इसके अंतर्गत उत्सर्जन में 2^0C की कमी लाने का लक्ष्य तय करके जल्द ही इसे प्राप्त करने की प्रतिबद्धता तो ज़ाहिर की गई थी, परंतु इसका मार्ग तय नहीं किया गया था।
- तात्पर्य यह है कि देश इस बात से अवगत ही नहीं है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उन्हें क्या करना होगा।
- दरअसल, सभी देशों में कार्बन उत्सर्जन स्तर अलग-अलग होता है। अतः सभी को अपने देश में होने वाले उत्सर्जन के आधार पर ही उसमें कटौती करनी होगी।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में व्यापक संभावनाएँ हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बहुत ज़रूरत है।

- सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाओं के मद्देनज़र **11** जनवरी, **2010** को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन शुरू किया गया। इस मिशन के तहत **2022** तक **20,000** मेगावाट ग्रिड संयोजित सौर विद्युत का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- ✓ सौर ऊर्जा हेतु दीर्घावधि नीति व्यापक स्तर पर सौर ऊर्जा के प्रसार का लक्ष्य।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- ✓ उद्यमशील अनुसंधान एवं विकास महत्त्वपूर्ण कच्ची सामग्री, घटकों और उत्पादों के घरेलू उत्पादन के ज़रिये देश में सौर विद्युत उत्पादन की लागत कम करना।

विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation – WTO)

- बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की वैधानिक एवं संस्थात्मक आधारशिला के रूप में **WTO** की स्थापना **1** जनवरी, **1995** को मराकेश समझौते (**15** अप्रैल, **1994** को हस्ताक्षरित) के अधीन की गई।
- इस नए संगठन द्वारा गैट (प्रशुल्क एवं सामान्य समझौता) का स्थान लिया गया। एक अंतरिम समझौते के रूप में **1** जनवरी, **1948** से लागू हुआ।
- मूलतः इसमें **23** हस्ताक्षरकर्त्ता थे, जिन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने के लिये एक समिति का गठन करना था।

वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम द्वारा वैश्विक विनिर्माण सूचकांक ज़ारी

स्विट्ज़रलैंड के दावोस में होने वाली अपनी वार्षिक बैठक से पहले विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum-WEF) द्वारा जारी पहली **'रेडीनेस फॉर द फ्यूचर ऑफ प्रोडक्शन'** रिपोर्ट में **वैश्विक विनिर्माण सूचकांक** पर भारत को 30वाँ स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु

- सर्वोत्तम उत्पादन ढाँचे की मौजूदगी के कारण जापान को इस सूचकांक में प्रथम स्थान मिला है। जापान के अतिरिक्त शीर्ष **10** देशों में दक्षिण कोरिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, चीन, चेक गणराज्य, अमेरिका, स्वीडन, ऑस्ट्रिया और आयरलैंड शामिल हैं।
- यह रिपोर्ट आधुनिक औद्योगिक रणनीतियों के विकास का विश्लेषण करते हुए सामूहिक कार्यवाही का आग्रह करती है। इस रिपोर्ट में **100** देशों को निम्नलिखित चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है
  - ✓ अग्रणी (Leading)- वर्तमान में मज़बूत आधार, भविष्य के लिये तैयारी का उच्च स्तर।
  - ✓ उच्च क्षमता (High Potential)- वर्तमान में सीमित आधार, भविष्य के लिये उच्च क्षमता।
  - ✓ लीगेसी (Legacy)- वर्तमान में मज़बूत आधार, भविष्य में ज़ोखिम।
  - ✓ विकासोन्मुख (Nascent)- वर्तमान में सीमित आधार, भविष्य के लिये तैयारी का निम्न स्तर।
- इस रिपोर्ट के अनुसार अग्रणी देशों में शामिल **25** देश अच्छी स्थिति में है, क्योंकि वैश्विक उत्पादन प्रणाली चरघातांकीय परिवर्तन के कगार पर है, किंतु कोई भी देश तैयारी के उस स्तर तक नहीं पहुँचा है कि वह अकेले चौथी औद्योगिक क्रांति द्वारा सृजित अवसरों का उत्पादन बढ़ाने में पूर्णतया इस्तेमाल कर सके।

अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति

- इसमें चीन को **5**वाँ स्थान मिला है, जबकि अन्य ब्रिक्स देशों ब्राज़ील (**41**), रूस (**35**) और दक्षिण अफ्रीका (**45**) की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है।
- भारत को हंगरी, मैक्सिको, फिलीपींस, रूस, थाईलैंड और तुर्की के साथ 'लीगेसी' समूह में रखा गया है।
- चीन अग्रणी देशों की सूची में, जबकि ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका विकासोन्मुख देशों की सूची में शामिल हैं।
- उत्पादन के पैमाने के संदर्भ में भारत **9**वें स्थान पर है, जबकि जटिलता के संदर्भ में यह **48**वें स्थान पर है। बाज़ार के आकार के संदर्भ में भारत तीसरे स्थान पर है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- श्रम बल में महिला भागीदारी, व्यापार टैरिफ, विनियामक कुशलता और टिकाऊ संसाधनों के मामले में भारत की रैंकिंग निम्न स्तर पर है।
- भारत अपने पड़ोसी देशों- श्रीलंका (**66** वें), पाकिस्तान (**74** वें) और बांग्लादेश (**80** वें) से बेहतर स्थान पर है।
- इस रैंकिंग में भारत के नीचे स्थित अन्य देशों में तुर्की, कनाडा, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉन्गकॉन्ग, मॉरीशस और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
- भारत से बेहतर स्थान सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन, इटली, फ्राँस, मलेशिया, मैक्सिको, रोमानिया, इज़रायल, नीदरलैंड, डेनमार्क, फिलीपींस और स्पेन शामिल हैं।
- उत्पादन प्रणालियों को बदलने के लिये चौथी औद्योगिक क्रांति की संभावनाओं का दोहन करने में सक्षम देशों की एक अलग सूची में अमेरिका को प्रथम स्थान दिया गया है। इसके बाद शीर्ष पाँच में सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, ब्रिटेन और नीदरलैंड शामिल हैं।
- इस सूची में भारत को **44**वें स्थान पर रखा गया है, जबकि चीन **25**वें और रूस **43**वें स्थान पर है। हालाँकि भारत, ब्राजील (**47** वें) और दक्षिण अफ्रीका (**49** वें) से बेहतर स्थिति में है।

विश्व आर्थिक मंच (WORLD ECONOMIC FORUM)

- विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर-लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- इसकी स्थापना **1971** में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है।
- फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिये राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराता है। यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संगठन है, जिसका स्वयं का कोई हित नहीं है।
- यह फोरम स्विट्ज़रलैंड के पूर्वी आल्पस क्षेत्र में दावोस में जनवरी के अंत में वार्षिक बैठक के आयोजन के लिये प्रसिद्ध है। इस वर्ष **22-26** जनवरी को आयोजित की जाने वाली बैठक विश्व आर्थिक मंच की **48**वीं सालाना बैठक होगी।

विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाने वाली अन्य रिपोर्ट्स

- Global Gender Gap Report
- Global Competitiveness Report
- Global Human Capital Report
- Travel and Tourism Competitiveness Report
- Global Risks Report
- Inclusive Growth and Development Report

सार्क समूह की पहल से पाकिस्तान बाहर

भारत ने पाकिस्तान को सार्क सदस्य देशों की उस सूची से बाहर कर दिया है, जिन्हें भारत अपनी अत्याधुनिक राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (National Knowledge Network-NKN) परियोजना से जोड़ना चाहता है।

प्रमुख बिंदु

- सीमा-पार आतंकवादी हमलों के कारण भारत द्वारा लंबे समय से आधिकारिक वार्ता को निलंबित किया जाता रहा। इससे स्पष्ट है कि भारत-पाक संबंधों में तनाव का विस्तार अब अनुसंधानात्मक गतिविधियों तक भी हो गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- भारत सरकार ने एक दूरसंचार कंपनी की नियुक्ति की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है जिसे **NKN** को छह सार्क देशों-अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के शोध और शिक्षा नेटवर्क तक विस्तार करने के लिये नियुक्त किया जाना था। पाकिस्तान ही एकमात्र सार्क राष्ट्र है, जिसे इस पहल से बाहर रखा गया है।

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (National Knowledge Network)

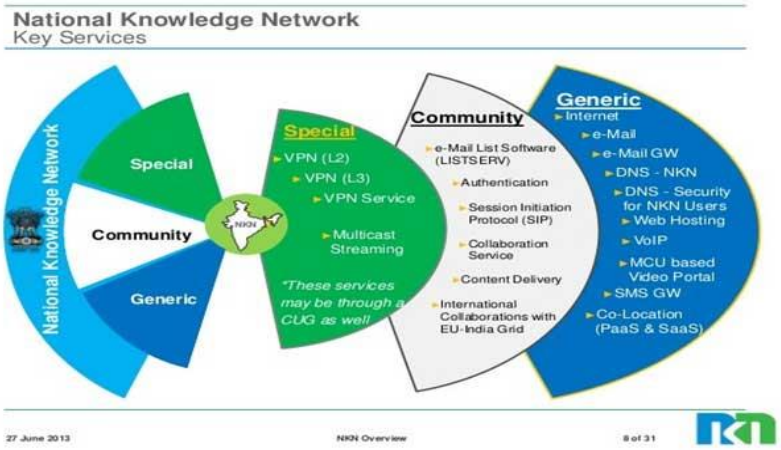

- यह एक अखिल भारतीय मल्टी-गीगाबिट नेटवर्क है, जो भारत में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देता है तथा अगली पीढ़ी की एप्लीकेशन्स और सेवाओं के निर्माण में सहायता देता है।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (**National Informatics Centre-NIC**) इसे लागू करने वाली एजेंसी है।
- **2010** में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना के साथ ही इसे **10** साल की अवधि के लिये शुरू किया गया था।
- वर्तमान में इसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत ही क्रियान्वित किया जा रहा है।
- परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान में अग्रणी मिशन उन्मुख एजेंसियां भी **NKN** का हिस्सा हैं।

उद्देश्य

- राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का उद्देश्य ज्ञान बाँटने और सहयोगात्मक अनुसंधान की सुविधा के लिये एक उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क के साथ उच्च शिक्षा और शोध के सभी संस्थानों को आपस में जोड़ना है।
- इस नेटवर्क के तहत यह प्रस्ताव है कि लगभग **1500** संस्थानों के लिये **2-3** साल की समयावधि में कोर और संबद्ध लिंक स्थापित किये जाएंगे।
- यह विभिन्न शैक्षणिक नेटवर्कों जैसे **TEIN4,** गरुड़ **(GARUDA), CERN** और इंटरनेट **2(Internet2)** के शोधकर्त्ताओं के बीच सहयोग को सक्षम करता है। यह दूरस्थ उन्नत अनुसंधान सुविधाओं तक पहुँच और वैज्ञानिक डेटाबेस को साझा करने की योजना को संभव बनाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी (International connectivity)

- भारत ने **NKN** को सार्क देशों में वैश्विक अनुसंधान और शिक्षा नेटवर्क तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है।
- **NKN** को अब निम्नलिखित तरीकों से जोड़ा जाएगा-
  - ✓ अफगानिस्तान से दिल्ली या मुंबई
  - ✓ बांग्लादेश से कोलकाता या दिल्ली

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- ✓ भूटान से कोलकाता या दिल्ली
- ✓ नेपाल से कोलकाता या दिल्ली
- ✓ मालदीव से चेन्नई या मुंबई
- ✓ श्रीलंका से चेन्नई या मुंबई

- **NKN** को चलाने के लिये एक अत्याधुनिक प्रबंधन केंद्र और नेटवर्क संचालन केंद्र भी स्थापित किया जाएगा।

सार्क संबंधी सामान्य जानकारी

- सार्क दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है।
- इस समूह में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं| **2007** से पहले सार्क के सात सदस्य थे, अप्रैल **2007** में सार्क के **14**वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका आठवाँ सदस्य बन गया था।
- सार्क की स्थापना **8** दिसंबर, **1985** को हुई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू (नेपाल) में है।
- सार्क का प्रथम सम्मेलन ढाका में दिसंबर **1985** में हुआ था।
- प्रत्येक वर्ष **8** दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है।
- संगठन का संचालन सदस्य देशों के मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त महासचिव करते हैं, जिसकी नियुक्ति तीन साल के लिये देशों के वर्णमाला क्रम के अनुसार की जाती है।

कजाखस्तान में चीन का नया 'ड्राय-पोर्ट'

कजाखस्तान की पूर्वी सीमा पर स्थित खोर्गोस (Khorgos) में चीन ने निवेश के माध्यम से एक ड्राय-पोर्ट में हिस्सेदारी हासिल की है। यहाँ चीन की शिपिंग कंपनी 'कॉस्को' मालवाहक ट्रेनों पर कंटेनर लादने का काम कर रही है। भविष्य में इस जगह के ट्रांसपोर्ट-हब के रूप में विकसित होने की संभावना है, जो वन बेल्ट-वन रोड का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनकर चीन के सामान की पहुँच सुदूर यूरोप तक संभव बना देगा।

प्रमुख बिंदु

- विश्व के कई समुद्री बंदरगाहों में निवेश करने के बाद चीन द्वारा एक भू-आबद्ध (**Landlocked)** देश कजाखस्तान में एक ड्राय-पोर्ट के विकास में बड़ा निवेश करना नई बात है।
- खोर्गोस का उत्तरी क्षेत्र शीत युद्ध के दौरान चीन और सोवियत संघ की सेनाओं के बीच तनाव वाला क्षेत्र रहा है।
- खोर्गोस से निकटतम समुद्री तट लगभग **2500** किमी. दूर है।
- कजाखस्तान का यह क्षेत्र अनुर्वर और निर्जन है। यहाँ कार्यरत कंपनियों के कर्मचारियों हेतु आवासीय परिसरों आदि के निर्माण से धीरे-धीरे इस क्षेत्र का विकास हो रहा है।

चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश : चीन

चीन ने अपने महत्त्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रदर्शन करने के लिये चंद्रमा से दूर दुनिया की पहली सॉफ्ट लैंडिंग (soft landing) करने के संबंध में अपनी योजना की घोषणा की है। चीन के इस मिशन को 'चैंग'ई 4' परियोजना (Chang'e 4 project) कहा जाता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

"चैंग'ई 4" परियोजना क्या है?

- 'चैंग'ई **4' (Chang'e 4),** चीन की चंद्र मिशन (**lunar mission)** श्रृंखला का चौथा अभियान है।
- चीन द्वारा इसका नाम चीनी चंद्र देवी के नाम पर रखा गया है।
- **425** किलोग्राम रिले सैटेलाइट (**relay satellite)** वाला यह लॉन्ग मार्च **4** सी रॉकेट (**Long March 4C rocket)** चंद्रमा से **60,000** किलोमीटर की दूरी से अपना कार्य आरंभ करेगा।
- यह रिले सैटेलाइट पृथ्वी और चंद्रमा से दूरी के बीच एक प्रारंभिक संचार लिंक के रूप में कार्य करेगा। इसके अंतर्गत यह चंद्रमा के अनपेक्षित क्षेत्र में एक लैंडर (**lander)** और रोवर (**rover)** को भेजेगी, ताकि चंद्रमा के विषय में अधिक-से-अधिक महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की जा सकें।

प्रमुख बिंदु

- विशेषज्ञों के मुताबिक, चंद्रमा से दूरी बनाते हुए लैंडिंग करने वाला यह मिशन निश्चित रूप से दुनिया के किसी भी देश द्वारा शुरू किये गए सबसे चुनौतीपूर्ण चंद्र मिशनों में से एक है। चंद्रमा के इस दूरी वाले इलाके को **'दक्षिण ध्रुव-एटकेन बेसिन' (South Pole-Aitken Basin)** के रूप में जाना जाता है।
- चंद्रमा का यह क्षेत्र अभी तक अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के बीच एक रहस्य बना हुआ है, ऐसे में चीन का यह मिशन चंद मिशन के संबंध में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय घटनाक्रम

जोज़िला सुरंग को मंज़ूरी : लेह के दुर्गम मार्ग की नई राह

कैबिनेट समिति द्वारा श्रीनगर से लेह के दुर्गम सड़क मार्ग को आसान बनाने वाली रणनीतिक 'जोज़िला' सुरंग को मंज़ूरी प्रदान की गई। सात वर्ष में पूरी होने वाली इस 14.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण पर 6,809 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।

प्रमुख बिंदु

- जोज़िला सुरंग का निर्माण श्रीनगर-कारगिल-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जोज़िला पास के नज़दीक किया जाएगा।
- यह पास समुद्र तल से **11,578** फीट की ऊँचाई पर स्थित है।

इसके क्या-क्या लाभ होंगे?

- हर साल दिसंबर-अप्रैल के दौरान यहाँ इतनी भारी मात्रा में बर्फबारी व हिमस्खलन होता है कि लेह-लद्दाख क्षेत्र का जम्मू-श्रीनगर से संपर्क पूरी तरह कट जाता है। जोज़िला सुरंग का निर्माण होने के बाद इस मार्ग पर साल के **365** दिन चौबीसों घंटे वाहनों की आवा-जाही संभव हो सकेगी।
- पाकिस्तान सीमा से सटे होने के कारण यह सड़क रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। स्पष्ट रूप से इस सुरंग के निर्माण से सेना के लिये भी आसानी हो जाएगी।
- इस सुरंग के निर्माण से श्रीनगर-कारगिल तथा लेह के बीच सभी मौसमों के दौरान संपर्क उपलब्ध रहेगा तथा इन क्षेत्रों में समग्र आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक एकीकरण की भी सुविधा रहेगी। इस परियोजना का कूटनीतिक तथा सामाजिक-आर्थिक महत्त्व है और यह जम्मू-कश्मीर में आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों के विकास का एक माध्यम होगी।

सुरंग की विशेषताएँ

- यह भारत व एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग होगी।
- यह दो लेन वाली दोतरफा सिंगल ट्यूब सुरंग होगी, जिसके समानांतर एक अन्य एंग्रेस सुरंग का निर्माण आपातस्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों के लिये किया जाएगा।
- जोज़िला सुरंग पर अगले साल जून से काम शुरू होने की उम्मीद है।
- परियोजना के निर्माण की अवधि **7** वर्ष है, जो निर्माण के शुरुआत की तारीख से ही आँकी जाएगी।
- परियोजना का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर राज्य में बालताल तथा मीनामार्ग के बीच पहुँच मार्गों को छोड़कर **14.200** किलोमीटर लंबी समानांतर निकास सुरंग के साथ एकल ट्यूब वाली दो लेन की द्विदिशी **14.150** किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण करना है।

कार्यान्वयन कौन करेगा?

- परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एन.एच.आई.डी.सी.एल.) के माध्यम से सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय (एम.ओ.आर.टी.एंड.एच.) द्वारा किया जाएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रभाव

- परियोजना का मुख्य उद्देश्य जम्मू तथा कश्मीर में सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण लेह क्षेत्र को पूरे साल संपर्क प्रदान करना है, जो कि इस समय रास्तों पर बर्फ तथा हिमस्खलन के डर के कारण अधिक-से-अधिक **6** महीने तक ही सीमित है।
- इससे परियोजना कार्य-कलापों में स्थानीय श्रमिकों के लिये रोज़गार की संभावना में और अधिक वृद्धि होगी, रोज़गार में भारी इज़ाफा होगा।

ज़ेड मोड सुरंग

- इस बीच जम्मू-कश्मीर में इसी सड़क पर गगनगीर में **6.5** किलोमीटर ज़ेड मोड सुरंग का निर्माण तेज़ी से हो रहा है।
- इन दोनों सुरंगों के पूरा होने के बाद कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों का आपस में बारहमासी सड़क संपर्क शुरू हो जाएगा।
- दोनो परियोजनाओं से क्षेत्र के आर्थिक विकास के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

31 दिसंबर, 2017 को बहु-प्रतीक्षित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens - NRC) का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया। इसके अंतर्गत कानूनी तौर पर भारत के नागरिक के रूप में पहचान प्राप्त करने हेतु असम में तकरीबन 3.29 करोड आवेदन प्रस्तुत किये गए थे, जिनमें से कुल 1.9 करोड़ लोगों के नाम को ही इसमें शामिल किया गया है।

- असम में अवैध आप्रवासियों (**illegal immigrants**) की पहचान करने के लिये सुप्रीम न्यायालय के निर्देश के बाद एन.आर.सी. को संकलित किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि

- यह भारत का पहला ऐसा राज्य है, जिसके पास एन.आर.सी. है, जिसे पहली बार वर्ष **1951** में तैयार किया गया था।
- इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी का कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है।

मुद्दा क्या है?

- असम में एन.आर.सी. को आखिरी बार **1951** में अपडेट किया गया था। उस समय असम में कुल **80** लाख नागरिकों के नाम इस रजिस्टर के तहत दर्ज़ किये गए थे।
- तब से असम में अवैध आप्रवासियों की पहचान की प्रक्रिया पर न केवल निरंतर बहस जारी है बल्कि यह राज्य की राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा भी बन गया है।
- **1979** में ए.ए.एस.यू. (**All Assam Students' Union - AASU**) द्वारा अवैध आप्रवासियों की पहचान और निर्वासन (**identification and deportation of illegal immigrants**) की मांग करते हुए एक **6** वर्षीय आंदोलन का संचालन किया गया था।
- यह आंदोलन **15** अगस्त, **1985** को असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शांत हुआ था।

एन.आर.सी. क्या है?

- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (**National Register of Citizens - NRC**) में भारतीय नागरिकों के नाम शामिल होते हैं।
- एन.आर.सी. को वर्ष **1951** की जनगणना के बाद **1951** में तैयार किया गया था।
- इसे जनगणना के दौरान वर्णित सभी व्यक्तियों के विवरणों के आधार पर तैयार किया गया था।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक से संबंधित विभिन्न पक्ष एवं उनके समाधान

राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन (National Medical Commission)

- विधेयक के अंतर्गत एक राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन के गठन की बात कही गई है। विधेयक के पास होने के **3** वर्षों के अंदर राज्य सरकारों द्वारा इस कमीशन का गठन किया जाएगा।
- इस कमीशन के तहत **25** सदस्य शामिल होंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
- इनका कार्यकाल अधिकतम **4** वर्षों का होगा।

कार्य

- मेडिकल संस्थानों एवं प्रोफेशनलों को विनियमित करने हेतु नीतियाँ बनना।
- स्वास्थ्य सेवा से संबंधित मानव संसाधनों एवं बुनियादी आवश्यकताओं पर ध्यान देना।
- विधेयक के अंतर्गत विनियमित प्राइवेट मेडिकल संस्थानों और मानद विश्वविद्यालयों की अधिकतम सीटों की फीस तय करने हेतु दिशा-निर्देश जारी करना।

मेडिकल एड्वाइज़री काउंसिल (Medical Advisory Council)

- इसके अतिरिक्त उक्त विधेयक के अंतर्गत एक मेडिकल एड्वाइज़री काउंसिल के गठन की भी बात की गई है। यह इस विधेयक का एक बहुत अहम् हिस्सा है।
- इसके माध्यम से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एन.एम.सी. से संबंधित अपने विचार एवं चिंताओं को साझा किया जाएगा।
- इसके साथ-साथ यह सभी के लिये समान चिकित्सकीय सुविधा सुनिश्चित करने हेतु एक सलाहकारी भूमिका का निर्वाह करेगा।

स्वायत्त बोर्ड (Autonomous boards)

एन.एम.सी. की निगरानी हेतु तीन स्वायत्त बोर्डों का गठन किया जाएगा-

- ✓ यू.जी.एम.ई.बी. (the Under-Graduate Medical Education Board – UGMEB) और पी.जी.एम.ई.बी. (Post-Graduate Medical Education Board - PGMEB)
- ✓ एम.ए.आर.बी. (the Medical Assessment and Rating Board – MARB)
- ✓ एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड (the Ethics and Medical Registration Board)

- प्रत्येक बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे।

प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी?

- इस विधेयक के तहत विनियमित सभी संस्थानों में यू.जी. मेडिकल शिक्षा में प्रवेश करने के लिये नीट (**National Eligibility-cum-Entrance Test)** की व्यवस्था की गई है।
- इन सभी मेडिकल संस्थानों में प्रवेश हेतु कॉमन काउंसलिंग का तरीका एन.एम.सी. द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- मेडिकल संस्थानों से यू.जी. करने वाले विद्यार्थियों को प्रेक्टिस के लिये आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने के लिये एन.एल.ई. (**National Licentiate Examination – NLE)** का हिस्सा बनना होगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, **2017** के अंतर्गत विविध हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श, क्षेत्रीय परामर्श, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को केंद्रीय परिषद और मंत्रियों के समूह के अनुमोदन की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- इस नीति में वर्ष **2025** तक जन स्वास्थ्य व्यय को उत्तरोत्तर जीडीपी के **2.5%** तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, **2017** को लागू करने के लिये एक प्रारूप क्रियान्वयन ढाँचा भी तैयार किया गया है।

केंद्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017

लोकसभा द्वारा केंद्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित कर दिया गया है। इस विधेयक को केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 में संशोधन करने के लिये लाया गया था, जिसके माध्यम से उच्च गति वाले पेट्रोल और डीज़ल पर लगाए गए उपकर को ग्रामीण सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे, राज्य सड़कों और सीमा क्षेत्र सड़कों के विकास के लिये वितरित करने संबंधी प्रावधान किया गया है।

अंतर्देशीय जलमार्ग का समावेशन:

- इस विधेयक के अंतर्गत उन सभी जलमार्गों को, जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम (**National Waterways Act), 2016** के तहत 'राष्ट्रीय जलमार्ग' के रूप में घोषित किया गया है, को परिभाषित किया गया है।
- वर्तमान में इस अधिनियम के तहत **111** जलमार्गों को निर्दिष्ट किया गया है।

सेंट्रल रोड फंड (Central Road Fund)

- राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों के विकास तथा रखरखाव हेतु निधि बनाने के लिये केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम (**Central road fund act) 2000** के तहत केंद्र सरकार द्वारा एक केंद्रीय सड़क निधि की स्थापना की गई है।
- इसके तहत फंड को जुटाने के लिये सेंट्रल रोड फंड एक्ट, **2000** के अंतर्गत पेट्रोल और हाई स्पीड डीज़ल तेल पर उपकर, आबकारी और सीमा शुल्क के रूप में लेवी जमा करने का प्रस्ताव रखा गया था।
- इस निधि का उपयोग मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर सड़क ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज (**overbridges/under bridges)** का निर्माण करने तथा अन्य सुरक्षा सुविधाओं के लिये किये जाने का प्रावधान किया गया है।

भारतमाला सड़क परियोजना क्या है?

- इसके तहत **44** आर्थिक कॉरीडोरों की पहचान की गई है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के बाद भारतमाला दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में लगभग **50,000** किमी. सड़कों का विकास हुआ, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज भी शामिल है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी और पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है।
- इसके अलावा सभी ज़िला मुख्यालयों को सड़कों के साथ जोड़ने की योजना है।
- आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों सहित दूर-दराज़ के ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

- भारत के संपूर्ण राजमार्ग संजाल को 'राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण' **(National Highways Authority of India- NHAI)** द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो राजमार्गों के विकास तथा रख-रखाव के लिये ज़िम्मेदार है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाई और कोल्ड चेन बुनियादी ढाँचा

वर्ल्ड फूड इंडिया 2017

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भारत की निवेश क्षमता का प्रदर्शन करने के लिये राजधानी नई दिल्ली में **3** से **5** नवंबर तक विश्व खाद्य इंडिया **2017** कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत, खाद्य सुरक्षा हासिल करने की पृष्ठभूमि में नवाचार**,** प्रौद्योगिकी**,** विकास और स्थिरता का लाभ उठाने को लेकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का प्रदर्शन करते हुए अभिनव उत्पादों और विनिर्माण प्रक्रियाओं के प्रदर्शन के लिये एक मंच मुहैया कराया गया।
- 'विश्व खाद्य इंडिया **2017**' को भारत के राष्ट्रपति द्वारा, "भारतीय खाद्य का कुंभ मेला" के नाम से संबोधित किया गया।

निवेशक पोर्टल - निवेश बंधु (Nivesh Bandhu) की शुरुआत

- वर्ल्ड फूड इंडिया के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा निवेश बंधु-निवेशक पोर्टल की शुरुआत की गई। इस अनूठे पोर्टल का उद्देश्य केंद्रीय और राज्य सरकारों की नीतियों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिये प्रदान किये जाने वाले प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी एकत्रित करना है।
- यह किसानों**,** व्यापारियों और रसद ऑपरेटरों के लिये व्यापार नेटवर्किंग हेतु एक मंच भी उपलब्ध कराता है।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana

- संपदा योजना का उद्देश्य अवसंरचना के निर्माण और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में प्रसंस्करण और संरक्षण की बढ़ती क्षमता को खेत से खुदरा दुकानों तक पहुँच को लक्षित करना है।
- पी.एम.के.एस.वाई. एक अंब्रेला, योजना है जिसमें मेगा फूड पार्क**,** एकीकृत कोल्ड श्रृंखला और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर**,** खाद्य सुरक्षा और क्वालिटी एश्योरेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि के संबंध में चलाई जा रही योजनाओं को शामिल किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, इसके अंतर्गत एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिये इंफ्रास्ट्रक्चर**,** पिछड़े और अग्रेषण संबंधों का निर्माण**,** खाद्य प्रसंस्करण तथा संरक्षण क्षमता का निर्माण/विस्तार जैसी नई योजनाओं को भी शामिल किया गया है।

जीएसटी सुविधा केंद्र (GST Facilitation Cell)

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा, अपने कार्यालय में एक चार सदस्यीय जीएसटी सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है**,** ताकि उद्योगों को नई कर व्यवस्था के बारे में निर्देशित किया जा सके।
- खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की सहायता के लिये एफ.एस.एस.ए.आई. **(FSSAI)** द्वारा उत्पाद की स्वीकृति को सरल बनाया गया है।
- हरियाणा के कुंडली में एन.आई.एफ.टी.ई.एम. **(Food Technology, Entrepreneurship and Management – NIFTEM)** और तमिलनाडु के तंजावूर में भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान **(Indian Institute of Food Processing Technology - IIFPT)** को उत्कृष्ट केंद्रों के रूप में सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा 'फूड रेगुलेटरी पोर्टल' नामक एक शक्तिशाली उपकरण की घोषणा की गई है। खाद्य व्यवसायों के लिये घरेलू कारोबार और खाद्य आयात दोनों को पूरा करने के लिये एकल इंटरफेस के रूप में योजना बनाई गई है। यह पोर्टल देश के खाद्य सुरक्षा कानूनों के प्रभावी और पारदर्शी कार्यान्वयन हेतु मददगार साबित होगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- व्यवसायों के संचालन के लिये एक सक्षम वातावरण बनाने के लक्ष्य के साथ-साथ यह पोर्टल **"एक राष्ट्र, एक खाद्य कानून" (One Nation, One Food Law)** के सरकार के मिशन के साथ रणनीतिक रूप से काम करेगा।

हुनर हाट (Hunar Haat)

- **14-27** नवंबर, **2017** से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 'हुनर हाट' का आयोजन किया गया।
- देश के सभी स्थानों से आए एंग्लो-इंडियन समुदाय के लोगों के साथ नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य था- समुदाय का सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक सशक्तीकरण।

जियो पारसी योजना

- भारत में पारसी समुदाय की घटती जनसंख्या को रोकने के लिये केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 'जियो पारसी' योजना चला रहा है, जिसके पब्लिसिटी फेज़-**2** की शुरुआत हाल ही में मुंबई में की गई। 'जियो पारसी' पब्लिसिटी फेज़-**1** की शुरुआत **2013** में की गई थी।
- यह शत्-प्रतिशत केंद्रीय योजना है।
- भारत में पारसी समुदाय भले ही जनसंख्या के लिहाज़ से छोटा अल्पसंख्यक समुदाय है, लेकिन इसमें उदारवाद और शिक्षा के प्रति जागरूकता का प्रभुत्व है।
- 'जियो पारसी' योजना का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक नवाचार तथा संरचनात्मक नवीनताओं को अपनाकर पारसी जनसंख्या की घटती हुई प्रवृत्ति को उलटना, उनकी जनसंख्या को सुदृढ़ बनाना तथा भारत में पारसियों की जनसंख्या में वृद्धि करना है।

राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष और सदस्यों के निश्चित कार्यकाल को स्वीकृति

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय न्यास (National Trust for the Welfare of Person with Autism, Cerebral Plasy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Ac) के अध्यक्ष तथा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष के लिये निर्धारित करने हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 4 (1) तथा धारा 5 (1) में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, **1999** की धारा **4 (1)** में प्रावधान है कि राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष या बोर्ड का कोई एक सदस्य एक ऐसी स्थिति में जब तक कि विधिवत रूप से उनके उत्तराधिकारी नियुक्त किये जाते हैं, तब तक की समयावधि के लिये (तीन वर्ष की निर्धारित अवधि के बाद भी) अपने पदों पर बने रहेंगे।
- न्यास के अध्यक्ष के त्याग-पत्र के मामले में अधिनियम की धारा **5(1)** में निहित प्रावधान के अनुसार, सरकार द्वारा विधिवत रूप से उनके उत्तराधिकारी नियुक्त किये जाने तक वे कार्यालय में बने रहेंगे।
- वर्तमान स्वरूप में अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की शब्दावली के कारण अध्यक्ष अनिश्चित अवधि के लिये अपने पदों पर बने रहते हैं क्योंकि समय पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त उत्तराधिकारी पात्र का चयन नहीं हो पाता है।
- स्पष्ट रूप से अधिनियम के इन प्रावधानों में प्रस्तावित संशोधन ऐसी किसी भी स्थिति को नकार सकेगा जो किसी पदस्थ सदस्य द्वारा उसी पद पर लगातार बने रहने के किसी भी अवसर को समाप्त करेगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय न्यास क्या है?

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन, 'राष्ट्रीय न्यास' एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना 'स्वलीनता (**Autism**), सेरेब्रल पाल्सी, मंदबुद्धि और बहुदिव्यांगजनों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (वर्ष **1999** में **44**वाँ अधिनियम) द्वारा की गई थी।
- राष्ट्रीय न्यास की परिकल्पना का आधार दिव्यांगजनों और उनके परिवारों की क्षमता विकास, उन्हें समान अवसर प्रदान कराना, उनको उनके अधिकारों की प्राप्ति कराना, बेहतर माहौल उपलब्ध कराना और एक दिव्यांगजन समेकित समाज का निर्माण था।

समावेशी भारत अभियान

- हाल ही में इस राष्ट्रीय न्यास ने 'समावेशी भारत अभियान' की शुरुआत की है। यह अभियान विशेष रूप से बौद्धिक व विकास संबंधी दिव्यांगों (**Persons with intellectual and developmental disabilities**) के लिये है।
- इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को मुख्य धारा में शामिल कराना और सामाजिक जीवन के सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं, जैसे- शिक्षा, रोज़गार के अवसर सुनिश्चित करने के साथ-साथ इस समुदाय के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाना है।
- इस अभियान के तहत, तीन प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है– समावेशी शिक्षा, समावेशी रोज़गार और समावेशी सामुदायिक जीवन।

स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा संसद सदस्य क्षेत्रीय विकास योजना (एमपीलैड्स) को 14वें वित्त आयोग की कार्य अवधि यानी 31.03.2020 तक जारी रखने हेतु स्वीकृति दी गई।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना को **3950** करोड़ रुपए के वार्षिक आवंटन तथा **11850** करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अगले **3** वर्षों तक जारी रखने की अनुमति दी गई है।
- ज्ञात हो कि एमपीलैड्स की निधियाँ नोडल ज़िला प्राधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज़ों के प्राप्त होने तथा एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार जारी की जाती हैं।

इसका प्रभाव क्या होगा?

- एमपीलैड्स योजना के अंतर्गत पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा सड़कों जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्थानीय रूप से महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन से देश की संपूर्ण आबादी को लाभ मिलेगा।
- एमपीलैड्स योजना के फलस्वरूप ऐसी विभिन्न टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन किया गया है, जिन्होंने स्थानीय समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन को किसी-न-किसी रूप में प्रभावित किया है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष **1993-94** में लॉन्च की गई एमपीलैड्स योजना एक केंद्रीय योजना है।
- इस योजना का उद्देश्य संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कों जैसी बुनियादी ज़रूरतों के संबंध में आवश्यकतानुसार टिकाऊ समुदाय परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सिफारिश करने में समर्थ बनाना है।
- यह योजना कुछ दिशा-निर्देशों द्वारा संचालित की जाती है, जिसे अंतिम बार जून **2016** में संशोधित किया गया था।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

ऊर्जा (शहरी ज्योति अभियान) मोबाइल एप URJA (Urban Jyoti Abhiyan) Mobile App

- यह एप उपभोक्ता शिकायत निवारण, नए सेवा कनेक्शन जारी करने, उपभोक्ता द्वारा महसूस की गई बाधाओं की औसत संख्या, उपभोक्ता द्वारा महसूस की गई बाधाओं की औसत अवधि, ई-भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या, ऊर्जा हानि/बिजली की चोरी, आईटी सक्षमता (गो-लाइव ऑफ टाउन्स), स्काडा का कार्यान्वयन, शहरी व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय पावर पोर्टल पर फीडर डेटा, आईपीडीएस एनआईटी की प्रगति, आईपीडीएस पुरस्कार की प्रगति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है।

सौभाग्य वेबपोर्टल ('Saubhagya' Web-Portal)

- **'सौभाग्य' वेब पोर्टल** – पारदर्शी सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण की निगरानी के लिये एक प्लेटफॉर्म को दिनांक **16 नवंबर, 2017** को शुरू किया गया।

राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल (National Power Portal-NPP)

- राष्ट्रीय विद्युत पोर्टल (एनपीपी) - भारतीय पावर सेक्टर सूचना के समेकन और प्रसार के लिये एक केंद्रीयकृत प्लेटफॉर्म है।
- इस पोर्टल पर मंत्रालय द्वारा पूर्व में आरंभ किये गए सभी पावर सेक्टर एप्स के लिये एक सिंगल प्वाइंट इंटरफेस उपलब्ध कराया जाएगा।

मेरिट वेब पोर्टल

(Merit Order Despatch of Electricity for Rejuvenation of Income and Transparency-MERIT web portal)

- वेब पोर्टल 'मेरिट' को **23** जून, **2017** को शुरू किया गया।
- यह मोबाइल एप और वेब पोर्टल राज्यों द्वारा प्रेषित वास्तविक आँकड़ों को पारदर्शी रूप से प्रदर्शित करता है।
- साथ ही राज्यों को उनकी बिजली खरीद पोर्टफोलियो में सुधार के लिये अवसर भी मुहैया करता है।

नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री का कमर्शियल परीक्षण शुरू किया गया (National High Power Test Laboratory - NHPTL)

- एनएचपीटीएल, एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावरग्रिड, डीवीसी और सीपीआरआई का संयुक्त उद्यम है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन हाई पावर शॉर्ट सर्किट टेस्ट सुविधा का एनपीपीटीएल, बीआईएनए, सीपीआरआई, एमपी पर्यवेक्षण के तहत वाणिज्यिक परीक्षण शुरू किया है।
- यह एनएचपीटीएल, बीआईएनए में पहला वाणिज्यिक परीक्षण किया गया है।

देश का पहला फासर मापन इकाई परीक्षण सुविधा (Country's First Phasor Measurement Unit Test Facility)

- सीपीआरआई द्वारा देश की पहली फासर मापन यूनिट (**Phasor Measurement Unit -PMU**) परीक्षण की सुविधा स्थापित की है।
- अस्थायी **6135** ए/पीएमयूसीएएल फासर मापन यूनिट कैलिब्रेशन सिस्टम (**Phasor Measurement Unit Calibration system**) पीएमयू परीक्षण और कैलिब्रेशन के लिये एक स्वचालित प्रणाली और ट्रेसलेस समाधान है।
- पीएमयू एम-क्लास और पी-क्लास राज्य और प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार गतिशील स्थितियों का मूल्यांकन करने हेतु यह एक अनोखी सुविधा है।
- फासर मापन इकाइयाँ आधुनिक बिजली ग्रिड की स्थिरता और विश्वसनीयता की रक्षा के लिये वास्तविक समय में कंप्यूटर नियंत्रण को सक्षम बनाता है।
- पीएमयू के लिये नए परीक्षण और मानकों ने पीएमयू निर्माताओं में लगातार प्रदर्शन को बढ़ावा दिया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

ऊर्जा संरक्षण हेतु आरंभ किये गए कार्यक्रम

राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री द्वारा **5** जनवरी**, 2015** को राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम को सस्ती दरों पर सबसे कुशल प्रकाश प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुभारंभ किया गया।
- इस कार्यक्रम के दो घटक हैं– **1.** सभी के लिये किफायती उन्नत ज्योति (उजाला) घरेलू उपभोक्ताओं के लिये एलईडी बल्ब प्रदान करने के साथ-साथ **77** करोड़ तापदीप्त बल्बों को बदलने हेतु एलईडी बल्बों का प्रयोग और **2.** सड़क प्रकाश राष्ट्रीय कार्यक्रम **(Street Lighting National Programme - SLNP)** को बदलने के लिये मार्च **2019** तक स्मार्ट और ऊर्जा कुशल एलईडी स्ट्रीट लाइट के साथ **1.34** करोड़ पारंपरिक स्ट्रीट लाइट्स को बदला जाएगा।
- ईईएसएल ने एक सेवा मॉडल विकसित किया है ताकि नगर पालिकाओं को एलईडी के साथ पारंपरिक रोशनी को बिना किसी अग्रिम लागत पर बदला जा सके।
- ऊर्जा की बचत के मुताबिक शेष राशि नगर पालिकाओं के माध्यम से पुनः प्राप्त की जाती है।

ईको-निवास

- ईको-निवास एक ऑनलाइन उपकरण है, जो अपने घरों में ऊर्जा दक्षता तत्त्वों को शामिल करने के लिये लोगों को निर्देशित करता है, जैसे- भवन निर्माण सामग्री, इसकी डिजाइन सुविधाएँ और उपकरण लॉन्च किये गए हैं।

प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना Perform, Achieve and Trade (PAT) Scheme

- पीएटी चक्र तृतीय **1** अप्रैल**, 2017** से **11** मौजूदा क्षेत्रों में **116** अधिक डीसी की पहचान के साथ यानी कुल **737** डीसी शुरू हुआ।
- वाणिज्यिक भवन श्रेणी के तहत, होटल **1000** से अधिक ऊँची ऊर्जा खपत वाले पेट्रोरसायन इकाइयों और **100,000** से अधिक ऊर्जा की खपत वाले पेट्रोकेमिकल इकाइयों को पीएटी स्कीम के तहत नए क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- ई-स्कर्स व्यापार आधारभूत संरचना पर ऑनलाइन पोर्टल, जिसे बीईई द्वारा केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग **(Central Electricity Regulatory Commission - CERC)** के सहयोग से विकसित किया गया है।

सौभाग्य योजना
(SAuBHaGYa : Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana)

भारत सरकार द्वारा सितंबर 2017 में देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण हासिल करने के लिये "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)" नामक एक योजना की शुरुआत की गई।

- इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी परिवारों को जोड़ना एवं बिजली कनेक्शन प्रदान करना है।
- ग्रामीण इलाकों में एसईसीसी आँकड़ों के आधार पर और शहरी इलाकों में आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के आधार पर कम-से-कम वंचित रहने वाले सभी गैर-विद्युतीकृत परिवारों को मुफ्त बिजली के कनेक्शन दिये जाएंगे।
- इसके अलावा, दूसरे परिवारों से बिल के साथ दस समान किश्तों में प्रति परिवार **500** रुपए का शुल्क लिया जाएगा।
- दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित घरों को सौर फोटोवोल्टाइक (एसपीवी) आधारित स्टैंडअलोन पद्धति के साथ एलईडी लाइट, पंखे, पावर प्लग इत्यादि प्रदान किये जाएंगे।
- वर्ष **2011** के एसईसीसी आँकड़ों को आधार मानते हुए सामाजिक आर्थिक स्थितियों के अनुसार लाभार्थियों की पहचान की जाएगी।
- इस योजना के तहत **31** मार्च**, 2019** तक सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

एकीकृत ऊर्जा विकास योजना
(Integrated Power Development Scheme - IPDS)

- आईपीडीएस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में गुणवत्ता और विश्वसनीय **24X7** निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करना है।
- इस योजना में आईटी और तकनीकी सहायता के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में **24X7** बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा, लेकिन बिलिंग और संग्रहण दक्षता में भी सुधार करने में मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी और वाणिज्यिक (**Aggregate Technical and Commercial - AT&C**) नुकसान में भी कमी आएगी।
- भारत में **45/57** डिस्कॉम (निजी सहित) में उपभोक्ताओं के लिये ऑल इंडिया शॉर्ट कोड **'1912'** की शुरुआत हो चुकी है।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (Ujwal Discom Assurance Yojana - UDAY)

- **20.11.2015** को भारत सरकार द्वारा बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय और परिचालन को घाटे से उबार कर लाभ में लाने के लिये उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) को आरंभ किया गया।
- इस योजना का उद्देश्य लगभग **4.3** लाख करोड़ रुपयों के लंबे समय से कर्ज और भविष्य में संभावित नुकसान का स्थायी समाधान करना है।
- इस योजना में सभी क्षेत्रों - उत्पादन, प्रेषण, वितरण, कोयला और ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने हेतु उपायों की परिकल्पना भी की गई है। योजना की वैधता अवधि दिनांक **31-03-2017** को समाप्त हो गई है।
- उदय के अंतर्गत प्रतिभागी राज्यों के कार्य-प्रदर्शन की गहन निगरानी सुनिश्चित करने हेतु एक अंतर-मंत्रालयी निगरानी समिति कार्यप्रणाली (**inter-ministerial Monitoring Committee Mechanism**) स्थापित की गई है।
- अभी तक उदय योजना के अंतर्गत **27** राज्य और **4** संघ राज्य क्षेत्र शामिल हो चुके हैं।

बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना

राजस्थान के पचपदरा में बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना को शुरू किया जा रहा है। वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा इस परियोजना का अनुमोदन किया गया, कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा 22 सितंबर, 2013 (27 सितंबर, 2013 से आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले) को बाड़मेर के पचपदरा में इसकी आधारशिला रखी गई थी।

परियोजना का संक्षिप्त विवरण

- स्थान - पचपदरा, बाड़मेर, राजस्थान (**Pachpadra, Barmer, Rajasthan**)
- परियोजना की कुल लागत **43129** करोड़ रुपए है।
- अभियांत्रिकी समापन का लक्ष्य - **4** वर्ष
- रिफाइनरी की क्षमता **9** एमएमटीपीए
- एचपीसीएल का इक्विटी शेयर – **74** प्रतिशत
- राजस्थान सरकार का इक्विटी शेयर - **26** प्रतिशत
- **15** वर्षों तक प्रतिवर्ष **1123** करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण।
- **16**वें वर्ष से अगले **15** वर्षों तक ऋण अदायगी।
- रिफाइनरी बीएस छह उत्पादों के उत्पादन में सक्षम।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

मध्याह्न भोजन योजना

- मिड डे मील कार्यक्रम एक केंद्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में **15** अगस्त **1995** को पूरे देश में लागू की गई थी।
- इसके पश्चात् सितंबर **2004** में कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करते हुए मेनू आधारित पका हुआ गर्म भोजन देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी।
- इस योजना के तहत, न्यूनतम **200** दिनों के लिये निम्न प्राथमिक स्तर के लिये प्रतिदिन न्यूनतम **300** कैलोरी ऊर्जा एवं **8-12** ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिये न्यूनतम **700** कैलोरी ऊर्जा एवं **20** ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान हैं।
- मिड डे मील कार्यक्रम एक बहुद्देशीय कार्यक्रम तथा राष्ट्र की भावी पीढी के पोषण एवं विकास से जुड़ा हुआ है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
    - ✓ प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढावा देना।
    - ✓ विद्यालयों में छात्रों के नामांकन में वृद्धि तथा छात्रों को स्कूल में आने के लिये प्रोत्साहित करना।
    - ✓ स्कूल ड्राप-आउट को रोकना।
    - ✓ बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति में वृद्धि तथा सीखने के स्तर को बढावा देना।

अंतर्राष्ट्रीय अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics-ICRISAT)

- अंतर्राष्ट्रीय अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (**ICRISAT)** एक गैर-लाभकारी, गैर-राजनीतिक संगठन है जो एशिया और उप-सहारा अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में विकास के लिये कृषि अनुसंधान पर कार्य करता है।
- **55** देशों में **65** मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए अर्द्ध-शुष्क या सूखे इलाकों में **2** अरब से अधिक आबादी अधिवासित है, जिसमें से **644** मिलियन आबादी अत्यंत गरीब है।
- **ICRISAT** और उसके सहयोगी इन गरीब लोगों की बेहतर कृषि के ज़रिये गरीबी, भूख और निम्नीकृत पर्यावरण पर काबू पाने में सहायता करते हैं।
- **ICRISAT** का मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना राज्य में है और दो क्षेत्रीय केंद्र नैरोबी (केन्या) और बमाको (माली) में हैं।
- **ICRISAT** पाँच अति पौष्टिक और सूखा प्रतिरोधी फसलों काबुली चना (**Chick Pea**), कबूतर चना (**Pigeon Pea**), बाजरा (**Pearl Millet**), ज्वार (**Sorghum**) और मूंगफली(**Groundnut**) पर अनुसंधान करता है।

राष्ट्रीय मुकदमा नीति, 2010

- राष्ट्रीय मुकदमेबाज़ी नीति भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है। माननीय न्यायमूर्ति के.के. मैथ्यू. की अध्यक्षता में **10**वें विधि आयोग ने यह संशोधन किया था कि न्यायालयों में (विशिष्टतया उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में) पर्याप्त मात्रा में ऐसे मुकदमें हैं, जिनमें सरकार पक्षकार है''।
- विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार ने ''राष्ट्रीय मुकदमा नीति, **2010**'' की शुरुआत इस मान्यता के आधार पर की है कि देश के न्यायालयों और अधिकरणों में सरकार और उसके विभिन्न विभाग प्रमुख वादी हैं। राष्ट्रीय मुकदमा नीति अभी कार्यान्वित की जानी है।
- इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
    - ✓ मामले दर्ज़ करने के दौरान सरकारी विभाग ज़िम्मेदार हों, यह सुनिश्चित करना।
    - ✓ यह न्यायालय/ट्रिब्यूनल के सामने सही तथ्यों, सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को स्थान दे और उन्हें गुमराह न करे, इसका निर्देश देना।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

क्या है RTE?

- **2** दिसंबर, **2002** को संविधान में **86**वाँ संशोधन किया गया और इसके अनुच्छेद **21**ए के तहत, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है।
- इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष **2009** में भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक युगांतकारी कदम उठाते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (**the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act,**) पारित किया।
- इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर सृजित करना है।
- इसके तहत, **6-14** वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिये शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया।

उड़ान (Ude Desh Ka Aam Naagrik-UDAN) योजना

- उड़ान देश में क्षेत्रीय विमानन बाज़ार को विकसित करने की दिशा में एक नवोन्मेषी कदम है।
- क्षेत्रीय संयोजकता योजना-उड़ान **15** जून, **2016** को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (**National Civil Aviation Policy - NCAP**) का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
- क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने के मुख्य उद्देश्य के साथ अक्तूबर, **2016** में इस योजना को शुरू किया गया था।
- इसमें रुचि रखने वाले ऑपरेटर प्रस्ताव करके अभी तक संपर्क से नहीं जुड़े मार्गों पर संचालन शुरू कर सकते हैं।
- यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की पहली योजना है जो क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं लाभप्रद उड़ानों को बढ़ावा देगी ताकि आम आदमी वहनीय कीमत पर हवाई यात्रा कर सके।
- इसके तहत विमान की आधी सीटों के लिये प्रति घंटा एवं **500** किमी. की यात्रा उड़ान हेतु अधिकतम **2500** रुपए किराया वसूला जाएगा एवं इससे एयरलाइनों को होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी।
- इसमें मौजूदा हवाई-पट्टियों एवं हवाई अड्डों के पुनरुत्थान के माध्यम से देश के उन हवाई अड्डों पर भी कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी जो कम उपयोग में आते हैं अथवा जिनका उपयोग नहीं किया जाता है।

यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunisation Programme (U.I.P.))

भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। यह दुनिया में सबसे अधिक लागत प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 12 रोगों के लिये टीकाकरण किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम के तहत गुणवत्तापूर्ण वैक्सीन का उपयोग करना, अधिक-से-अधिक लाभार्थियों तक पहुँच सुनिश्चित करना, टीकाकरण स्तरों का आयोजन करना, भौगोलिक प्रसार एवं क्षेत्रीय विविधता को कवर करने जैसे पक्षों को शामिल किया गया है।
- इसके तहत निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है। सभी लाभार्थियों को नज़दीक के सरकारी/निजी स्वास्थ्य केन्द्रों या आंगनवाड़ी केन्द्रों पर टीके लगाए जाते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष **1985** में की गई थी।
- इस कार्यक्रम के तहत, **3** करोड़ गर्भवती महिलाओं और **2.7** करोड़ नवजात बच्चों के टीकाकरण का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित है।

'लाभ का पद' और इससे संबद्ध मुद्दे

'लाभ का पद' क्या होता है?

- भारत के संविधान में अनुच्छेद **102(1)(a)** के अंतर्गत, संसद सदस्यों के लिये तथा अनुच्छेद **191(1)(a)** के तहत राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिये ऐसे किसी भी लाभ के पद को धारण करने का निषेध किया गया है, जिससे उस पद के धारण करने वाले को किसी भी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता हो।
- भारतीय संविधान के अनुछेद **191(1)(a)** के अनुसार, अगर कोई विधायक किसी लाभ के पद पर आसीन पाया जाता है, तो विधानसभा में उसकी सदस्यता को अयोग्य करार दिया जा सकता है।

इसका महत्त्व क्या है?

- यह अवधारणा संसद व राज्य विधानसभा के सदस्यों की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखती है।
- यह विधायिका को कार्यपालिका से किसी अनुग्रह या लाभ प्राप्त करने से रोकती है।
- यह विधायी कार्यों व किसी भिन्न पद के कर्त्तव्यों में होने वाले टकराव को रोकती है।

इस संबंध में न्यायालय की क्या भूमिका है?

- चूँकि, लाभ के पद के संदर्भ में भारत में कोई स्थापित प्रक्रिया मौजूद नहीं है। अत: ऐसे में न्यायालय की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है- गोविन्द बसु बनाम संकरी प्रसाद गोशाल मामले में गठित संविधान पीठ ने लाभ के पद के संदर्भ में कई कारक निर्धारित किये हैं, जैसे- नियुक्तिकर्त्ता, पारितोषिक या लाभ निर्धारित करने वाला प्राधिकारी, पारितोषिक के स्रोत आदि।
- अशोक भट्टाचार्य बनाम अजोय बिस्वास मामले में न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिये प्रत्येक मामले को उपयुक्त नियमों और अनुच्छेदों को ध्यान में रखकर ही निर्णय किया जाना चाहिये।
- स्पष्ट है कि लाभ के पद के संदर्भ में न्यायालय की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर भी इस संदर्भ में एक सुस्पष्ट नियम का अभाव देखा गया है।
- विशेषज्ञों के मुताबिक, संविधान में ये धारा रखने का उद्देश्य विधानसभा को किसी भी तरह के सरकारी दबाव से मुक्त रखना था। क्योंकि अगर लाभ के पदों पर नियुक्त व्यक्ति विधानसभा का भी सदस्य होगा, तो इससे निर्णयों के प्रभावित होने का अंदेशा बना रहता है।

स्मार्ट सिटी मिशन

- स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों के बाहरी, सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत बुनियादी ढाँचे की समूची पर्यावरण व्यवस्था का विकास करना तथा सभी वर्गों के जीवन स्तर में सुधार और आर्थिक विकास करना है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- पुन: संयोजन (पहले से निर्मित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का विस्तार और स्मार्ट समाधानों को अपनाना), पहले से निर्मित ढाँचे को गिराकर भूमि के पूर्ण इस्तेमाल के लिये उसका नए डिज़ाइन के साथ निर्माण, सभी नागरिकों के लाभ के लिये पूरे शहर की परियोजनाओं, जैसे ई-शासन और उचित स्मार्ट समाधान के ज़रिये इस मिशन को लागू किया जाएगा।
- वर्तमान शहरों के बाहर लोगों को रहने की जगह देने के लिये ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को भी शुरू किया जा सकता है।
- इस मिशन के तहत स्मार्ट सड़कों, जल क्षेत्रों के कायाकल्प या संरक्षण, साइकिल पथ, पैदल पथ, स्मार्ट क्लासरूम, कौशल विकास केंद्रों, स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन और पूरे शहर से जुड़ी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

सुगम्य भारत अभियान

- सुगम्य भारत अभियान (**Accessible India Campaign**) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का राष्ट्रव्यापी महत्त्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में दिव्यांगजनों के लिये एक बाधा रहित और सुखद वातावरण तैयार करना है।
- इस अभियान का शुभारंभ **03** दिसंबर, **2015** को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर किया गया था।
- यह अभियान विकलांगता के सामाजिक मॉडल के उस सिद्धांत पर आधारित है जिसमें किसी व्यक्ति की सीमाओं और अक्षमताओं के कारण नहीं बल्कि उसकी सामाजिक व्यवस्था के तरीके के कारण विकलांगता निर्धारित की जाती है।
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिये व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये इस अभियान को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: सुगम्य वातावरण तैयार करना, सुगम्य परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।

लक्ष्य

- सुगम्य भारत अभियान के तीन घटक हैं – पर्यावरण निर्माण, यातायात और सूचना एवं संचार इको-प्रणाली सुगम्यता।
- सुगम्य भारत अभियान के सुगम्य वातावरण निर्मित करने के लिये निम्नलिखित लक्ष्य निहित है:
  - ✓ 50 शहरों में कम-से-कम 25 से 50 सबसे महत्त्वपूर्ण सरकारी भवनों का सुगम्य ऑडिट पूरा करना और इस वर्ष के अंत तक उन्हें पूरी तरह से सुगम्य बनाना।
  - ✓ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और सभी राज्यों की राजधानियों के सभी सरकारी भवनों में से 50 प्रतिशत भवनों को दिसंबर 2018 तक पूरी तरह से सुगम्य बनाना।
  - ✓ दिसंबर 2019 तक राज्यों के उन दस सबसे महत्त्वपूर्ण शहरों/कस्बों के सरकारी भवनों का 50 प्रतिशत सुगम्य ऑडिट पूरा करना और उन्हें सुगम्य बनाना है जो (1) और (2) में कवर नहीं किये गए।
- विभाग द्वारा 'व्यापक सुगम्यता' हासिल करने के लिये दिव्यांगजनों हेतु एक ऑनलाइन "सुगम्य पुस्तकालय'' का भी शुभारंभ किया गया है।

IAC-1 विक्रांत: भारत का प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत

- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्माणाधीन स्वदेशी विमानवाहक (**Indigenous Aircraft Carrier-IAC-1**) विक्रांत को अक्तूबर **2020** तक भारतीय नौसेना में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया जाएगा। पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट का नाम भारत के पहले विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत (**INS VIKRANT**) के नाम पर रखा गया है, जिसे ब्रिटेन से खरीदा गया था।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- **1997** में आईएनएस विक्रांत को नौसेना ने अपने बेड़े से बाहर कर दिया था।
- आईएनएस विक्रमादित्य की तरह विक्रांत भी विमान को लॉन्च और रिकवर करने के लिये **STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery)** मेकेनिज़्म का प्रयोग करेगा।

आईएनएस विक्रमादित्य

- मार्च **2017** में आईएनएस विराट के सेवानिवृत्त होने के बाद आईएनएस विक्रमादित्य देश का सबसे बड़ा और एकमात्र विमानवाहक पोत है।
- यह **1987** में बनाया गया था और सोवियत नौसेना में यह बाकू के नाम से सेवारत था। बाद में इसे रूसी नौसेना के तहत **'एडमिरल गोर्शकोव'** का नाम दिया गया।
- **16** नवंबर, **2013** को इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया था।
- हाल ही में आइएनएस विक्रमादित्य को औपचारिक रूप से भारतीय सेना की अत्यधिक सम्मानित और युद्ध कौशल से युक्त बिहार रेजीमेंट तथा जगुआर युद्धक विमानों से लैस समुद्री इलाके में युद्ध में निपुण भारतीय वायु सेना की छठवीं स्क्वॉड्रन के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

आर्थिक घटनाक्रम

भारत की आर्थिक संवृद्धि का द्योतक : समग्र विकास दर में 62वाँ स्थान

इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप ऑक्सफैम आवर्स द्वारा दुनिया में बढ़ रहे धन के समान वितरण के संबंध में रिवॉर्ड वर्क, नॉट वेल्थ नामक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, गत वर्ष देश के कुल धन में 73 फीसदी का योगदान भारत के एक फीसद अमीर लोगों का था। जबकि देश की लगभग आधी आबादी (67 करोड़ जनसंख्या) जो कि गरीब है, की आय में मात्र एक फीसदी की ही बढ़ोतरी दर्ज़ की गई है। इतना ही नहीं, देश की सबसे गरीब आबादी (3.7 करोड़) की आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई।

- समावेशी विकास के संबंध में विश्व की सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत को **62**वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। हालाँकि, भारत के लिये चिंता की बात यह है कि इस सूची में चीन **(26)** एवं पाकिस्तान **(47)** को भारत से अच्छी रेटिंग दी गई है।
- यदि इस संदर्भ में पिछले साल के आँकड़ों का अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होता है कि पिछले साल **79** विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत **60**वें स्थान पर था जबकि चीन **15**वें एवं पाकिस्तान **52**वें स्थान पर था।
- वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम के इस वार्षिक सूचकांक के अनुसार, समावेशी अर्थव्यवस्थाओं के मामले में जहाँ नॉर्वे विश्व की सबसे समेकित उन्नत अर्थव्यवस्था है, जबकि लिथुआनिया उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की सूची में सबसे ऊपर है।
- उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में नॉर्वे के बाद शीर्ष पाँच में आयरलैंड **(Ireland),** लक्ज़मबर्ग **(Luxembourg),** स्विट्ज़रलैंड **(Switzerland)** और डेनमार्क **(Denmark)** का स्थान है।
- शीर्ष पाँच उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में लिथुआनिया **(Lithuania),** हंगरी**(Hungary),** अज़रबैजान **(Azerbaijan),** लाटविया **(Latvia)** और पोलैंड **(Poland)** हैं।
- **2018** के सूचकांक में निम्नलिखित **3** अलग-अलग आधार स्तंभों पर विश्व की **103** अर्थव्यवस्थाओं की प्रगति को मापा गया है - संवृद्धि और विकास, समावेशन और अंतर-पीढ़ीगत समानता।
- भारत 'बढ़ती' प्रवृत्ति के साथ विश्व की **10** उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। केवल दो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने ही 'आगे बढ़ने' का रुझान दिखाया है।
- शीर्ष **10** उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में ऑस्ट्रेलियाई **(9)** एकमात्र गैर-यूरोपीय अर्थव्यवस्था है। जी **7** अर्थव्यवस्थाओं में जर्मनी **(12)** सबसे ऊँचे स्थान पर है, इसके बाद कनाडा **(17),** फ्राँस **(18),** ब्रिटेन **(21),** अमेरिका **(23),** जापान **(24)** और इटली **(27)** का नंबर आता है।
- इस सूचकांक में ब्रिक्स देशों का प्रदर्शन मिश्रित रहा है, जिसमें रूस **(19),** चीन **(26),** ब्राज़ील **(37),** भारत **(62)** और दक्षिण अफ्रीका **(69)** स्थान पर है।
- सूचकांक बनाने वाले तीन स्तंभों में से समावेशन के संदर्भ में भारत को **72**वाँ स्थान प्राप्त हुआ है, विकास दर के संबंध में **66**वाँ स्थान प्राप्त हुआ है तथा अंतर-पीढ़ीगत समानता के संदर्भ में **44**वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
- इस सूची में भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका **(40),** बांग्लादेश **(34)** और नेपाल **(22)** भी शामिल हैं। भारत से बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों में माली, युगांडा, रवाँडा, बुरुंडी, घाना, यूक्रेन, सर्बिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ईरान, मैसेडोनिया, मैक्सिको, थाईलैंड और मलेशिया को शामिल किया गया है।

साइबर सुरक्षित भारत

भारत में साइबर सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता महसूस करते हुए तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'डिजिटल इंडिया' के विज़न के अनुरूप, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविज़न (एनईजीडी) एवं उद्योग जगत के सहयोग से साइबर सुरक्षित भारत पहल की घोषणा की गई।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

विशेषताएँ

- इस मिशन का परिचालन जागरूकता, शिक्षा एवं सक्षमता के तीन सिद्धांतों पर किया जाएगा।
- साइबर सुरक्षित भारत अपनी तरह की पहली सार्वजनिक-निजी साझेदारी है और यह साइबर सुरक्षा में आईटी उद्योग की विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा।

संस्थापक सदस्य

- इस सहायता संघ के संस्थापक साझेदारों में आईटी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियाँ माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, विप्रो, रेडहैट एवं डाइमेंशन डाटा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, नॉलेज साझेदारों में सर्ट-इन, एनआईसी, नेसकॉम एवं एफआईडीओ अलायंस तथा कंसल्टेंसी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियाँ डेलॉयट एवं ईवाई शामिल हैं।

बुडापेस्ट कन्वेंशन क्या है?

Budapest Convention on cyber crime

- बुडापेस्ट कन्वेंशन, साइबर क्राइम पर एक कन्वेंशन है, जिसे साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन या बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है।
- यह अपनी तरह की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय कानूनों को सुव्यवस्थित करके, जाँच-पड़ताल की तकनीकों में सुधार करके तथा इस संबंध में विश्व के अन्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने हेतु इंटरनेट और कंप्यूटर अपराधों पर रोक लगाने संबंधी मांग की गई है।
- इस कन्वेंशन में **56** सदस्य हैं, जिनमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी शामिल हैं।

सीसीटीएनएस क्या है?

Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS)

- जून **2009** में शुरू किया गया सीसीटीएनएस एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य पुलिस स्टेशनों के स्तर पर पुलिस की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली तैयार करना है।
- सीसीटीएनएस (**CCTNS-Crime and Criminal Tracking Network & Systems**) सभी स्तरों पर, विशेष रूप से पुलिस स्टेशन स्तर पर दक्षता और प्रभावी पुलिस कार्रवाई करने के लिये ई-शासन के सिद्धांतों को अपनाते हुए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली पर आधारित व्यवस्था है।
- सीसीटीएनएस सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (**National e-Governance Plan of Govt**) के अंतर्गत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट (**Mission Mode Project -MMP**) है।

भारत नेट क्या है ?

- देश भर की **2.5** लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिये केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम 'भारत-नेट प्रोजेक्ट' की शुरुआत की गई थी।
- पहले इस प्रोजेक्ट की तय-सीमा वर्ष **2017** ही थी। इसके तहत ज़िला स्तर पर भी सरकारी संस्थानों के लिये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस परियोजना को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (**Universal Service Obligation Fund - USOF**) द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।
- इस परियोजना का उद्देश्य राज्यों तथा निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी से ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में नागरिकों एवं संस्थानों को सुलभ ब्रॉडबैंड सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
- इस परियोजना का क्रियान्वयन राज्य और राज्यों की एजेंसियों और प्राइवेट सेक्टर द्वारा किया जा रहा है।
- कनेक्टिविटी के लिये 'ऑप्टिकल मिक्स मीडिया' का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले केवल भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल इस्तेमाल का फैसला किया गया था। ब्लॉक से ग्राम पंचायतों तक नए फाइबर केबल बिछाए जा रहे हैं।
- भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिये **48** या इससे अधिक 'कोर फाइबर' और हवाई ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिये **24** या उससे अधिक 'कोर फाइबर' का इस्तेमाल किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क

- इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष **2014** में हुई थी। इस फ्लैगशिप कार्यक्रम को **20000** करोड़ रुपए की लागत से देश की दो लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा वित्त-पोषित किया गया।
- ओएफसी नेटवर्क (**Optical Fiber Communication Network**) का नाम बदलकर भारत नेट (**Bharat Net**) कर दिया गया है।
- भारत सरकार ने **25** अक्तूबर, **2011** को इस परियोजना को अपनी सहमति प्रदान की।
- इस कार्यक्रम में मौजूद ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग द्वारा इन्टरनेट तक पहुँच उपलब्ध कराई जाती है तथा इसे ग्राम पंचायतों तक प्रसारित किया जाता है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर ई-सर्विस तथा ई-एप्लिकेशन मुहैया कराने में भारत सरकार को सक्षम बनाना है।
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये कंपनी अधिनियम, **1956** के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का सृजन किया गया।

क्या है 'द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016'?

- यह नया कानून **1909** के 'प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्ववेन्सी एक्ट' और 'प्रोवेंशियल इन्सॉल्ववेन्सी एक्ट **1920** को रद्द करता है और कंपनी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और 'सेक्यूटाईजेशन एक्ट' समेत कई कानूनों में संशोधन करता है।
- दरअसल, कंपनी या साझेदारी फर्म व्यवसाय में नुकसान के चलते कभी भी दिवालिया हो सकते हैं।
- यदि कोई आर्थिक इकाई दिवालिया होती है, तो इसका मतलब यह है कि वह अपने संसाधनों के आधार पर अपने ऋणों को चुका पाने में असमर्थ है।
- ऐसी स्थिति में कानून में स्पष्टता न होने पर ऋणदाताओं को भी नुकसान होता है और स्वयं उस व्यक्ति या फर्म को भी तरह-तरह की मानसिक एवं अन्य प्रताड़नाओं से गुज़रना पड़ता है।

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017

केंद्र सरकार द्वारा 3 जनवरी, 2018 को कंपनी (संशोधन) अधिनियम-2017 (संशोधित अधिनियम) को अधिसूचित किया गया है। इस संशोधित अधिनियम के कुछ प्रावधानों से ऋणशोधन एवं दिवालिया संहिता (the Insolvency and Bankruptcy Code), 2016 की कार्यप्रणाली पर भी प्रभाव पड़ेगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **53** के अंतर्गत, डिस्काउंट पर शेयर जारी करने को निषिद्ध किया गया है।
- संशोधित अधिनियम के अंतर्गत, यदि डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम अथवा कोड (**debt restructuring scheme or Code**) के तहत किसी संवैधानिक प्रस्ताव के अंतर्गत ऋणदाता के ऋण को शेयर में परिवर्तित किया जाता है, तो ही कंपनियों द्वारा किसी ऋणदाता को डिस्काउंट पर शेयर जारी किये जा सकते हैं।
- कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **197** के अंतर्गत, कंपनी को सकल लाभ के **11** प्रतिशत से अधिक प्रबंधकीय पारिश्रमिक (**managerial remuneration**) प्रदान करने के संदर्भ में एक जनरल मीटिंग में इसकी अनुमति लेनी होगी।
- संशोधित अधिनियम के अनुसार, कंपनी को किसी बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्रधारक (**non-convertible debenture holders**) या अन्य सुरक्षित ऋणदाताओं (**secured creditor**) द्वारा भुगतान में चूक होने पर इस प्रकार का प्रबंधकीय वेतन प्रदान करने से पहले इनकी मंजूरी लेना आवश्यक होगा।
- साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार की मंजूरी को जनरल मीटिंग से पहले लेना होगा।
- कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **247** के अंतर्गत, पंजीकृत मूल्यकर्त्ता (**registered valuer**) को किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुचि वाली संपत्ति या संपत्ति के आकलन के दौरान या आकलन के बाद रुचि वाली संपत्ति के आकलन पर रोक लगाई गई है।
- संशोधित अधिनियम में अब पंजीकृत मूल्यकर्त्ता को उसकी नियुक्ति से तीन वर्ष पहले या उसके द्वारा संपत्ति का मूल्यांकन करने के तीन वर्ष के बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूचि वाली संपत्ति के आकलन पर भी रोक लगाई गई है।

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटस (संशोधन) बिल-2017

- नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम, **1881** के ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न बिल- **2017** में इस तरह संशोधन करने का प्रस्ताव है कि चेक बाउंस के मामलों में अनुचित विलंब न हो और भुगतानकर्त्ताओं को अंतरिम राहत मिल सके।
- चेक बाउंस की अनावश्यक मुकदमेबाज़ी को हतोत्साहित करने से समय और धन की बचत होगी।
- प्रस्तावित संशोधन से उम्मीद है कि यह बैंकों सहित ऋण संस्थानों, अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को वित्तपोषण जारी रखने के लिये सामान्य तौर पर चेक और साझेदारी, व्यापार और वाणिज्य की विश्वसनीयता को मज़बूत करेगा।
- इस संशोधन के अनुसार, अंतरिम राहत चेक की कुल राशि के **20%** से अधिक नहीं होगी।
- इस अधिनियम की नई धारा **143-A** के अंतर्गत अदालत चेक देने वाले पक्ष से, भुगतान प्राप्तकर्त्ता को चेक में दर्ज़ कुल राशि का **20%** अंतरिम मुआवज़ा तत्काल देने के लिये कह सकती है।
- इस अधिनियम के संशोधनों के पारित हो जाने से चेक द्वारा भुगतान-प्रक्रिया के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बनी रहेगी।

इलेक्ट्रिक वाहन: 2030 के लक्ष्य हेतु बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने की ज़रूरत

- भारत सरकार द्वारा वर्ष **2030** तक वाहनों के इलेक्ट्रिक बेड़े को हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसका उद्देश्य आंतरिक दहन इंजन के संबंध में चलाए जा रहे वैश्विक प्रयासों को बल प्रदान करना है।

फेम-इंडिया योजना

- इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को फेम-इंडिया (**Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles-FAME-India**) योजना के तहत, मिलने वाला प्रोत्साहन और छह महीने या नीति आयोग द्वारा योजना का दूसरा चरण शुरू किये जाने तक मिलता रहेगा क्योंकि इसकी अवधि **31** मार्च तक बढ़ा दी गई है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- **1** अप्रैल**, 2015** से लागू इस योजना के तहत, वर्ष **2022** तक देशभर में **60-70** लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल वाहन सड़कों पर उतारने का लक्ष्य है।
- इससे लगभग **950** करोड़ लीटर पेट्रोल एवं डीजल की खपत में कमी आएगी**,** जिससे इस पर खर्च होने वाले **62** हज़ार करोड़ रुपए की भी बचत होगी।
- इस योजना के अंतर्गत, चार क्षेत्रों पर सबसे अधिक फोकस किया गया है- प्रौद्योगिकी विकास, पायलट प्रोजेक्टस, चार्जिंग बुनियादी ढाँचे तथा मांग निर्माण।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

ए.ए.डी. सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण

भारत द्वारा ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड (पूर्व में व्हीलर आइलैंड) से स्वदेशी एडवांस्ड एयर डिफेंस (AAD) सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (Ballistic Misslie Defence-BMD) प्रणाली के एक भाग के रूप में विकसित किया जा रहा है।

भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (BMD) कार्यक्रम

- इस पहल का उद्देश्य एक बहु-स्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली को विकसित और तैनात करना है।
- बीएमडी सिस्टम में दो इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं।
- पृथ्वी डिफेंस व्हीकल (पीडीवी) - यह वायुमंडल के बाहर (**Exo-Atmospheric)** अथवा पृथ्वी से **50-150** किलोमीटर की ऊँचाई के लिये इंटरसेप्टर मिसाइल है।
- यह मौजूदा पृथ्वी वायु रक्षा (**Pruthvi Air Defence-PAD)** प्रणाली (प्रद्युम्न) का स्थान लेगी, जिसकी अधिकतम सीमा **80** किलोमीटर है।
- एडवांस्ड एरिया डिफेंस - यह वायुमंडल के भीतर (**Endo- Atmospheric)** अथवा पृथ्वी से **20-40** किलोमीटर की ऊँचाई के लिये इंटरसेप्टर मिसाइल है। इसे 'अश्विन' नाम दिया गया है।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अनुसार, इस प्रणाली को **2022** तक पूर्ण रूप से तैनात कर दिया जाएगा।
- बीएमडी प्रणाली के पहले चरण की **2,000** किलोमीटर की परास को दूसरे चरण में **5000** किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा।
- भारत के अलावा, ऐसी रक्षा प्रणाली अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल के पास भी है।

इंटरसेप्टर मिसाइल क्या है?

- इंटरसेप्टर मिसाइल एक एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे दुश्मन देश की इंटरमीडिएट रेंज तथा अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (**Intercontinental Ballistic Missiles-ICBM)** जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का सामना करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

बैलिस्टिक मिसाइल क्या है?

- बैलिस्टिक मिसाइल हवा में एक अर्द्धचंद्राकार पथ (**Ballistic Trajectory)** का अनुसरण करती है और रॉकेट के साथ इनका संपर्क खत्म होने पर इनमें लगा हुआ बम गुरुत्व के प्रभाव से ज़मीन पर गिरता है। इसलिये एक बार प्रक्षेपित करने के बाद इनके लक्ष्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता है।
- बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग परमाणु, रासायनिक, जैविक या पारंपरिक हथियारों की बैलिस्टिक पथ पर डिलीवरी के लिये किया जाता है।

बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल से अलग कैसे है?

- बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़े जाने के बाद हवा में एक अर्द्धचंद्राकर पथ का अनुसरण करती हैं और रॉकेट से उनका संपर्क खत्म होने के बाद उनमें लगा हुआ बम गुरुत्व के प्रभाव से लक्ष्य पर गिरता है, जबकि क्रूज़ मिसाइलें पृथ्वी की सतह के समानांतर चलती हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- बैलिस्टिक मिसाइलों का आकार क्रूज़ मिसाइलों से काफी अधिक होता है। एक बार प्रक्षेपित होने के बाद इन्हें आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है।
- बैलिस्टिक मिसाइलें अपना ईंधन और प्रयुक्त होने वाली ऑक्सीजन साथ लेकर चलती हैं, जबकि क्रूज़ मिसाइलें अपना ईंधन तो साथ लेकर चलती हैं, किंतु ऑक्सीजन को वायुमंडल से ग्रहण करती हैं।
- भारत द्वारा रूस के सहयोग से निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज़ मिसाइल का उदाहरण है, जबकि भारत की पृथ्वी-**I** और **II**, अग्नि-**I** और **II** तथा धनुष मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल का उदाहरण है।

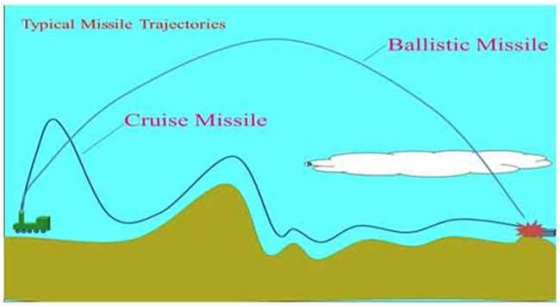

अग्नि – 5 : भारत का बढ़ता प्रभाव

- इस परीक्षण के साथ ही भारत आईसीबीएम (**intercontinental ballistic missile**) समूह में शामिल होने वाला दुनिया का छठा देश बन गया है। अभी तक इस समूह में अमेरिका, रूस, फ्राँस, ब्रिटेन व चीन शामिल थे।

विशेषताएँ

- तीन चरणीय मिसाइल।
- ठोस ईंधन पर आधारित।
- देश की सबसे अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइल **5000** किमी।
- लंबाई **17.5** मीटर, चौडाई- **2** मीटर, वज़न **50** टन।
- गतिः ध्वनि की गति से **24** गुना तेज़।
- अग्नि मिसाइल से एक बार में कई परमाणु अस्त्रों को दागा जा सकता है। यह डेढ़ टन वज़न ढ़ोने में सक्षम है।
- यह मिसाइल एमआईआरवी (**multiple independently targetable reentry vehicle-MIRV**) तकनीक से लैस है अर्थात् यह एक ही बार में कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है।

चार नए तप्त बृहस्पति एक्ज़ोप्लेनेट की खोज

- हंगरी द्वारा निर्मित स्वचालित टेलीस्कोप हैट-साऊथ (**Hungarian-made Automated Telescope Network-South - HATSouth**) एक्ज़ोप्लेनेट' सर्वे की दूरबीन का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों की एक टीम ने चार जी-प्रकार के बौने सितारों **HATS-50, HATS-51, HATS-52** और **HATS-53** का निरीक्षण करने के दौरान इन ग्रहों की खोज की।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- एक्ज़ोप्लेनेट' वर्ग से संबद्ध इन चारों ग्रहों को 'तप्त बृहस्पति' के रूप में जाना जाता है।
- इन ग्रहों को यह नाम देने का मुख्य कारण यह है कि न केवल इन चारों की प्रकृति एवं विशेषताएँ बृहस्पति के समान हैं, बल्कि बृहस्पति के ही समान इनकी कक्षीय अवधि भी **10** दिनों से कम की है।
- अपने मूल सितारों की कक्षा में बहुत करीब से परिक्रमा करने के कारण इनका सतही तापमान काफी उच्च होता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

हैट्स-50 बी

- इन सभी ग्रहों में हाल ही में खोजा गया हैट्स-**50** बी ग्रह सबसे छोटे आकार का एक्ज़ोप्लेनेट' है।
- इसकी त्रिज्या बृहस्पति की त्रिज्या का **1.13 (Jupiter radii)** तथा इसका द्रव्यमान बृहस्पति के **0.39** त्रिज्या (**0.39 Jupiter radii)** के समान है।
- यह प्रणाली पृथ्वी से लगभग **2,300** प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है।

हैट्स-51 बी

- लगभग **1.41** बृहस्पति त्रिज्या वाला हैट्स-**51** बी एक्ज़ोप्लेनेट' इन चारों ग्रहों में सबसे बड़ा एक्ज़ोप्लेनेट' है।
- इसकी परिक्रमा अवधि मात्र **3.35** दिनों की कक्षा है।
- यह पृथ्वी से तकरीबन **1,560** प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

पर्यावरणीय घटनाक्रम

बाँस (BAMBOO)

- बाँस, पोएसी (**Poaceae**) कुल की एक अत्यंत उपयोगी घास है। यह एक सपुष्पक, आवृतबीजी और एकबीजपत्री पादप है। गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा, ईख, खसखस आदि इस परिवार के अन्य महत्त्वपूर्ण सदस्य हैं।
- यह पृथ्वी पर सबसे तेज़ बढ़ने वाला काष्ठीय पौधा है। बाँस कटाई के बाद स्वत: पैदा हो जाता है और यह अन्य पेड़ों की तुलना में वातावरण से **25%** ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है।
- बाँस की अनेक किस्में होती हैं। वैज्ञानिक इसकी लगभग **600** किस्मों का अध्ययन कर चुके हैं। सभी किस्म के बाँसों के तने चिकने और जोड़दार होते हैं। इससे ये तने सख्त और मज़बूत हो जाते हैं।
- बाँस सबसे अधिक दक्षिण-पूर्व एशिया, भारतीय उप-महाद्वीप और प्रशांत महासागर के द्वीपों पर पाए जाते हैं।

राष्ट्रीय बाँस मिशन (National Bamboo Mission)

- भारत में वन क्षेत्र का **13%** हिस्सा बाँस के अंतर्गत है। देश में **137** प्रकार के बाँस उगाए जाते हैं और इनका उपयोग **1500** कार्यों में होता है।
- बाँस की इन आर्थिक क्षमताओं का दोहन करने के उद्देश्य से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा **2006** में राष्ट्रीय बाँस मिशन शुरू किया गया।
- इसे भारत सरकार द्वारा **100%** केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई बागवानी के समन्वित विकास के लिये मिशन (**Mission for Integrated Development of Horticulture -MIDH**) की उप-योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। मिशन को देश के **28** राज्यों में राज्य बाँस मिशन के सहयोग से लागू किया जा रहा है।
- जुलाई **2017** में राष्ट्रीय बाँस मिशन का नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि-वानिकी और बाँस मिशन (**National Agro-Forestry & Bamboo Mission -NABM**) कर दिया गया है।

उत्तरी कोयल जलाशय

- यह परियोजना सोन नदी की सहायक उत्तरी कोयल नदी (यह राँची पठार से निकलती है) पर स्थित है जो झारखंड के उत्तर-पश्चिम में स्थित हैदरनगर में सोन नदी से मिलती है तथा अंत में गंगा नदी में समाहित हो जाती है।
- उत्तरी कोयल जलाशय झारखंड राज्य में पलामू और गढ़वा ज़िलों के अत्यंत पिछड़े जनजातीय इलाके में स्थित है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- उत्तरी कोयल नदी अपनी सहायक नदियों के साथ बेतला राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिमी भाग से होकर बहती है।
- इसकी सहायक नदियाँ औरंगा (**Auranga**) एवं अमानत (**Amanat**) हैं।
- इस परियोजना के क्रियान्वयन संबंधी कार्य की निगरानी नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता वाली भारत सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जाएगी।

कचरा मुक्त मूल्य के लिये स्मार्ट स्टार-रेटिंग

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs- MoHUA) द्वारा गोवा में 'कचरा मुक्त शहरों की स्टार-रेटिंग के लिये प्रोटोकॉल' (Protocol for Star-Rating of Garbage-Free Cities) लॉन्च किया गया।

- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) द्वारा विकसित स्टार-रेटिंग पहल के अंतर्गत **7**-सितारा रेटिंग सिस्टम के आधार पर शहरों की रेटिंग की जाएगी।

स्टार-रेटिंग प्रोटोकॉल का लक्ष्य

- सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना, ताकि किसी भी सार्वजनिक, वाणिज्यिक या आवासीय स्थानों पर (कूड़े के डिब्बे या स्थानांतरण स्टेशनों को छोड़कर) किसी प्रकार का कूड़ा-कचरा न मिलने पाए।
- **100%** कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन सुनिश्चित करना।
- सभी प्रकार के कचरे को उपचारित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी शहर वैज्ञानिक रूप से ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट और निर्माण गतिविधियों संबंधी कचरे का प्रबंधन कर सकें।

रेटिंग

- शहरों का प्रत्येक रेटिंग के लिये निर्दिष्ट प्रोटोकॉल शर्तों के अनुपालन के आधार पर **1, 2, 3, 4, 5** और **7**-स्टार के रूप में मूल्यांकन किया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, किसी शहर को **3**-स्टार या इससे अधिक की रेटिंग के लिये खुले में शौच से मुक्त (**Open Defecation Free-ODF**) होना चाहिये।
- शहर को अपनी स्टार-रेटिंग बनाए रखने के लिये प्रति वर्ष खुद को पुनःप्रमाणित करवाना होगा।

अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन

केंद्रीय जल आयोग द्वारा, केरल जल संसाधन विभाग (Kerala Water Resources Department -**KWRD**), केरल राज्य बिजली बोर्ड, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट एवं अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, त्रिवेन्द्रम के सहयोग से 23 से 24 जनवरी के बीच तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन (International Dam Safety Conference), 2018 का आयोजन किया गया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख बिंदु

- बांध सुरक्षा सम्मेलनों का आयोजन सात राज्यों झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु एवं उत्तराखंड में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही बांध सुरक्षा पुनर्वास एवं उन्नयन परियोजना **(Dam Safety Rehabilitation and Improvement Project -DRIP)** के तहत वार्षिक समारोह के रूप में किया जाता है।

लक्ष्य

- **2100** करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष **2012** में आरंभ होने वाली विश्व बैंक समर्थित इस परियोजना का लक्ष्य देश में ऐसे पुराने बांधों का पुनर्वास करना है जो खस्ताहाल हैं।
- इसके तहत ऐसे बांधों की संरचनागत सुरक्षा एवं परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के संबंध में विचार-विमर्श किया जाता है।
- इस परियोजना का लक्ष्य इस क्षेत्र में संस्थागत क्षमता एवं परियोजना प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना है।

"धर्मा" क्या है?

- यह एक सॉफ्टवेयर कार्यक्रम **"बांध स्वास्थ्य एवं पुनर्वास निगरानी अनुप्रयोग" (Dam Health and Rehabilitation Monitoring Application-DHARMA)** है, इसे उक्त सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया।
- यह डीएचएआरएमए बांध से संबंधित सभी डाटा को व्यवस्थित रूप में डिजिटलाइज़ करने हेतु आरंभ किया गया एक वेब टूल है।
- यह देश में बड़े बांधों से संबंधित प्रामाणिक परिसंपत्ति तथा स्वास्थ्य सूचना के प्रलेखन में मदद करेगा और आवश्यकता आधारित पुनर्वास सुनिश्चित करने में भी सक्षम बनाएगा।

बांध सुरक्षा पुनर्वास एवं उन्नयन परियोजना

- विश्व बैंक की सहायता से भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय **(Ministry of Water Resources)** द्वारा डीआरआईपी **(DAM REHABILITATION AND IMPROVEMENT PROJECT-DRIP)** का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह एक छह वर्षीय परियोजना है।

प्रमुख विशेषताएँ

- इस परियोजना के अंतर्गत नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देते हुए केंद्रीय और राज्य स्तरों पर बांध सुरक्षा मूल्यांकन और कार्यान्वयन के लिये संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करने पर अधिक बल दिया गया है।
- केंद्रीय जल आयोग **(Central Water Commission)** के केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन **(Central Dam Safety Organization)** द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में समन्वय और पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है।

जैविक खाद्य उत्पादों की लेबलिंग अब अनिवार्य

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, जुलाई 2018 से समुचित लेबलिंग के बिना जैविक खाद्य उत्पादों को बेचना गैर-कानूनी होगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- प्रमाणन के लिये निम्नलिखित दो प्राधिकरणों को नामित किया गया है-
  1. जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme for Organic Production-NPOP)।
  2. भारत के लिये सहभागिता गारंटी प्रणाली (Participatory Guarantee System for India- PGS-I)।
- इसके अतिरिक्त अपने उत्पाद को 'कार्बनिक उत्पाद' दर्शाने वाली कंपनियाँ स्वैच्छिक रूप से **FSSAI** से **'जैविक भारत' (JAIVIK BHARAT)** का लोगो भी प्राप्त कर सकती हैं, जिसे हाल ही में **FSSAI** द्वारा जारी किया गया है।

क्या है जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPOP)?

- भारत वर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर जैविक खेती के केन्द्रित व सुव्यवस्थित विकास हेतु भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सन **2001** में अपने उपक्रम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिये **NPOP** की शुरुआत की गई।
- इस प्रमाणीकरण व्यवस्था के तहत **NPOP** द्वारा सफल प्रसंस्करण इकाइयों, भंडारों और खेतों को 'इंडिया ऑर्गेनिक' का लोगो प्रदान कराया जाता है।
- एपीडा द्वारा जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण विश्व के सभी देशों में मान्य है।

क्या है PGS-I?

- "भारत की सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली" (पीजीएस-इंडिया) एक विकेंद्रीकृत जैविक कृषि प्रमाणन प्रणाली है।
- इसे घरेलू जैविक बाज़ार के विकास को बढ़ावा देने तथा जैविक प्रमाणीकरण की आसान पहुँच के लिये छोटे एवं सीमांत किसानों को समर्थ बनाने के लिये प्रारंभ किया गया है।
- इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
- यह प्रमाणीकरण प्रणाली उत्पादकों/किसानों, व्यापारियों सहित हितधारकों की सक्रिय भागीदारिता के साथ स्थानीय रूप से संबद्ध है।
- इस समूह प्रमाणीकरण प्रणाली को परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) का समर्थन प्राप्त है। एक प्रकार से यह जैविक उत्पाद की स्वदेशी मांग को सहायता पहुँचाती है और किसान को दस्तावेज़ प्रबंधन और प्रमाणीकरण प्रक्रिया से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं से संबंधित प्रशिक्षण देती है।

क्या है एपीडा?

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (**Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority-APEDA)** की स्थापना दिसंबर **1985** में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई।
- यह प्राधिकरण, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- देश के कृषि उपज के निर्यात के लिये बुनियादी संरचना उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इसके प्रमुख कार्यों में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, किसानों को बेहतर फसल और उनके उचित मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये मार्गदर्शन देना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, कृषि उपज का सर्वेक्षण तथा संभावना का अध्ययन करना तथा अनुसूचित उत्पादों के निर्यात से संबद्ध उद्योगों का विकास करना भी शामिल हैं।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India- FSSAI)

- केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, **2006** के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का गठन किया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- **FSSAI** के कार्यान्वयन के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय है।
- **FSSAI** मानव उपभोग के लिये पौष्टिक भोजन के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित उपलब्धता को सुनिश्चित करने का काम करता है।
- इसके अलावा यह देश के सभी राज्यों, ज़िलों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के तय मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है।
- यह समय-समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच भी करता है।

असम का मजुली द्वीप

- मजुली शब्द **'MAJULI'** से लिया गया है, जिसका अर्थ है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र।
- मजुली द्वीप वैष्णवित संस्कृति का मुख्य केंद्र है, जिसका विकास **15**वीं शताब्दी में महान संयासी श्रीमंत शंकरदेव द्वारा प्रतिपादित अद्वितीय वैष्णव सत्र प्रणाली के दौरान हुआ था।
- इस समय मजुली में **22** सत्र हैं। मजुली में इसकी विशिष्टता के कारण प्रतिवर्ष भारी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं।

प्रमुख बिंदु

- औसत समुद्र तल से द्वीप की औसत ऊँचाई **87** मीटर है, जबकि उच्च बाढ़ स्तर **88.32** मीटर है।
- **2011** की जनगणना के अनुसार, **1.68** लाख की आबादी वाले मुख्य द्वीप का वर्तमान क्षेत्र **524** वर्ग किमी है।
- मजुली द्वीप दक्षिण में विशाल ब्रह्मपुत्र नदी तथा उत्तर में खेरकाटिया सूटी (**Kherkatia Suti**), लुइत सूटी (**Luit Suti**) और सुबनश्री नदियों (**Subansiri Rivers**) से घिरा हुआ है। सम्भवतः यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष इस द्वीप पर बाढ़ आने तथा क्षरण होने का खतरा बना रहता है।

क्या है तलानोआ संवाद (Talanoa Dialouge)?

- संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (**United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC**) की पार्टीज़ के **23**वें सम्मेलन (**COP-23**) में इस शब्द का प्रयोग किया गया था।
- तलानोआ फिज़ी और प्रशांत महासागरीय द्वीपों में होने वाली एक प्रकार की कबीलाई पंचायत है। यह गंभीर समस्याओं को समावेशी, सहभागी एवं पारदर्शी वार्ता के माध्यम से सुलझाने का एक तरीका है। इसमें बातचीत करने का तरीका भी एक कहानी सुनाने के समान होता है। इसमें लोग एक-दूसरे का विरोध नहीं करते, बल्कि शांति से दूसरे पक्ष को सुनते हैं।
- जर्मनी के शहर बॉन में आयोजित हुई **COP-23** की अध्यक्षता फिज़ी सरकार द्वारा की गई थी जिसके द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ताओं में तलानोआ को अपनाने की बात कही गई थी। **3-14** दिसंबर, **2018** को पोलैंड में आयोजित होने वाली **COP-24** में भी इस संवाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
- तलानोआ संवाद में इस बात पर विचार किया जाएगा कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के समझौते में हम अभी कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है और हम लक्ष्य तक कैसे पहुँचेंगे?

कॉलिफोर्म बैक्टीरिया

कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया **रॉड की आकृति, ग्राम-नेगेटिव गैर-बीजाणु वाले गतिशील या अगतिशील जीवाणु** होते है जो 35–37°C के तापमान पर एसिड और गैस के उत्पादन के साथ लैक्टोज का किण्वन कर सकते हैं। आम तौर पर वे खाद्य पदार्थों और पानी की **गुणवत्ता हेतु सूचक** की तरह इस्तेमाल

Copyright– Drishti The Vision Foundation

किये जाते हैं। कॉलीफॉर्म जलीय वातावरण में, मिट्टी में और वनस्पतियों पर पाए जा सकते हैं। वे सार्वभौमिक रूप से, गर्म रक्त वाले पशुओं के मल में बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं।

जल से सीसा (Lead) अवशोषित करने में सक्षम मॉस की पहचान

जापान के वैज्ञानिकों ने काई (Moss) की एक ऐसी प्रजाति की पहचान की है जो बड़ी मात्रा में सीसे (Lead) का अवशोषण करने में सक्षम है। इसका प्रयोग प्रदूषित जल और मृदा के शुद्धिकरण के लिये एक हरित विकल्प के रूप में किया जा सकता है।

काई (Moss)

- काई ब्रायोफाइटा (**Bryophyta)** प्रकार की वनस्पति है।
- ब्रायोफाइटा वनस्पति गैर-संवहनी (**Non-Vascular)** पौधों का एक समूह है। इनमें ज़ाइलम और फ्लोएम नाम के संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं, जिनका मुख्य कार्य जड़ों और पत्तियों के बीच जल का परिवहन करना है।
- इनमें राईजोइड्स (**Rhizoids)** होते हैं जो इनकी जलग्रहण में सहायता करते हैं। इस कारण इनमें जल अवशोषण करने की उच्च क्षमता होती है।
- काई प्राय: ऐसे क्षेत्रों में भी विकसित हो सकती है जहाँ अन्य पौधे विकसित नहीं हो सकते, जैसे कि चट्टान, खराब गुणवत्ता वाली मृदा और यहाँ तक कि मृदा की अनुपस्थिति में भी।
- इस कारण यह किसी नवीन क्षेत्र में प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान सबसे पहले विकसित होती है और मृदा निर्माणकारी प्रक्रम में भी सहायक होती है।

फाइटोरेमेडिएशन

- फाइटोरेमेडिएशन हरे पौधों के प्रत्यक्ष उपयोग द्वारा मृदा, गाद या तलछट, सतही और भूजल इत्यादि से प्रदूषकों के उपचार अथवा रोकथाम की एक स्वच्छ तकनीक है।
- यह स्व-स्थाने (**In-Situ)** रूप से प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक है, अर्थात् पानी को साफ करने के लिये पानी में मौजूद पौधों का ही उपयोग किया जाता है।

बेल्लांदूर झील

- भारत की 'सिलिकन वैली' कही जाने वाले **बंगलुरू के दक्षिण-पूर्व में स्थित यह झील 906** एकड़ में फैली शहर की सबसे बड़ी झील है।
- अस्सी के दशक तक बेल्लांदूर झील एक आकर्षक और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जानी जाती थी, जो पक्षियों, मछलियों और कीड़ों की विभिन्न प्रजातियों को आश्रय उपलब्ध कराती थी और एक पिकनिक, नौकायन तथा मत्स्यन स्थल के रूप में प्रसिद्ध थी।
- लगभग **279** वर्ग किलोमीटर के जलग्रहण क्षेत्र (**Catchment Area)** वाली यह झील आज गंभीर रूप से प्रदूषित है। बेल्लांदूर झील अब इसकी सतह पर जमा होने वाले झाग की वृहद संहति के लिये कुख्यात है जो इसके किनारों के सहारे प्राय: समीपस्थ सड़कों पर फैल जाता है।

पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक (Environmental Performance Index- EPI)

- हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक **2018** में भारत को **180** देशों की सूची में **177**वाँ स्थान दिया गया है। जबकि वर्ष **2016** के पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक में भारत **141**वें स्थान पर था। यह एक द्विवार्षिक (**biennial)** रिपोर्ट है। **24** प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित **EPI** को विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है।
- इस सूची में समकक्ष उभरती अर्थव्यवस्थाओं, ब्राज़ील और चीन को क्रमशः **69**वें और **120**वें स्थान पर रखा गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

सिमलीपाल में आवास से वंचित हुआ मनकीडिया समुदाय

ओडिशा की 13 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Groups-PVTG) में से एक मनकीडिया (Mankidia) समुदाय को ऐतिहासिक अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम [Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act], 2006 के तहत, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व (Similipal Tiger Reserve - STR) के अंदर रहने के अधिकार से इनकार कर दिया गया है।

- राज्य वन विभाग (**State Forest Department)** द्वारा इस आधार पर इनके निवास के संबंध में आपत्ति जताई गई है कि आदिवासियों पर जंगली जानवरों**,** विशेषकर बाघों द्वारा हमला किया जा सकता है। अत: बेहतर होगा कि ये जनजातियाँ अभयारण्य से बाहर जाकर बसे।

मनकीडिया समुदाय

- मनकीडिया**,** हाशिये समूह पर स्थित एक ऐसा समुदाय है**,** जो गंभीर रूप से केवल सिमलीपाल में मौजूद सियाली फाइबर से रस्सी बनाने के कार्य पर निर्भर करता है। इस निर्णय के पश्चात् इन संसाधनों से वंचित रह जाएगा।
- ओडिशा राज्य के घोषित समस्त पी.वी.टी.जी. की सूची निम्नलिखित हैं-चुकुटिया भुंजिया, बिरहोर, बोंडो, दिदायी, डोंगरिया कोंध, जुआंग, खरिया, कुटिया कोंध, लांजिया सौरा, लोढ़ा, मनकीडिया, पौड़ी भुइया तथा सुरा।

सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान

- सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के मयूरभंज नामक अनुसूचित ज़िले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान तथा एक हाथी अभयारण्य है।
- इस उद्यान का नाम यहाँ बहुतायत में पाए जाने वाले सेमल या लाल कपास के पेड़ों की वजह से रखा गया है।
- यह उद्यान **845.70** वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
- इस उद्यान में **99** बाघ और **432** हाथियों के अलावा गौर तथा चौसिंगे भी वास करते हैं।
- आधिकारिक रूप से टाइगर रिजर्व के लिये इसका चयन वर्ष **1956** में किया गया था।
- घने जंगलों**,** झरनों और पहाड़ियों से समृद्ध इस उद्यान में विविध वन्यजीवों को नज़दीक से देखा जा सकता है। बाघ**,** हिरन**,** हाथी और अन्य बहुत से जीव इस उद्यान में मूलत: पाए जाते हैं।

नयाचर द्वीप की पारिस्थितिकी पर भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की रिपोर्ट

नयाचर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी में एक नव-निर्मित द्वीप है। जीवित जीवों द्वारा इस द्वीप को कैसे अधिवासित किया गया, यह जानने के लिये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा इस द्वीप का कई दशकों तक सर्वेक्षण करने के बाद एक रिपोर्ट जारी की गई है।

नयाचर द्वीप (NAYACHAR ISLAND)

- बंगाली शब्द 'चर' का अर्थ है कि नदी या समुद्र के जल-स्तर के ऊपर निर्मित बालुकामय परत (**strip of sandy land)** और 'नया' का अर्थ है नई।
- पश्चिम बंगाल के पूरब मेदिनीपुर ज़िले में आने वाले इस भू-भाग का निर्माण सुन्दरबन के भारतीय हिस्से में नदी के गाद निक्षेपों (**silt deposits)** द्वारा हुआ है।
- गंगा और हल्दी नदियों के संगम पर स्थित**, 47** वर्ग किमी. का नयाचर द्वीप जैव विविधता के मामले में दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक सुंदरबन बायोस्फीयर रिज़र्व से लगभग **10** किमी. दूर अवस्थित है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- हुगली नदी के मुहाने पर निर्मित यह द्वीप **1990** तक पूर्णतया बंजर था। कभी-कभार ही जल स्तर से ऊपर उठने वाला यह द्वीप प्राय: जलमग्न ही रहा है।
- नयाचर द्वीप चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और इसका निकटतम द्वीप घोरमारा इससे लगभग **30** किमी. दूर अवस्थित है।

नयाचर द्वीप पर रिपोर्ट

- भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (**Zoological Survey of India-ZSI)** ने अक्तूबर **2017** में **'Studies on the Succession and Faunal Diversity and Ecosystem Dynamics in Nayachar Island Indian Sundarban Delta'** नामक रिपोर्ट ज़ारी की है।
- इस अध्ययन रिपोर्ट को भारत में अपनी तरह की पहली रिपोर्ट माना जा रहा है, जो एक उभरते हुए नए द्वीप में मृदा स्थिरीकरण और आवास में जीवों के अनुक्रमण को समझने पर केंद्रित है। इससे पता चलता है कि कैसे एक उभरता हुआ नवीन भू-भाग धीरे-धीरे विभिन्न जीवों को निवास स्थान प्रदान कर सकता है।
- नयाचर एक मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है और यहाँ पर प्रजातियों का अनुक्रमण अद्वितीय है।

मानसून मिशन

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने **2012** में राष्ट्रीय मानसून मिशन लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य विभिन्न समयावधियों में मानसून वर्षा की पूर्वानुमान प्रणाली को विकसित करना था।
- राष्ट्रीय मानसून मिशन के अंतर्गत मानसून भविष्यवाणी प्रणाली को उच्च क्षमता से जोड़ा गया तथा मौसम पूर्वानुमान के लिये उच्च क्षमता वाले वायुमंडलीय मॉडल की स्थापना की गई।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने तीन वर्षों के लिये **(2017-2020)** मानसून मिशन चरण-**2** कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत सामान्य से कम/अधिक वाले पूर्वानुमानों पर ज़ोर दिया जाएगा तथा अनुप्रयोगों आधारित मानसून पूर्वानुमान विकसित किये जाएंगे।

मानसून मिशन का उद्देश्य

मानसून मिशन का उद्देश्य हर समय और हर स्तर पर देश के विभिन्न स्थानों पर माह से लेकर ऋतुओं तक मानसून, वर्षा और उसके पूर्वानुमान के लिये सर्वाधिक आदर्श और अत्याधुनिक गतिकीय मॉडल ढाँचे का विकास करना है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

विविध

भारतीय रेलवे की "स्फूर्ति" पहल : लाभ एवं प्रभाव

रेल यातायात की प्रवाह और अधिकतम माल ढुलाई संचालन योजना में मदद के लिये प्रमुख डिजिटल पहल करते हुए रेल मंत्रालय द्वारा स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन (Smart Freight Operation Optimisation & Real Time Information -SFOORTI) एप्लिकेशन को लॉन्च किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस एप्लिकेशन को माल ढुलाई प्रबंधकों के लिये लाया गया है।
- इसकी विशेषता यह है कि यह भौगोलिक सूचना प्रणाली (**Geographic Information System - GIS**) व्यूज़ और डैशबोर्ड (**Views and Dashboard**) का इस्तेमाल करते हुए माल ढुलाई व्यवसाय की निगरानी और प्रबंधन करने में बेहद सहायक है।
- यह उपकरण भारतीय रेल नेटवर्क पर माल गाड़ियों को स्तरीय दृष्टि से देखने में सक्षम बनाता है।
- सहायक सूचना प्रणाली मैप व्यू माल ढुलाई संचालन में सुधार के लिये मण्डलीय/सेक्शन/क्षेत्रीय तथा बोर्ड स्तर पर प्रबंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' (Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan - PMSMA)

- यह भारत सरकार के 'केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय' (**MoH&FW**) द्वारा प्रारंभ की गई एक योजना है, जिसके तहत 'प्रत्येक माह की **9** तारीख' को सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक तौर पर सुनिश्चित, व्यापक एवं उच्च गुणवत्ता युक्त प्रसव-पूर्व देखभाल प्रदान कराए जाने का प्रावधान है।
- इसी वज़ह से इसे '**I Pledge for 9 Scheme**' के नाम से भी जाना जाता है।
- इस योजना के तहत '**RMNCH +A (Reproductive Maternal Neonatal child and Adolescent Health)** रणनीति' के एक भाग के रूप में प्रसव-पूर्व देखभाल (**Antenatal Care- ANC**) सहित निदान एवं परामर्श सेवाओं की गुणवत्ता एवं व्यापकता में सुधार को लक्षित किया गया है।
- इसमें 'सिंगल विंडो प्रणाली' के माध्यम से सभी गर्भवती महिलाओं को (गर्भावस्था की दूसरी एवं तीसरी तिमाही में, जिसे डॉक्टर द्वारा सत्यापित किया जाएगा) अल्ट्रासाउंड सहित अन्य दवाइयाँ व सप्लीमेंट्स आदि प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।
- इसके तहत उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उन्हें 'लाल स्टीकर' तथा सामान्य गर्भावस्था वाली महिलाओं को 'हरे रंग का स्टीकर' प्रदान किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार इन्हें फॉलो-अप की सुविधा प्रदान कराई जाएगी।

स्वयं प्रभा (SWAYAM PRABHA)

- यह देश में डीटीएच ((**Direct to Home - DTH**) के माध्यम से **32** उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल सातों दिन चौबीस घंटे उपलब्ध कराने की एक पहल है। इससे सबसे कम लागत में ई-शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- अंतरिक्ष विभाग ने इसके लिये जीसैट-**15** के दो ट्रांसपोंडर आवंटित किये हैं।
- दूरदर्शन की मुफ्त डीटीएच सेवा (फ्री डिश) के उपभोक्ता उसी सेट टॉप बॉक्स और टीवी के ज़रिये इन शैक्षणिक चैनलों को भी देख सकेंगे। इसके लिये किसी अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता नहीं होगी।
- डीटीएच के ज़रिये प्रसारित ये शैक्षणिक कार्यक्रम अभिलेखीय डेटा के रूप में यूट्यूब पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

शगुन पोर्टल
(SHAGUN portal)

- प्रधानमंत्री द्वारा समीक्षा के दौरान प्राथमिक शिक्षा पर लिये गए विभिन्न निर्णयों और एसएसए घटकों की वास्तविक समय निगरानी सुनिश्चित करने के लिये जनवरी **2017** में शगुन पोर्टल को लॉन्च किया गया।
- राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन को मापने वाली ऑनलाइन ग्रेडिंग सितंबर/अक्तूबर **2017** में शुरू की गई थी।
- आगे इसे और विस्तार देते हुए परिष्कृत किया जाएगा ताकि इसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मूल्यांकन और उनके प्रदर्शन में सुधार के लिये एक समर्थ उपकरण बनाया जा सके।

कार्यक्रम 'कमिट'

- राज्य सरकार अधिकारियों के लिये **29** जून, **2017** को 'कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन मॉडिफाइड मॉडयूल्स ऑन इंडेक्शन ट्रेनिंग' **(Comprehensive Online Modified Modules on Induction Training' - COMMIT)** की शुरुआत की गई।
- इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य लोक सेवा प्रणाली में सुधार लाना और अधिकारियों की क्षमता बढ़ाना है, ताकि वे दैनिक आधार पर नागरिकों के साथ संपर्क कर सकें और उन्हें बेहतर सेवाएँ प्रदान कर सकें।

ब्रू परियोजना (Bru Project)

- इस परियोजना का उद्देश्य मिज़ोरम की ब्रू जनजाति का कौशल विकास करना है, जो अपनी जगह से विस्थापित होकर इस समय उत्तरी त्रिपुरा के ज़िलों में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के शिविरों में रह रहे हैं। परियोजना के अंतर्गत अभी तक केवल **556** उम्मीदवार लाभान्वित हुए हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation